मध्यप्रदेश
में
अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावासों
पर
अध्ययन रिपोर्ट

अध्ययन
स्पंदन, मध्यप्रदेश

राष्ट्रीय महिला आयोग
नई दिल्ली

मध्यप्रदेश से संबंधित कुछ आंकड़े

★ 2,599.4 हजार अनुसूचित जनजाति के लोग ही साक्षर थे	
★ भारत की जनजातीय जनसंख्या का मध्यप्रदेश में प्रतिशत	22.73
★ मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनु. जनजाति का प्रतिशत	23.77
★ 1987-88 के आंकड़ों के मुताबिक गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनु. जनजातियों का प्रतिशत	50.6
★ 1987–88 में सामान्य जनसंख्या का प्रतिशत जो गरीबी रेखा के नीचे थी	33.4
★ सामान्य साक्षरता का प्रतिशत	27.9
★ अनुसूचित जनजाति की साक्षरता का प्रतिशत	16.88
★ अनुसूचित जनजाति महिलाओं की साक्षरता (जनजातीय जनसंख्या का)	15.53
★ ग्रामीण जनजाति पुरुषों की साक्षरता का प्रतिशत	30.8
★ ग्रामीण जनजाति महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत	9.7
★ नगरों में जनजाति पुरुषों की साक्षरता का प्रतिशत	56.8
★ नगरों में जनजातीय महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत	31.0
1991 की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश में कुल जनसंख्या	4,85,66,242
1991 की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश में जनजातीय जनसंख्या	15399034
2001 की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश में कुल जनसंख्या	6,03,85,118
2001 की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश में जनजातीय जनसंख्या	1,22,33,474
1991 की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश में जनजातीय पुरुषों की जनसंख्या	7758174
1991 की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश में जनजातीय स्त्रियों की जनसंख्या	7640860
1991 के आंकड़ों के अनुसार स्कूलों में पढ़ने जाने वाली जनजातीय बालिकाओं की संख्या	835922

विषय	प्रीमेट्रीक	पोस्ट मैट्रीक	कुल संख्या
म.प्र. में अनु. जनजातियों के लिए संचालित छात्रावास	198	34	232
संचालित छात्रावासों में कुल उपलब्ध स्थान	7539	1710	9249
छात्रावासों में निवासरत बालिकाओं की संख्या	4148	अप्राप्त	
अध्ययन के लिए चयनित निदर्शों की संख्या	170	165	335

मध्यप्रदेश के जिले जिनमें सर्वेक्षण हेतु छात्रावास के सैम्पल लिए गए

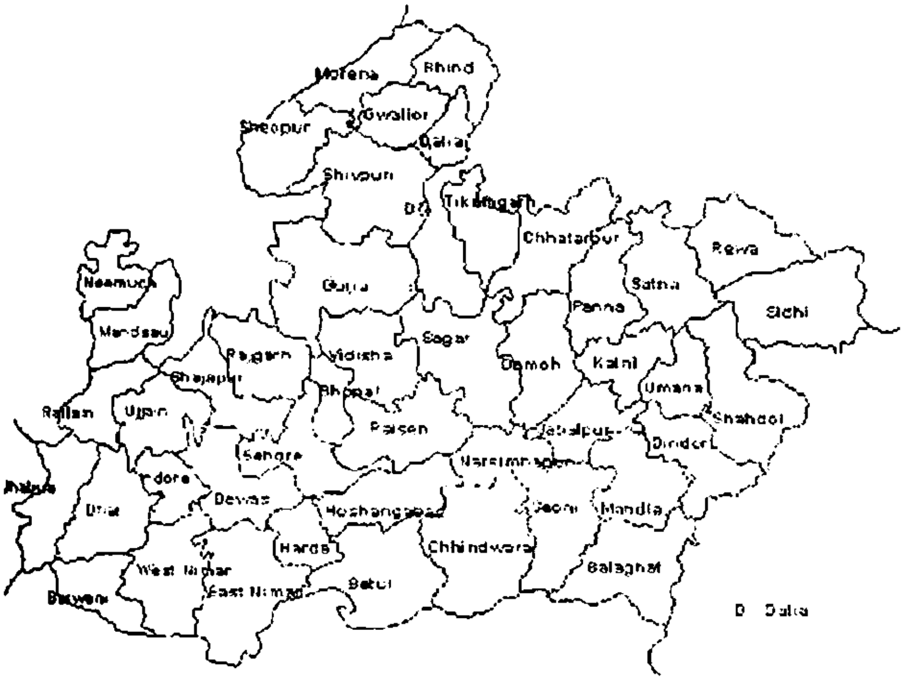

1. भोपाल
2. रायसेन
3. होशंगाबाद
4. हरदा
5. बैतूल
6. खण्डवा
7. इन्दौर
8. खरगौन
9. झाबुआ
10. धार
11. बड़वानी
12. शहडोल एवं अनूपपुर
13. डिंडोरी
14. उमरिया
15. बालाघाट
16. सिवनी
17. नरसिंहपुर
18. छिन्दवाड़ा

1. अध्ययन की आवश्यकता, उद्देश्य एवं पद्धति

1.1 अध्ययन की आवश्यकता

राज्य सरकार और केन्द्र सरकार द्वारा यद्यपि अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के छात्रावासों का संचालन होता है। लेकिन समय-समय पर इन छात्रावासों की स्थिति, सुविधाओं और हितग्राहियों की संतुष्टि का स्तर जानने का प्रयास नहीं किया गया। आदिवासी विकास से संबंधित विभिन्न फोरमों में छात्रावासों, विशेषकर छात्राओं के छात्रावासों के संचालन में अनेक शिकायतें प्राप्त होती हैं। ऐसी स्थिति में छात्राओं हेतु संचालित छात्रावासों की स्थिति जानना आवश्यक हो जाता है। यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि जो सुविधाएं सरकार द्वारा हितग्राहियों के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं क्या सचमुच वे हितग्राहियों तक पहुँच पा रही हैं। सामान्यत: शासन द्वारा संचालित छात्रावासों तथा निजी और संस्थागत तौर पर चलाए जा रहे छात्रावासों में सुविधाओं और व्यवस्था के स्तर पर काफी अंतर देखा जाता है। आखिर ये विषमताएं क्या और क्यों है ? आए दिन छात्रावास में रहने वाली छात्राओं के शोषण की शिकायतें भी मिलती हैं। आज भी यह सवाल मुँह बाए खड़ा है कि क्या अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को उनके लिए संचालित छात्रावासों में वे सभी सुविधाएं, वातावरण और परिस्थितियां उपलब्ध हैं, जो उनके व्यक्तितत्व के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हैं ? क्या इन छात्रावासों में उपलब्ध सुविधाएं अपेक्षा के अनुरूप और संतोषजनक हैं ? सामान्य छात्रावासों की तुलना में इन छात्रावासों की क्या स्थिति है ? शासन की तयशुदा नीतियां कितनी लागू हो पा रही है ? सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर "महिला सशक्तिकरण" के प्रयासों के संदर्भ में भी अनुसूचित जनजाति छात्रावासों का मूल्यांकन होना चाहिए।

1.2 अध्ययन का हेतु, निदर्श और विधि निदर्श

अनुसूचित जाति-जनजातियों के लिए संचालित छात्रावासों के अध्ययन के लिए मध्यप्रदेश का चयन किया गया है। राज्य स्तर से ही निदर्शों का चयन किया गया है और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में छात्राओं के लिए संचालित छात्रावासों को अध्ययन का आधार बनाया गया।

मध्यप्रदेश में संचालित छात्रावासों तथा आश्रमों की संख्या एवं उनमें उपलब्ध स्थानों के आधार पर अध्ययन हेतु 5 प्रतिशत निदर्श का चयन किया गया।

	विषय	संख्या
1.	छात्राओं हेतु संचालित प्री-मैट्रिक छात्रावासों की कुल संख्या	198
2.	अध्ययन हेतु चयनित छात्रावास	20
3.	छात्राओं हेतु संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों की कुल संख्या	34

4.	अध्ययन हेतु चयनित निदर्श	14
5.	प्री मैट्रिक छात्रावासों में छात्राओं हेतु कुल स्थान	7539
6.	अध्ययन हेतु चयनित निदर्श का आकार (प्री-मैट्रिक)	170
7.	पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में छात्राओं के लिए कुल स्थान	1710
8.	अध्ययन हेतु निदर्श का आकार (पोस्ट-मैट्रिक)	165
9.	अध्ययन हेतु चयनित छात्रावासों की कुल संख्या	34
10.	अध्ययन हेतु चयनित छात्राओं की कुल संख्या	335
11.	अध्ययन हेतु निदर्श चयनित छात्राओं के अभिभावक	29
12.	चयनित छात्रावासों की छात्रावास अधीक्षिका	42
13.	जिलों के सहायक आयुक्त	4
14.	आयुक्त आदिम जाति विकास विभाग	1
15.	अशासकीय संस्थाएं	6

1.3 अध्ययन की पद्धति

1. चयनित छात्रावासों का उपलब्ध सुविधाओं के मान से निरीक्षण
2. छात्राओं, उनके अभिभावकों, अधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों के छात्रावास संचालन के संबंध में विचार एवं उनमें सुधार लाने के उपायों का संकलन
3. छात्रावास के निरीक्षण हेतु तथा छात्राओं, अभिभावकों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं जन प्रतिनिधियों से उनकी छात्रावास संचालन संबंधी प्रतिक्रिया तथा विचार जानने हेतु साक्षात्कार हेतु अनुसूची के माध्यम से तथ्यों का संकलन।

1.4 अध्ययन का लाभ

प्रथम बार अनुसूचित जनजाति छात्राओं के लिए संचालित छात्रावासों पर एक समग्र अध्ययन होगा। इस अध्ययन का लाभ संबंधित विभाग को तो मिलेगा ही साथ में आदिवासी छात्राओं के लिए कार्यरत विभिन्न संस्थाओं, संगठनों और महिला आयोग, मानव अधिकार आयोग जैसे संगठनों को भी लाभ होगा। आदिवासी छात्राओं के छात्रावास के संचालन संबंधी अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त होगी। इससे आदिवासी छात्राओं के छात्रावास जीवन का पता लग सकेगा और आवश्यकतानुसार इसमें सुधार की गुंजाईशों का सुझाव भी दिया जा सकेगा ताकि छात्रावास बेहतर ढ़ंग से संचालित हो सके।

1.5 अध्ययन की सीमाएं

यह अध्ययन सिर्फ अनुसूचित जनजातियों की छात्राओं के लिए संचालित छात्रावासों का है। इन छात्रावासों की अन्य छात्राओं से संबंधित जानकारी को अध्ययन क्षेत्र से बाहर रखा गया है। अध्ययन सिर्फ छात्रावास से संबंधित विषयों तक ही सीमित है। इसमें उनकी शैक्षणिक दशा, आर्थिक स्थिति आदि का अध्ययन नहीं है। यह अध्ययन निदर्शों के आधार पर किया गया है। निदर्शों का चयन 5 प्रतिशत से अधिक है।

2. मध्यप्रदेश की जनजातियों की विशेषताएं, समस्याएं एवं समीक्षात्मक ब्यौरा

2.1 राष्ट्रीय संदर्भ

भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,782 वर्ग किलोमीटर तथा जनसंख्या वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 84.6 करोड़ थी जबकि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार यह संख्या 102,70,15,247 है। भारत में जनजातियों की संख्या तथा उनकी कुल जनसंख्या दोनों ही बढ़ती रही है। इस वृद्धि के कई कारणों में एक यह भी है कि अनेक समूहों को समय-समय पर जनजाति का दर्जा मिलता रहा हैं। वर्ष 1991 में भारत की कुल जनसंख्या का 8.0 प्रतिशत भाग जनजातियों का था। तब भारत की कुल जनजातीय जनसंख्या 6,77,58,380 थी, जो 2001 में बढ़कर 8,43,26,240 हो गई। इस बृहद जनसंख्या का 14.50 प्रतिशत भाग मध्यप्रदेश में निवास करता है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश में जनजातीय जनसंख्या 1,22,33,474 है।

देश की संपूर्ण जनजातीय जनसंख्या में आधे से अधिक मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र उड़ीसा, झारखंड और गुजरात में निवास करती है। यदि प्रत्येक राज्य और संघ संरक्षित क्षेत्रों में घोषित समूहों को अलग-अलग जनजाति माना जाए तो संपूर्ण देश में 535 जनजातियां हैं। चूँकि कई प्रदेशों में एक ही जनजाति कई नामों से रहती हैं, यानि जनजातियों के नाम समान हैं। इस तरह अगर केवल नाम के आधार पर वर्गीकरण किया जाए तो देश में 287 जनजातीय समूह संस्थापित हैं।

लिंगानुपात की दृष्टि से जनजातीय महिलाओं की स्थिति सामान्य महिलाओं की तुलना में अच्छी है। एक तरफ जहाँ अनुसूचित जनजातियों में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 972 है वहीं सामान्य रूप से देश में प्रति 1000 पुरुषों पर 927 स्त्रियां हैं।

नवीनतम आँकड़ों के मुताबिक मध्यप्रदेश में देश की जनजातीय आबादी का 14.50 प्रतिशत है, जबकि मध्यप्रदेश की कुल आबादी में 20.3 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति है। यहाँ 43 अनुसूचित जनजाति समूहों का निवास है। मध्यप्रदेश में तीन विशेष पिछड़ी जनजाति समूह भी हैं।

स्तर	वर्ष	कुल जनसंख्या	जनजातियों की जनसंख्या
राष्ट्रीय	1991	84.6 करोड़	6,77,58,380
मध्यप्रदेश	1991	4,85,66,242	1,53,99,034
राष्ट्रीय	2001	1,02,70,15,247	84326240
मध्यप्रदेश	2001	6,03,85,118	1,22,33,474

नोट : वर्ष 1991 की जनसंख्या में छत्तीसगढ़ की आबादी शामिल है जबकि 2001 की जनसंख्या में सिर्फ मध्यप्रदेश के आंकड़े दिये गये हैं।

2.2 मध्यप्रदेश का अनुसूचित जनजाति समाज

मध्यप्रदेश के अनुसूचित जनजाति समाज में कुल मिलाकर पुरुष का स्थान स्त्री से ऊपर ही है। स्त्रियों को ऐसे बहुत से अधिकार प्राप्त हैं तथा उन्हें बहुत-सी ऐसी सामाजिक सुविधाएं हैं जो तथाकथित सभ्य समाज में नहीं मिलती। अनुसूचित जनजातियों में बाल-विवाह या सती प्रथा नहीं है। इस तरह बाल-विधवाओं से संबंधित सामाजिक बुराइयां भी उनमें नहीं पनपी। सभ्य समाज का एक ही दुर्गुण अनुसूचित जनजाति में समान रूप से पाया जाता है, और वह हैं बहुविवाह। अनुसूचित जनजाति में तलाक सरलता से दिया जा सकता है और इस स्थिति में भी स्त्री कभी भी आर्थिक शोषण का शिकार नहीं होती। अनुसूचित जनजाति स्त्री, पुरुष के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर आर्थिक और सामाजिक कार्यों में बराबरी से भाग लेती हैं।

2.3 मध्यप्रदेश की प्रमुख जनजातियां

मध्यप्रदेश की प्रमुख जनजातियों में जनसंख्या की दृष्टि से गोंड एवं भील सबसे बड़ी जनजातियां हैं। तीसरे क्रम की दावेदार अनेक जनजातियां हैं। इनमें से प्रमुख हैं बैगा, सहरिया, हल्बा, भारिया एवं कोल। किन्तु जहां केवल गोंड और भील जनजातियां कुल जनजातीय जनसंख्या की लगभग 65.5 प्रतिशत हैं, वहीं तीसरे स्थान की दावेदार जनजातियां जनसंख्या के अनुपात में बहुत पीछे हैं। उपर्युक्त जनजातियां कुल जनजातीय जनसंख्या की मात्र 1 से 5 प्रतिशत तक हैं। साधारणतया इस प्रकार का विभ्रम जनजातियों को विषम समूहों में बांटने से ही होता है। मध्यप्रदेश की जनजातियों के मुख्य 3 वर्ग हैं। पहले वर्ग में गोंड तथा उनसे उत्पन्न जनजातियां शामिल हैं। इसमें सहरिया जनजाति को भी शामिल करना उचित होगा तथा तीसरा वर्ग कोल या मुण्डा समूह की जनजातियों का है।

म.प्र. जनजाति-बहुल जिलों में ग्रामीण एवं नगरों में रहने वाली जनजातीयों का प्रतिशत, 1991

राज्य/जिला	ग्रामीण	नगरीय
शहडोल	92.41	7.59
सीधी	98.31	1.69
रतलाम	95.91	4.19
झाबुआ	97.16	2.84
धार	96.56	3.33
खरगोन	97.38	2.62
खण्डवा	97.70	2.30

राज्य/जिला	ग्रामीण	नगरीय
बैतूल	96.72	3.28
मंडला	98.45	1.55
छिन्दवाड़ा	93.94	6.04
सिवनी	98.39	1.61

3. अनुसूचित जनजाति कल्याण योजनाएं और छात्रावास

3.1 मध्यप्रदेश में अनुसूचित जनजाति कल्याण योजनाएं

क्र.	शिक्षा योजनाएं
1.	आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय
2.	कन्या शिक्षा परिसर
3.	उत्कृष्टता शिक्षा संस्थान (छात्रावास)
4.	आश्रम शालाएं
5.	क्रीड़ा परिसर
6.	छात्रावास
7.	छात्रगृह
8.	पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में आगमन भत्ता
9.	दिल्ली की उच्च शिक्षा संस्थाओं में प्रवेशित विद्यार्थियों के लिये छात्रावास सुविधा
10.	छात्रवृत्ति
11.	मैट्रिकोत्तर (पोस्ट मैट्रिक) छात्रावास
12.	प्रावीण्य छात्रवृत्ति
13.	अनुसूचित जाति-जनजाति राज्य प्रावीण्य छात्रवृत्ति
14.	विदेशों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति
15.	अस्वच्छ धंधों में लगे लोगों के बच्चों को छात्रवृत्ति
16.	कन्या साक्षरता प्रोत्साहन
17.	परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति
18.	पत्राचार पाठ्यक्रम परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति
19.	व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की शुल्क की प्रतिपूर्ति
20.	स्व-वित्तीय पाठ्यक्रमों के लिये शुल्क की सुविधा
21.	सिविल सेवा परीक्षाओं में सफलता पर प्रोत्साहन राशि
22.	नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकों का प्रदाय
23.	बुक बैंक

24. आदिवासी बोलियों के माध्यम से शिक्षा

25. गणवेश प्रदाय

26. मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम

27. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं

28. मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थाओं को अनुदान

29. भारत सरकार द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान

30. स्थायी जाति प्रमाण-पत्रों का लेमिनेशन

31. आदिवासी संस्कृति का परिरक्षण और विकास

रोज़गार योजनाएं

32. कम्प्यूटर आधारित आधुनिक कार्यालय प्रबंधन प्रशिक्षण

33. युवाओं को सेना में भर्ती के लिये पूर्व प्रशिक्षण योजना

34. विधि स्नातकों को आर्थिक सहायता

35. प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र योजना

36. विकलांग आदिवासियों को उच्चतर अध्ययन अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु वित्तीय सहायता

37. प्रवीणता एवं उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रमों के लिये सहायता

38. राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम फरीदाबाद द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए वित्त पोषित स्वरोजगार

39. जाति राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम फरीदाबाद द्वारा आदिवासियों के लिए संचालित योजनाएं

40. विकलांग व्यक्तियों की सहकारी समिति/एसोसिएशन और विकलांग व्यक्तियों द्वारा स्थापित फर्म के लिये ऋण सहायता

41. विकलांग आदिवासी उद्यमियों को ऋण सहायता

42. विकलांगों के लिये उपकरण-निर्माण/उत्पाद-संवर्धन योजना

43. मानसिक विकलांग प्रमस्तिष्कीय, फालिज और आत्म-विमोह व्यक्तियों के लिय स्वयं-रोजगार योजना

44. छोटे काम धंधों में स्वरोजगार प्राप्त करने से संबंधित ऋण सहायता

45. कृषि गतिविधियों के लिये ऋण सहायता

46. लघु ऋण वित्त व्यवस्था

47. अस्वच्छ धंधे में लगे लोगों को रोजगार सहायता

48. अस्वच्छ धंधों का व्यवसायीकरण

49. सेनेटरी मार्ट योजना

50. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली द्वारा संचालित स्वरोजगार योजना

51. प्रतिष्ठा योजना

52. अनुसूचित वर्ग के शिक्षित/प्रशिक्षित युवाओं के लिये स्वरोजगार

53. अनुसूचित जाति स्वरोजगार योजना

54. आदिवासियों के लिये स्वरोजगार योजना

55. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के वित्त पोषण से संचालित योजनाएं

56. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम नई दिल्ली द्वारा संचालित योजनाएं

57. प्रारंभिक पूंजी योजना (मार्जिन मनी लोन)

58. आदिवासी महिला सशक्तिकरण

59. दाई प्रोत्साहन

60. बांछड़ा, बेड़िया एवं सांसी जाति की महिलाओं के लिये सिलाई केन्द्र

61. क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अनाबद्ध राशि से क्रियान्वित की जाने वाली योजनाएं

62. अनुसूचित जाति बस्तियों का विकास

63. अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों का विद्युतीकरण

64. विभाग द्वारा क्रय की जाने वाली सामग्री हेतु नियम प्रक्रिया

राहत योजनाएं

65. सामूहिक विवाह

66. आदिवासी सामूहिक विवाह प्रोत्साहन

67. अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन

68. म. प्र. बांछड़ा एवं बेड़िया सजातीय विवाह प्रोत्साहन

69. अस्पृश्यता निवारणार्थ सद्भावना शिविर

70. अस्पृश्यता निवारणार्थ आदर्श ग्राम पंचायतों को पुरस्कार

71. अनुसूचित क्षेत्रों में संदिग्ध दायित्व निवारण

72. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति राहत

73. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम--1955

74. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम-1989)

75. आकस्मिकता योजना नियम-1995

3.2 शैक्षणिक विकास के कार्यक्रम

अनुसूचित जनजातियों के पिछड़ेपन का एक महत्वपूर्ण कारण एवं सूचक अल्प साक्षरता है। इसका आभास इसी से मिल जाता है कि राज्य की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में से सन् 1991 तक केवल 16.88 प्रतिशत ही साक्षर कहे जा सके। शेष 83.12 प्रतिशत अब भी निरक्षर हैं। यह साक्षरता के औसत मे काफी कम है। राज्य में कुल 36.46 प्रतिशत लोग साक्षर हैं। सन् 1991 की जनगणना में साक्षरता की गणना करते समय जनसंख्या में से 0 से 6 वर्ष तक की जनजातीय जनसंख्या को कुल जनजातीय जनसंख्या में से घटाने पर साक्षरता का प्रतिशत 21.54 आता है जो राज्य की जनसंख्या की साक्षरता (44.2 प्रतिशत) के आधे से कम है। जनजातीय पुरुषों में 32.16 प्रतिशत और महिलाओं में 10.73 प्रतिशत साक्षर हैं। यह अनुपात राज्य के कुल पुरुष (58.42 प्रतिशत) और स्त्री (28.85 प्रतिशत) साक्षरता से बहुत कम है। माना जाता है कि विकास और साक्षरता का घनिष्ट संबंध है और सामाजिक-आर्थिक संरचना के लिए शिक्षा अनिवार्य है। इससे समझ और ग्राहयता बढ़ती है। शिक्षा के अभाव में न केवल व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों से अनभिज्ञ रहकर एक अच्छा नागरिक नहीं बन पाता कि बल्कि विकास की प्रक्रिया में भागीदार भी नहीं हो पाता। साक्षरता और शिक्षा को इतना महत्वपूर्ण मानते हुए ही विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में इसको प्राथमिकता दी गयी है।

3.3 शैक्षणिक विकास के लिए योजनाबद्ध प्रयास

प्रथम दो पंचवर्षीय योजनाओं में वर्तमान मध्यप्रदेश के चारों घटक राज्यों में अनेक शैक्षणिक विकास की योजनाएं संचालित की गयीं, विशेषकर प्राथमिक शिक्ष पर जोर दिया गया। इसका उल्लेख विकास योजनाओं के अध्याय में किया गया है। कुल मिलाकर प्रथम पंचवर्षीय योजनाकाल में रु. 348.04 लाख शिक्षा पर व्यय किये गये।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में कुल आयोजन व्यय का लगभग एक-तिहाई (रु. 308.96 लाख) शिक्षा पर व्यय किया गया। इस काल में शिक्षा विभाग से विद्यालय आदिम जाति कल्याण विभाग को सौंपे गए। साथ ही तीन नई योजनाएं-छात्रावास, आश्रम एवं छात्रवृत्ति की योजनाएं दी गई। योजना के अन्त में कुल 4971

प्राथमिक, 527 माध्यमिक एवं 104 उच्चतर माध्यमिक शालाएं खुल चुकी थीं। कुल 551 आदिवासी छात्रावास और 35 आश्रम भी चलित थे। औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र भी स्थापित किये गये।

चतुर्थ योजना में कुल आयोजना व्यय रु. 1706.24 लाख में से रु. 786.15 लाख (46.07 प्र. श) शिक्षा पर व्यय किये गये। यह राशि आर्थिक विकास के लिए आवंटित राशि से थोड़ी ही कम थी। आधारभूत सुविधाएं बढ़ायीं गयीं। इस योजना के अन्त में कुल 8406 प्राथमिक, 141 माध्यमिक एवं 236 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित हो चुके थे। विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, पुस्तक, स्लेट और पेन्सिल भी प्रदान की गयीं। इस योजना में 135 आश्रम खोले गये। छात्रावासों की संख्या 1411 हो गयी।

पांचवी योजना में अनुसूचित जनजाति उप योजना आरंभ की गयी। यह उपयोजना अब भी लागू है। इस अवधि में साक्षरता और शिक्षा के विस्तार वाली अनेक योजनाएं लागू की गयीं। साथ ही शिक्षा के गुणात्मक सुधार का बड़े पैमाने पर प्रयास किया गया। उन कारणों का पता लगाने का प्रयास किया गया जिनके कारण या तो आदिवासी बच्चे-बच्चियां स्कूल नहीं जा पाते अथवा उन्हें बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। इनके हल के कार्यक्रम बनाये गये। छात्रवृत्तियों की संख्या एवं राशि बढ़ायी गयी। छात्रावासों की संख्या बढ़ी और उनमें सुविधाएं बढ़ायी गयीं जिससे आदिवासी विद्यार्थी बाह्य जगत से संपर्क स्थापित कर सकें। औद्योगिक प्रशिक्षण एवं प्रवेश अथवा प्रतिस्पर्धा परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण की सुविधाएं बढ़ायी गयीं।

इस समय के बहुमुख प्रयासों के परिणामस्वरूप सन् 1998-99 तक 1301 कनिष्ठ प्राथमिक, 17415 प्राथमिक, 4065 माध्यमिक, 761 हाई स्कूल और 681 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आदिम जाति कल्याण विभाग के अधीन कार्य कर रहे थे। इनके साथ ही 14 आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 6 कन्या शिक्षा परिसर, एक गुरुकुल विद्यालय तथा 25 क्रीड़ा परिसर भी औपचारिक शिक्षा के साथ ही व्यावसायिक शिक्षण देने के लिए 1133 आश्रम प्रकार के विद्यालय खोले गये हैं।

कई प्रकार की छात्रवृत्तियां प्रारंभ की गयीं। ये हैं - प्री-मेट्रिक राज्य छात्रवृत्ति, विशेष छात्रवृत्ति, मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, प्रावीण्य छात्रवृत्ति एवं ऋण छात्रवृत्ति। प्री-मेट्रिक राज्य छात्रवृत्ति अनुसूचित जनजातियों के कक्षा 6 से 10 के छात्र-छात्राओं को दी जाती है। सन् 1997-98 में 9.4 लाख पूर्व-माध्यमिक छात्रवृत्तियां प्रदान की गयीं। 51033 विद्यार्थियों को छात्रावास शिष्यवृत्ति और 44985 विद्यार्थियों को आश्रमवृत्ति का लाभ मिला। मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति उन आदिवासी छात्रों को मिलती है जो मैट्रिक के बाद पढ़ाई जारी रखते हैं। ये छात्रवृत्तियां स्नातक, सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा मेडिकल तथा इंजीनियरिंग, विभिन्न प्रकार के डिप्लोमा सर्टिफिकेट आदि पाठ्यक्रमों के अध्ययन के लिए दी जाती हैं। पुन: 1997-98 में लगभग 73.8 हजार मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां आदिवासी छात्रों को वितरित की गयीं। अनुसूचित जनजातियों के प्रतिभावान छात्रों को प्रावीण्य छात्रवृत्ति प्रदान की जाती हैं। यह छात्रवृत्ति पांचवी पास करने वाले को आठवीं तक और माध्यमिक

परीक्षा पास करने पर उच्चतर माध्यमिक स्तर के अध्ययन के लिए हैं। इनके अलावा अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए ऋण छात्रवृत्ति की भी योजना है। छात्रावासों में प्रवेश प्राप्त छात्र-छात्राओं को प्रति माह शिष्यवृत्ति प्रदान की जाती है।

विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों एवं शिष्यवृत्तियों से लाभान्वित होने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि तालिका 3.1 में प्रस्तुत है।

तालिका 3.1

म. प्र. आदिवासी छात्रों को देय छात्रवृत्तियों/शिष्यवृत्तियों के हितग्राहियों की संख्या में वृद्धि

वर्ष	पूर्व माध्यमिक	मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	प्रावीण्य छात्रवृत्ति	छात्रावास	शिष्यवृत्ति	
					छात्रावास	आश्रम
1990-91	615000	412111	1818	47950		38055
1995-96	940000	60903	—	54670		46785
1997-98	943822	73803	125	52318		46743

प्रोत्साहन देने के लिए अन्य कई योजनाएं चलाई जाती हैं जैसे कि कन्या साक्षरता हेतु उन्हें नकद भुगतान किया जाता है। सन् 1994-95 में कुल 47820 कन्याओं को इसका लाभ मिला था। कक्षा 1 तथा 2 के छात्रों को पाठ्य पुस्तकों का सेट दिया जाता है। सन् 1985-86 में लगभग 4.4 लाख सेट वितरित किए गए जिनकी संख्या सन् 1997-98 में 8 लाख से अधिक हो गई। माता-पिता के भार को कम करने और बच्चों को आकर्षित करने के दृष्टिकोण से मध्यान्ह भोजन का कार्यक्रम चलाया गया जिसके अन्तर्गत प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दोपहर में भोजन दिया जाता है। सन् 1997-98 में इस कार्यक्रम का लाभ 21.8 लाख विद्यार्थियों को मिला।

अनुसूचित जनजातियों के उत्थान हेतु अनुसूचित जनजाति उप-योजना भी संचालित है। इसमें आदिवासी विकास विभागों के माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। अनुसूचित जनजाति विकास योजनाओं/कार्यक्रमों में शिक्षा विषयक योजनाएं प्रमुख हैं। आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा शालेय शिक्षा के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्र में शालाओं के संचालन के साथ-साथ अन्य योजनाओं, यथा, विभिन्न प्रकार की छात्रावृत्तियों का वितरण, आवासीय एवं तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाओं, छात्रावास/आश्रमों का संचालन तथा शैक्षणिक प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। इन्हीं कार्यक्रमों के तहत दूरस्थ अंचलों के आदिवासी बालक-बालिकाओं के लिए अलग-अलग आश्रम तथा पूर्व मैट्रिक और मेट्रिकोत्तर छात्रावास संचालित हैं।

राज्य शासन द्वारा नियुक्त की गई नरोना कमेटी की अनुशंसा के आधार पर वर्ष 1964-65 में आदिवासी क्षेत्रों की स्कूल शिक्षा की व्यवस्था आदिम जाति कल्याण विभाग को हस्तांतरित हुई थी। इस व्यवस्था के पीछे मूल उद्देश्य यह था कि राज्य के आदिवासी क्षेत्रें में आदिवासियों की विशिष्ट आवश्यकताओं से तालमेल रखते हुए स्कूल शिक्षा के उन्नयन और गुणात्मक सुधार के लिए शैक्षि योजनाओं और गतिविधियों का नियोजन, क्रियान्वयन और संचालन हो। देश में मध्यप्रदेश में ही जनजातीय शिक्षा हायर सेकेण्ड्री स्तर तक का दायित्व आदिम जाति कल्याण विभाग को सौंपा गया है। अन्य राज्यों में अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा का दायित्व शिक्षा विभाग का है। आदिम जाति कल्याण विभाग आदिवासी उपयोजना के तहत नोडल भूमिका अदा करता है।

अनुसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्र में सर्वाधिक जोर शिक्षा के मात्रात्मक एवं गुणात्मक सुधार पर दिया गया है। योजना व्यय का मुख्य हिस्सा इसी कार्य पर व्यय किया जाता रहा है। निरंतर प्रयास है कि आदिवासी बच्चे गरीबी अथवा अन्य कारणों से शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रहें। फलत: आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थाओं की संख्या में काफी वृद्धि की गई है।

इन प्रयत्नों के बावजूद भी आदिवासी क्षेत्रों में बहुसंख्यक बालक एवं बालिकाएं स्कूल नहीं जाते, और जो प्रवेश लेते भी हैं उनमें से लगभग आधे प्राथमिक स्तर पर ही और एक पंचमांश माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई छोड़ देते हैं। यह बात तालिका 3.2 से स्पष्ट है।

तालिका 3.2

मध्य प्रदेश में अनुसूचित जन-जाति विद्यार्थियों की शाला त्यागने की दर

स्तर/समुदाय	1992		1994		1996	
	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं
	प्राथमिक स्तर					
अनु. जनजाति	46.56	48.11	45.00	48.00	46.93	47.12
	माध्यमिक स्तर					
अनु. जनजाति	16.16	24.84	34.00	31.00	29.58	35.03

(स्रोत : सांख्यिकी अनुभाग, आयुक्त आदिवासी विकास, म. प्र. – अनुसूचित जातियों से संबंधित सांख्यिकीय संकलन, 1998-99)

यह साक्षारता का औसत राज्य की कुल जनसंख्या के औसत के आधे से थोड़ा सा अधिक है। राज्य में सामान्य साक्षरता की दर 27.9 प्रतिशत थी। इतना ही नहीं आदिवासी साक्षरता कुल जनसंख्या की महिला

साक्षरता दर (15.53 प्रतिशत) से भी बहुत कम है। यद्यपि उपर्युक्त कार्यक्रमों एवं सामान्य कल्य योजनाओं के फलस्वरूप साक्षरता में निरंतर वृद्धि हो रही है, परन्तु यह वृद्धि आदिवासी जनसंख्या की को सामान्य जनसंख्या की साक्षरता के समकक्ष नहीं पहुंचा पायी है। ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता इस अ भी कम है। केवल 30.8 प्रतिशत ग्रामीण आदिवासी पुरुष और 9.7 प्रतिशत महिलाएं साक्षरत हैं विपरीत नगरों में रहने वालों में 44.7 प्रतिशत साक्षर हैं। पुरुषों में साक्षरता 56.8 प्रतिशत और महि 31.0 प्रतिशत है। यह दर राज्य की सकल जनसंख्या की साक्षरता की दर के बराबर है।

आदिवासी शालाओं में दर्ज छात्राओं की संख्या से भी इस फर्क को समझा जा सकता है। र आदिवासी शैक्षणिक संस्थाओं में वर्ष 1997-98 में अनुसूचिज जनजाति के कुल 1977330 छात्र-छा थीं। इनमें स्कूल जाने वाली बालिकाओं की संख्या बालकों की तुलना में काफी कम थी। उल्लेखनीर राज्य में सन् 1991 की जनगणना के समय 6 वर्ष से कम उम्र के आदिवासी बालक और बालिक संख्या क्रमश: 1672751 तथा 1656715 थी। इस तरह 3329466 व्यक्ति इस आयु वर्ग में थे। य वर्ग सन् 1997-98 तक प्राथमिक से माध्यमिक कक्षाओं में पहुंचा। चूंकि कुल आदिवासी जनसं 72.25 प्रतिशत उपयोजना क्षेत्र में है। अत: 0-6 वर्ष के आयु वर्ग के 1208562 बालक एवं 11 बालिकाएं उपयोजना क्षेत्र में होनी चाहिएं। इन आंकड़ों के मुताबिक 2405.5 हजार आदिवासी बच् केवल 974 हजार बालक-बालिकाएं माध्यमिक शालाओं में प्रवेश ले सकते थे। इस तरह तब भी ल तिहाई (59.5 प्रतिशत) बच्चे स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं।

तालिका 3.3

म. प्र. की आदिवासी शालाओं में दर्ज विद्यार्थियों की संख्या (1997-98)

शैक्षणिक	अनु.	जनजाति	अनु.	जाति	अन्य		कुल	
स्तर	बालक	कन्या	बालक		बालक	कन्या	बालक	व
प्राथमिक	475058	312084	70462	43420	228837	208995	774357	56
माध्यमिक	114146	72758	37784	16544	101170	71167	252100	16
हाईस्कूल	48697	16810	10240	4115	54718	29371	113655	5
उ. मा. वि.	18269	5064	5233	1691	20406	11291	43908	1
कुल	656170	406716	123719	65770	405131	320824	1184020	79

शिक्षा का स्तर

साक्षरता तो केवल व्यक्ति की साधारण शब्दों के पढ़ने और लिखने की योग्यता बताती है। इसमे शिक्षा के स्तर का अंदाजा नहीं मिलता। साक्षर आदिवासियों में आधे से अधिक पुरुष (57.3 प्रतिशत) और दो-तिहाई औरतें केवल साक्षर मात्र हैं और वे प्राथमिक स्तर तक नहीं पहुंच पाये हैं। एक-चौथाई पुरुष और स्त्रियां प्राथमिक शिक्षा प्राप्त किये हैं। इस प्रकार साक्षरों में से 84.2 प्रतिशत पुरुष और 88.7 प्रतिशत महिलाएं केवल प्राइमरी तक शिक्षित हैं। राज्य में साक्षरों में 71.0 प्रतिशत व्यक्ति ही इस स्तर की शिक्षा वाले हैं। शेष इससे ऊंचे स्तर वाले हैं। माध्यमिक, उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शिक्षित पुरूषों का प्रतिशत क्रमश: 9.5, 3.1 और 2.2 और महिलाओं का प्रतिशत 7, 2.1 और 1.4 है। राज्य के सभी साक्षरों में लगभग एक-चौथाई (24.4 प्रतिशत) उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा पाये हैं। इस प्रकार आदिवासी प्राथमिक शिक्षा के बाद उससे विमुख हो जाते है। फलत: उससे उच्च स्तर की शिक्षा वालों की संख्या तुरन्त घट जाती है। तकनीकी शिक्षा तथा स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त करने वालों का अनुपात नगण्य है। इससे पुन: उसी स्थिति की पुष्टि होती है कि प्राइमरी के बाद आदिवासीयों को शिक्षा जारी रखने के लिए अधिक प्रोत्साहन की आवश्यकता है।

4. मध्यप्रदेश शासन की छात्रावास योजना

4.1 छात्रावास खोलने का उद्देश्य

पढ़ाई के साथ-साथ रहने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए छात्रावास संचालित हैं। छात्रावास बालक और बालिकाओं के लिये अलग-अलग हैं छात्रावास प्री-मट्रिक तथा पोस्ट मैट्रिक स्तर के होते हैं।

4.2 छात्रावास क्यो?

इसी प्रसंग में यह स्पष्ट करना भी जरूरी है कि मूलत: इन संस्थाओं की स्थापन की अवधारणाएं क्या थीं? स्कूलों के अलावा कहीं छात्रावास और कहीं आश्रम खोलने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? विभाग के पुराने अभिलेखों से यह पता चलता है कि आजादी के बाद जब संविधान के संकलन के अनुरूप आदिवासियों को समुन्नत समाज की बराबरी में लाने के उपक्रम प्रारंभ हुए तो शिक्षा प्रसार पर सर्वाधिक ध्यान देते हुए उदारता के साथ ऐसे सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में आश्रन स्कूल खोलने का सिलसिला प्रारंभ हुआ, जहां शिक्षा का प्रसार नगण्य था, भौगोलिक स्थितियां जटिल थी, आदिवासी लोग अपने बूते पर बच्चें को पढ़ाने की स्थिति में नहीं थे तथा कन्याओं को स्कूलों में भरती कराने की स्थिति निराशाजनक थी। अत: इन स्थितियों में अशिक्षा को चुनौती देते हुए आश्रम स्कूल खोलना प्रारंभ हुआ। परिकल्पना यह थी कि आदिवासी बच्चों को इन संस्थाओं में परिवार जैसे वातावरण में शिक्षा और अच्छे संस्कार प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे, जो जरूरी हैं। जहां तक छात्रावास योजना का सवाल है, यह योज्ना आदिवासी क्षेत्रों की आधारभूत समस्याओं के निराकरण के लिये प्रारंभ की गई हैं। यह देखा गया है कि विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहनों के कारण आदिवासी लोग अपने गांव अथवा पास के गांव में भेजकर अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा तो जैस-तैसे दिवाला देते हैं, लेकिन जब घर परिवार से दूर माध्यमिक शाला में बच्चों को दाखिल कराने की स्थिति आती है, वे कोई रुचि अथवा उत्साह नहीं दिखाते। इस मनोवृत्ति के कारण बीच में पढ़ाई छोड़ बैठने की नौबत आ जाती है। आदिवासी क्षेत्रों की यह एक गंभीर समस्या रही है। इस सम्स्या से निपटने के लिये छात्रावास की व्यवस्था लागू की गई है। किसी आरिवासी बच्चे को छात्रावास में प्रवेश मिलने का अर्थ होता है - शिक्षा की निरंतरता, भोजन और आवास की नि:शुल्क व्यवस्था। यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि पिछले तीन दशक में आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा प्रसार में जो तेजी आयी है, उसमें छात्रावासों का विशिष्ट योगदान रहा है। यह बात दीगर है कि इनकी संचालन की कार्यविधि मे भटकाव के कारण सभी मूल उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पा रही हैं।

4.3 मध्यप्रदेश में बालिकाओं के छात्रावास

छात्रावास-आश्रम और छात्रवृत्तियों की योजनाओं का संचालन विभाग के लिए विशिष्ट चुनौती का कार्य है। छात्रावास-आश्रमों की संचालन व्यवस्था में गुणात्मक सुधार के लिए जहाँ एक ओर इन संस्थाओं में

आदिम जाति मंत्रणा परिषद् की अपेक्षा के अनुसार अनुसूचित जाति व जनजाति के अधीक्षकों की पदास्थापना की व्यवस्था की गई है, वहीं दूसरी ओर वर्ष 1994-95 में करीब 27 करोड़ रुपये के खर्च से इन संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण और सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाए गए। इस हेतु माह अगस्त 1997 में पूरे प्रदेश में एक साथ पहली बार इन संस्थाओं में उपलब्ध सामग्री तथा सुविधाओं का 1 अप्रैल, 1994 से 21 मार्च, 1997 तक का शतप्रतिशत भौतिक सत्यापन भी कराया गया। इस सत्यापन के निष्कर्षों के आधार पर आवश्यक सुधारात्मक व्यवस्थाएं किए जाने का प्रयत्न हुआ।

दूरस्थ अंचलों के आदिवासी बच्चों को आवासीय सुविधा तथा शिक्षा के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने की दृष्टि से छात्र तथा छात्राओं के लिए अलग-अलग पूर्व मैट्रिक और मैट्रिकोत्तर छात्रावास तथा आश्रम संचालित हो रहे हैं। इन संस्थाओं विशेषकर आश्रमों की आदिवासी क्षेत्रों में अधिक मांग है। प्रथम पंचवर्षीय आयोजना काल में जहां 52 पूर्व मैट्रिक छात्रावास (1040 स्थान) संचालित किए जा रहे थे वहीं वर्ष 96-97 में इनकी संख्या बढ़कर 1834 (47950 स्थान) हो गई है। वर्ष 1968-69 से महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रावास भी खोलना आरंभ हुआ, तब मात्र 10 छात्रावास (500 स्थान) खोले गए थे, जबकि वर्ष 96-97 तक संचालित मैट्रिकोत्तर छात्रावासों की संख्या 107 (6770 स्थान) हो गई। प्रथम पंचवर्षीय आयोजना काल में 10 आश्रम (300 स्थान) संचालित थे, जबकि वर्ष 96-97 में इनकी संख्या 1018 (47385 स्थान) हो गई। प्राप्त नवीनतम जानकारी के अनुसार प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक और आश्रम की संख्या तथा इनमें उपलब्ध स्थान इस प्रकार हैं-

तालिका - 4.1

मध्यप्रदेश में संचालित पूर्व मैट्रिक, मैट्रिकोत्तर छात्रावासों तथा आश्रमों की संख्या तथा उपलब्ध स्थान

	प्री-मैट्रिक	मैट्रिकोत्तर	आश्रम	योग
छात्रावासों की संख्या	198	34	241	449
उपलब्ध स्थान	7539	1710	13279	20024

तहसील एवं जिलास्तरीय छात्रावासों में स्वीकृत सीट से अधिक छात्र/छात्राएं निवास करते हैं।

भारत सरकार के अनुसार, अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिए छात्रावासों का कार्यक्रम तीसरी पंचवर्षीय योजना से शुरू हुआ। इस योजना के मुताबिक केन्द्र शासित प्रदेशों को छोड़कर सभी राज्यों के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की सहायता का अनुपात 50:50 का होता है। केन्द्र शासित प्रदेशों के मामले में केन्द्र की सहायता राशि 100 प्रतिशत तक होती है। इस प्रकार की सहायता 100 सीटों वाले छात्रावासों के लिए है।

इन छात्रावासों के केन्द्रीय सहायता की गुंजाइश और तरीका

- इस प्रकार के छात्रावास माध्यमिक, मैट्रिक, कालेज और विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा के लिए बनाए जा सकते हैं।
- पहले से ही संचालित छात्रावासों के विस्तार के लिए भी इस प्रकार की सहायता दी जाती है।
- इस योजना के अंतर्गत निर्मित छात्रावासों में अधिकतम 100 सीटें हो सकती हैं।
- इस योजना के अनुसार छात्रावासों के लिए राज्यों को 50 प्रतिशत और केन्द्र शासित प्रदेशों के 100 प्रतिशत तक केन्द्रीय मिलती है।
- इस छात्रावास योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा नि:शुल्क भूमि उपलब्ध कराई जाती है छात्रावास निर्माण के लिए पी, डब्ल्यू, डी, या सी. पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा निर्धारित दर पर राशि उपलब्ध कराई जाती है।

मैट्रिकोत्तर सन छात्रा-छात्राओं के लिए किराए के मकान की व्यवस्था की जाती है, जिन्हें स्थानाभाव के कारण छात्रावासों में प्रवेश नहीं मिल पाता। सन् 1997-98 में ऐसे 1158 छात्रगृह थे जिनमें 6829 छात्रो को लाभ मिला।

4.4 छात्रावासों से संदर्भ में मूल उद्देश्यों से भटकाव की स्थिति :

विभागीय छात्रावासों एवं आश्रम स्कूलों के जिन मूल उद्देश्यों का सांकेतिक जिक्र पूर्व में किया गया है, अपवाद को छोड़ अधिकांश संस्थाएं इन मूल उद्देश्यों से भटक गई प्रतीत होती हैं और इनके वर्तमान संचालन की स्थिति से कुल मिलाकर जो संदेश मिल रहे हैं या धारण बन रही है - वह यही कि वे संस्थाएं औपरिकताओं को ही पूरा कर रही हैं। चूंकि खुल गई है, इसलिए चलना तो उनकी नियति है, लेकिन सही मायने में आवासयी संस्था के इस तरह चलने को वास्तविक रूप से चलना नहीं माना जा सकता। इन संस्थाओं के पर्यावरण की न तो अधीक्षकों को चिंता रहती है और न 17-18 घंटे उनमें रहने वाले विद्यार्थियों को। ज्यादातर संस्थाओं में प्रवेश करते ही तुरंत बाहर निकलने की भावना मन में आने लगती है। मन करता है, ठीक से सफाई नहीं होती, कमरे धूल, कचरे से भरे पाये जाते हैं और दीवारें ऐसे चित्रों से पटी पड़ी हैं जो विद्यार्थियों को कोई सदप्रेरणा नहीं देतीं। बाथरुम की दुर्दशा का उल्लेख करना ही बेकार है। संस्थाओं में कम से कम एक कमरा कबाड़े के हवाले कर दिया जाता है, जो वर्षों निरुपयोगी पड़ा रहता है।

अधिकारियों की बैठकों में इस बात पर गहरा दु:ख प्रकट किया जाता रहा है कि कबाड़े में ऐसा फर्नीचर भी शामिल पाया जाता है, जो एक कील ठोक देने मात्र से सही हो सकता है। बहुत सी संस्थाओं के परिसर में जमीन और पानी की व्यवस्था है फिर भी पेड़ पौधे बागवानी की कोई सोच नहीं है। अब तो

कई संस्थाओं की खाली पड़ी जमीन पर अतिक्रमण की नौबत आ गई है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी अधीक्षक की तरफ जाती है। विद्यार्थियों के लिये खाने-पीने और रहने तथा हिसाब-किताब की व्यवस्था करने तक ही उन्होंने अपने को सीमित मान लिया है। आम अधीक्षक संस्था के विद्यार्थियों के प्रति अभिभावक व शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका को भुला बैठे हैं। अधीक्षकों और परोक्षा रूप से सुपरवायजरी स्टाफ की उदासीनता के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई और उनके संस्कार, दोनों विपरीत रूप से प्रभावित हो रहे है। मैट्रिकोत्तर छात्रावासों में निषेध कारकों का प्रवेश शुरू हो गया है। बाहरी लोगों की आवाजाही छात्रावासों की व्यवस्था, पवित्रता और अनुशासनवृत्ति को भंग कर रही है। भोपाल के एक छात्रावास में अनाधिकृत रूप से रहने वाले युवक ने एक छात्र की हत्या कर दी थी। दूसरा कारण इस स्थिति के पीछे है – मोटीवेशन की कमी। अधीक्षक मोटीवेशन के लिए समय ही नहीं निकालते। ऐसी दशा में विद्यार्थियों से "कुछ अच्छा" करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। सही रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी तो अधीक्षक की है, इससे वह मुक्त नहीं हो सकता। बंधे-बंधाये कुछ घंटे ड्यूटी की और फुर्सत पा गये, इस मनोवृत्ति से काम लेकर अधीक्षक किसी के साथ भी न्याय नहीं कर पायेंगे। छात्रावास/आश्रम एक परिवार की तरह है। जिस तरह परिवार का मुखिया अपने परिवार की चौबीसों घंटे चिन्ता करता है ठीक उसी प्रकार अधीक्षक को भी संस्था और संस्था के बच्चों की चिन्ता करनी होगी, इसी में उनके पद की सार्थकता है।

4.5 गुणात्मक सुधार की गुंजाईश है :

विभागीय छात्रावास/आश्रमों की सामान्य तस्वीर अंसतोषजनक और खटकने वाली जरूर है, लेकिन निराश हो बैठे रहने की परिस्थितियां नहीं है। सरकार और विभाग के अधिकारी, पर्यवेक्षण कर्मचारी और अधीक्षक सच्चे मन से दृढ़ संकल्प कर लें तो एक सत्र में व्यवस्था में काफी सुधार लाया जा सकता है। इन दिनों इस प्रकार के व्यापक सुधार के लिए काफी अनुकूल स्थितियां भी जिला स्तर पर उलपब्ध हैं। पंचायतीराज व्यवस्था लागू होने से इस सुधार कार्यक्रम को पूरी मदद और जनभागीदारी सहज ही मिल जाने की उम्मीद है। लेकिन इन संस्थाओं की संचालन व्यवस्था में सुधार के लिये मूल आवश्यकता पैसा नहीं, अपितु मोटीवेशन, दृढ़ निश्चय और निश्चय को उसकी अंतिम परिणति तक पहुंचाने की ईमानदार कोशिश की जरूरत है। अधीक्षक यदि अपनी संस्था की व्यवस्थाएं सुधार लें तो भरपूर स्थानीय जन सहयोग भी उपलब्ध हो सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरत है- जन सहयोग के लिये विश्वसनीयता पैदा करने की।

4.6 योजना का स्वरूप :

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र जो कक्षा छः से कक्षा दस में अध्ययनरत हैं। प्री-मैट्रिक छात्रावास में निवास करते है एवं उसके ऊपर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राएं मैट्रिकोत्तर छात्रावास में निवास करते हैं। प्रत्येक छात्रावास में, मुफ्त आवास फर्नीचर, पानी, रोशनी, रसोई का समान, चतुर्थ

श्रेणी कर्मचारी की सेवा तथा एक अधीक्षक की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। छात्रावास में निवासरत छात्र-छात्राओं को शिष्यवृत्ति दी जाती है। शिष्यवृत्ति स्वीकृत करने के लिये सहायक आयुक्त, शाला प्राचार्य, जिला संयोजक तथा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सक्षम हैं। शिष्यवृत्ति के अतिरिक्त प्रत्येक छात्र/छात्रा को राज्य छात्रवृत्ति क्रमश: रुपये 30 एवं रुपये 40 कक्षा 9वीं तथा 10वीं के लिये तथा रुपये 20 एवं रुपये 30 प्रतिमाह कक्षा 6वीं से 8वीं तक प्राप्त करने की पात्रता रहती है। बालक को 350 रुपये प्रतिमाह और बालिका को 360 रुपये प्रतिमाह 10 माह के लिए शिष्यवृत्ति देय है। पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में निजी उपयोग में आने वाली सामग्री के स्थान पर निम्नानुसार दर से आगमन भत्ता देय है :-

छात्रावास के प्रवेश के प्रथम वर्ष में	500 रुपये
छात्रावास के प्रवेश के द्वितीय वर्ष में	250 रुपये
छात्रावास के प्रवेश के तृतीय वर्ष में	200 रुपये
कुल	950 रुपये

इसके अतिरिक्त पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में विद्युत व्यय की पूर्ति हेतु प्रति छात्र प्रतिमाह 25 यूनिट का व्यय शासन द्वारा वहन किया जाता है।

4.7 हितग्राही चयन प्रक्रिया :

शैक्षणिक क्षेत्र में विद्यालय खुलने के पश्चात् प्रतिवर्ष इच्छुक छात्र-छात्रा से आवेदन पत्र प्राप्त किये जाते हैं, जिन्हें शैक्षणिक संस्था के प्रमुख के माध्यम से छात्रावास अधीक्षक के पास जमा किया जाता है। पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों के लिए पिछले वर्ष के छात्र-छात्राओं को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाती है। शेष स्थानों के लिये प्रवेश समिति की अनुशंसा पर जिला कलेक्टर छात्रावास में प्रवेश देते हैं। प्री-मैट्रिक छात्रावासों में कक्षा 6 से 10 वीं के नवीनीकरण के लिये पात्र विद्यार्थियों के प्रवेश उपरान्त शेष रिक्त स्थानों के 1/3 भाग पर कक्षा 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों को भी प्रवेश दिये जाने का प्रावधान है। कलेक्टर द्वारा प्रवेश समिति की अनुशंसा पर स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है।

4.8 पंचायत संस्थाओं की भूमिका :

1. क्षेत्र में आने वाले विभागीय छात्रावासों का निरीक्षण का कार्य ग्राम, ग्राम पंचायत, उसकी विशेष समिति अथवा उसके द्वारा अधिकृत सदस्यों द्वारा किया जायेगा।
2. जनपद पंचायत को उनके क्षेत्र में छात्रावासों क संचालन तथा छात्रावास के मेस संचालन, प्रवेश तथा रख-रखाव पर निगरानी का अधिकार है।

छात्रावासों के अधीक्षक जिला पंचायत/जनपद पंचायत के नियंत्रण में रहते हैं।

अध्ययन के लिए प्राप्त आँकड़ों का विश्लेषण

अ. क्र.	जिलावार / जिला	छात्रावास		स्वीकृत स्थान		निवासरत छात्राएं		सम्पल छात्राएं		सम्पल अधीक्षिकाएं	
		प्री-मैट्रिक	पोस्ट-मैट्रिक	प्री-मैट्रिक	पोस्ट-मैट्रिक	प्री-मैट्रिक	पोस्ट-मैट्रिक	प्री-मैट्रिक	पोस्ट-मैट्रिक	प्री-मैट्रिक	पोस्ट-मैट्रिक
1.	भोपाल	1	3	20	150	60	150	11	8	1	1
2.	रायसेन	5	—	130	—	80	—	10	—	1	—
3	होशंगाबाद	1	1	70	50	50	50	5	5	1	1
4.	हरदा	1	—	50	—	50	—	6	—	1	—
5.	बैतूल	8	2	310	100	366	—	10	10	1	1
6.	खंडवा	4	1	100	50	130	—	5	6	1	1
7.	इंदौर	1	2	40	150	40	—	10	13	—	1
8	खरगौन	14	1	615	50	378	—	5	18	1	2
9.	झाबुआ	24	3	890	200	890	—	—	3	1	1
10.	धार	23	3	835	150	905	—	9	19	1	1
11.	बडवानी	11	2	510	100	460	—	17	11	1	1
12.	शहडोल + अनूपपुर	12	1	455	—	200	—	13	14	1	1
13.	डिंडोरी	9	1	314	50	304	—	—	—	—	—
14.	उमरिया	2	1	130	—	37	—	17	—	2	—
15.	बालाघाट	7	2	440	100	390	—	8	28	3	2
16.	सिवनी	13	2	540	100	540	—	20	11	3	2
17.	नरसिंहपुर	1	—	30	—	30	—	15	—	2	—
18.	छिंदवाड़ा	13	1	575	50	575	—	9	19	4	2
कुल	18 जिले	150	26	6054	1300	5485	200	170	165	25	17

छात्राओं हेतु निदर्श (सैम्पल) का आकार (संख्या)

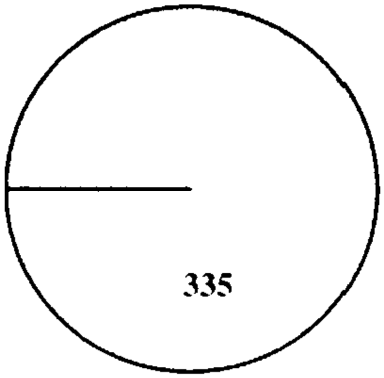

कुल निदर्श (सैम्पल) में से मैट्रिक पूर्व एवं मैट्रिक पश्चात छात्रावास की छात्राओं की संख्या

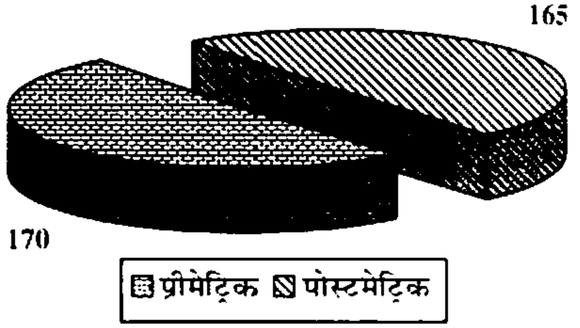

छात्रावासों के अध्ययन के लिए म. प्र. के 48 जिलों के छात्रावासों में रह रही 9249 छात्राओं में से सैम्पल सर्वेक्षण पद्धति के अनुसार 19 जिलों के 34 छात्रावासों में रह रही कुल 335 छात्राओं से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर 'स्पंदन' संस्था द्वारा निर्धारित प्रपत्र 'क' (छात्राओं हेतु) छात्राओं से जानकारी एकत्रित, की गई। उपरोक्त चित्र 'अ' के अनुसार कुल छात्राओं में से 170 पोस्ट मैट्रिक एवं 165 प्री-मैट्रिक स्तर की छात्राओं से जानकारी एकत्रित की गई। प्रश्नावली के आधार पर उपरोक्त वर्णित छात्राओं से प्राप्त जानकारी को कम्प्यूटर साफ्टवेयर के द्वारा विभिन्न विषयों पर वस्तु स्थिति को विभिन्न तुलनात्मक चित्रों एवं तालिकाओं के रूप में दर्शाया गया है।

जिलावार - सेम्पल संख्या

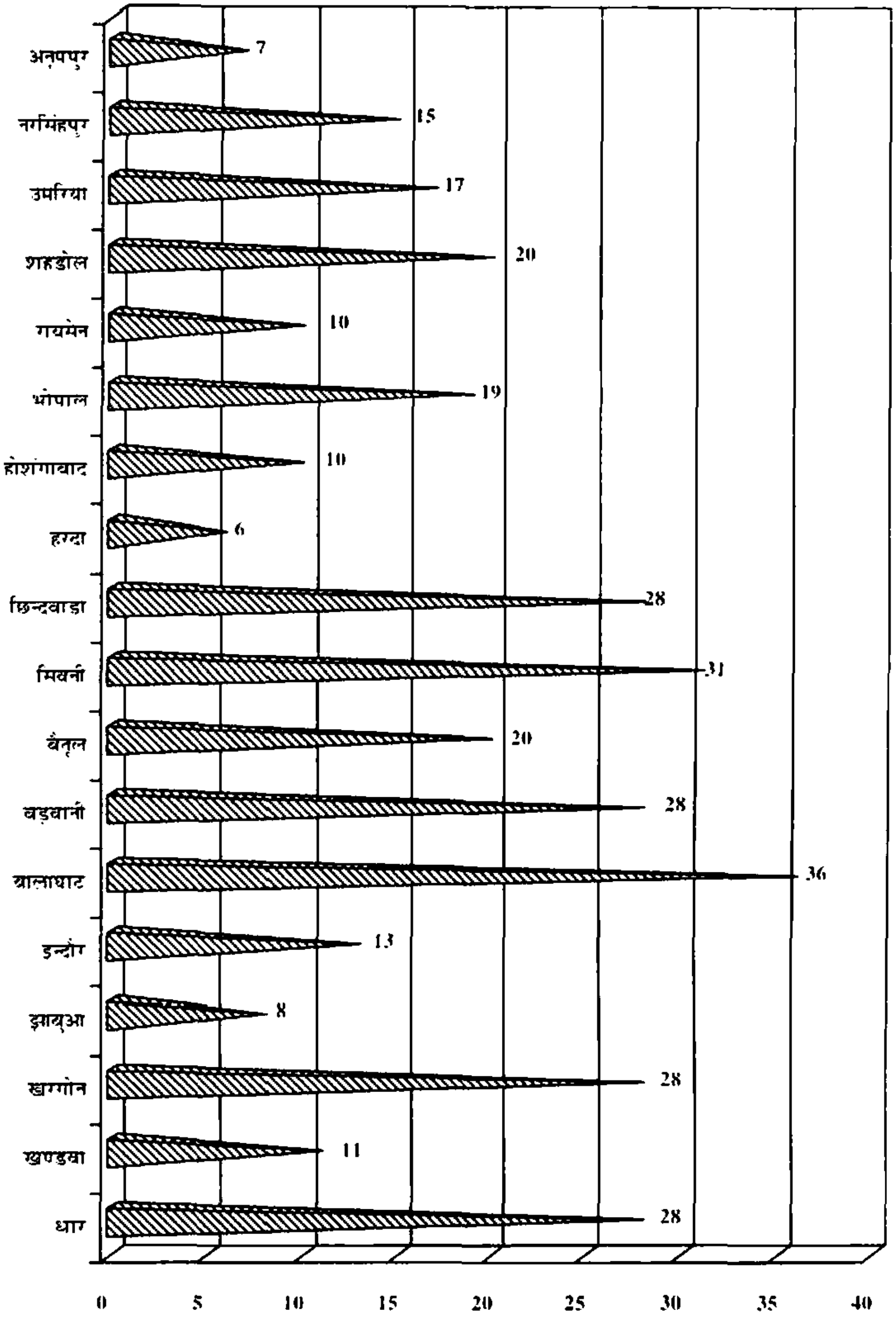

छात्रावासों की कुल स्वीकृत क्षमता की वास्तवितक संख्या से तुलना

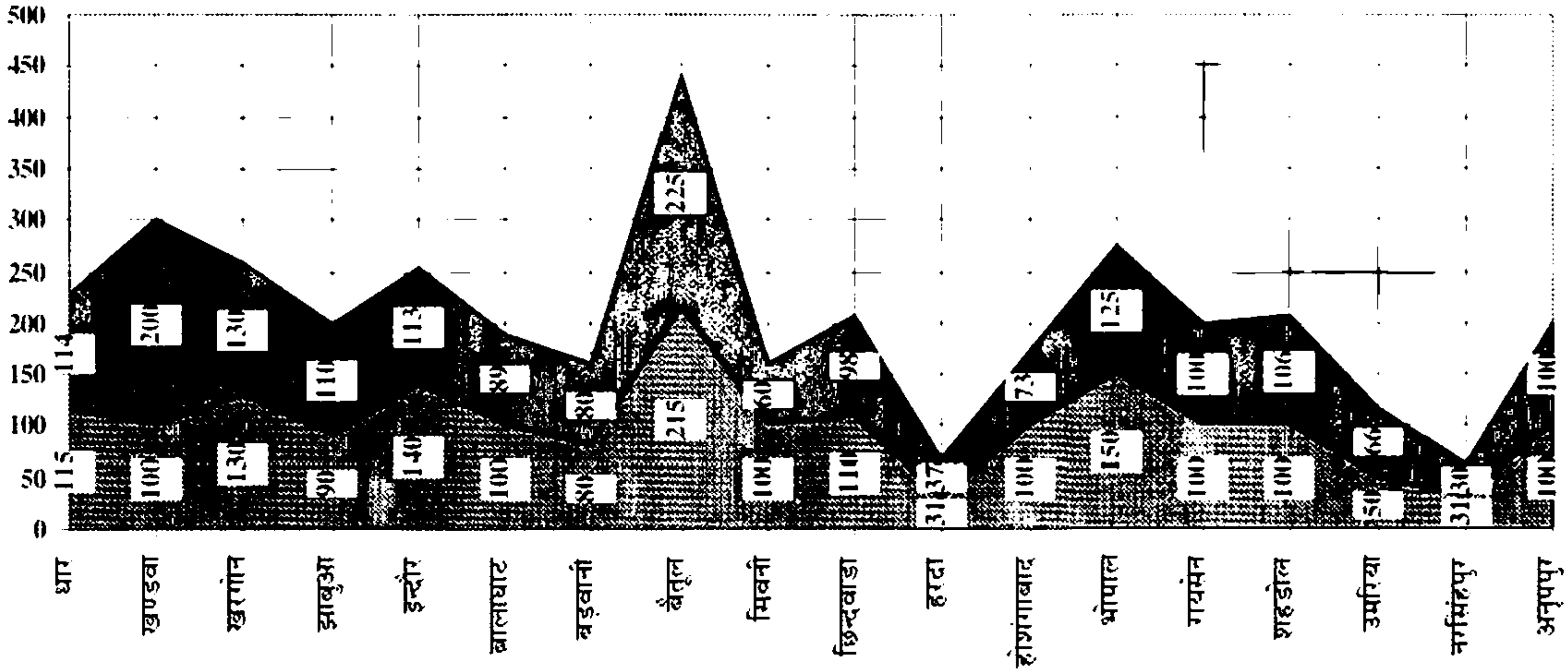

इस चित्र से यह स्पष्ट हो रहा है कि विभिन्न जिलों में चयनित छात्रावासों के सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया कि स्वीकृत क्षमता के मुताबिक छात्राएं निवास नहीं कर रही हैं। कई छात्रावासों में या तो स्वीकृत क्षमता से अधिक बालिकाएं रह रही हैं या कई में स्वीकृत स्थान पूरे नहीं भर पाये। इसके कारणों की तलाश किया जाना आवश्यक है। अध्ययन के दौरान यह पाया गया कि जिन छात्रावासों में सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है, जहां की प्रबंधन व्यवस्था अच्छी है और जो छात्रावास जिला या तहसील केन्द्र पर हैं वहां स्वीकृत स्थान से ज्यादा छात्राएं रह रही है। जहां छात्रावासों में आवश्यक सुविधाओं की कमी है, प्रबंधकीय व्यवस्था ठीक नहीं है, और छात्रावास जिला या तहसील केन्द्र से दूर हैं या फिर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों मे बहुत दूरी है, वहां पर क्षमता से कम छात्राएं निवासरत पाई गई हैं।

छात्रावासों में अनु.जन जाति हेतु स्वीकृत क्षमता एवं रहनेवाली अ.ज.जा. की छात्राऐं

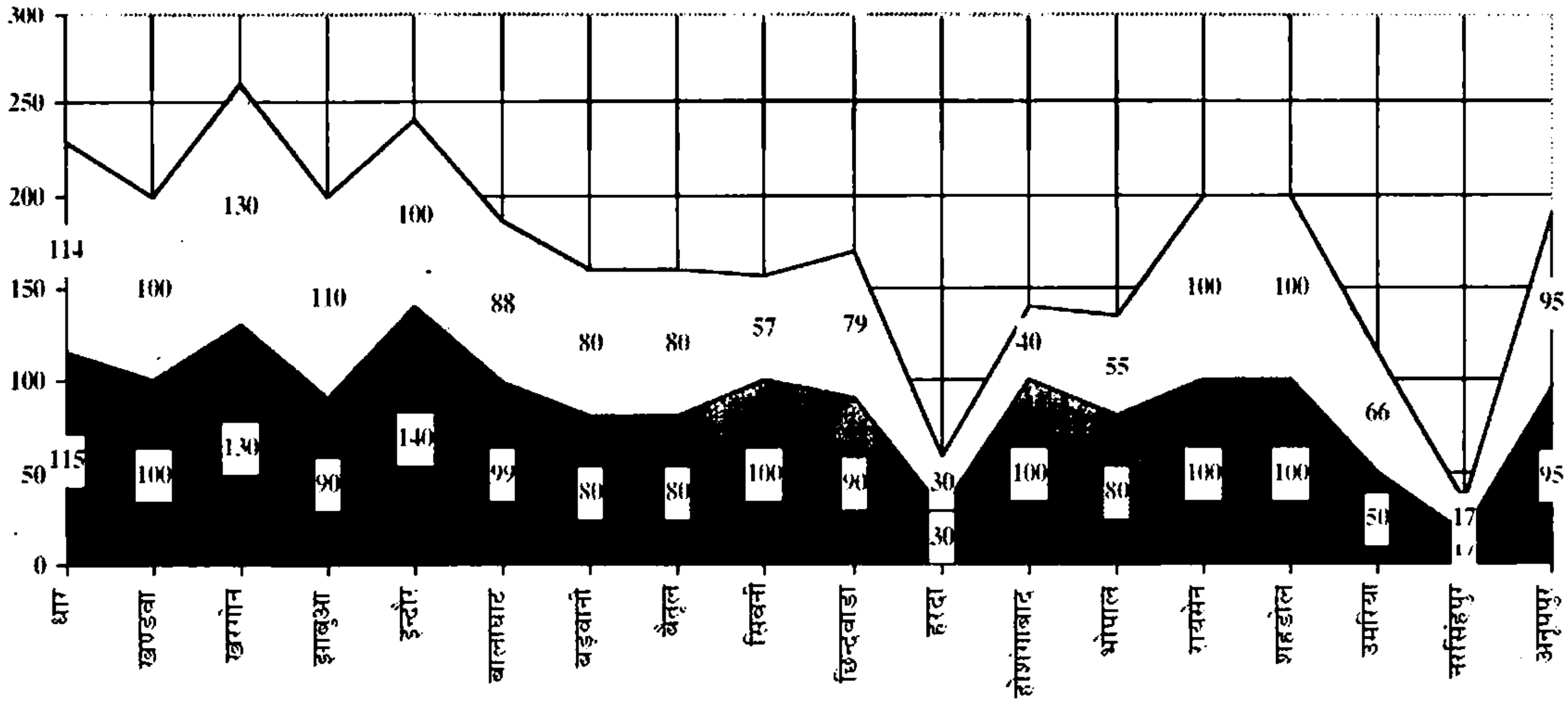

चित्र से यह प्रदर्शित हो रहा है कि अधिकांश जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के लिए स्वीकृत स्थानों की तुलना में निवासरत छात्राएँ या तो बराबर है या फिर ज्यादा हैं। यहां उल्लेख करना उपयुक्त होगा कि अनुसूचित जन जाति बालिकाओं और उनके अभिभावकों में शिक्षा व प्रशिक्षण के प्रति जहां रूझान बढ़ा है वहीं वे सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का भरपूर उपयोग भी कर रहे हैं अब इस बात का पता लगाने की जरूरत है कि कहीं छात्रावास में स्थानों की उपलब्धता अपेक्षा या मांग की तुलना में कम तो नहीं हो रही हैं?

प्रीमेट्रिक छात्रावासों में अनु.जन जाति हेतु स्वीकृत क्षमता एवं रहनेवाली अ.ज.जा. छात्राएं

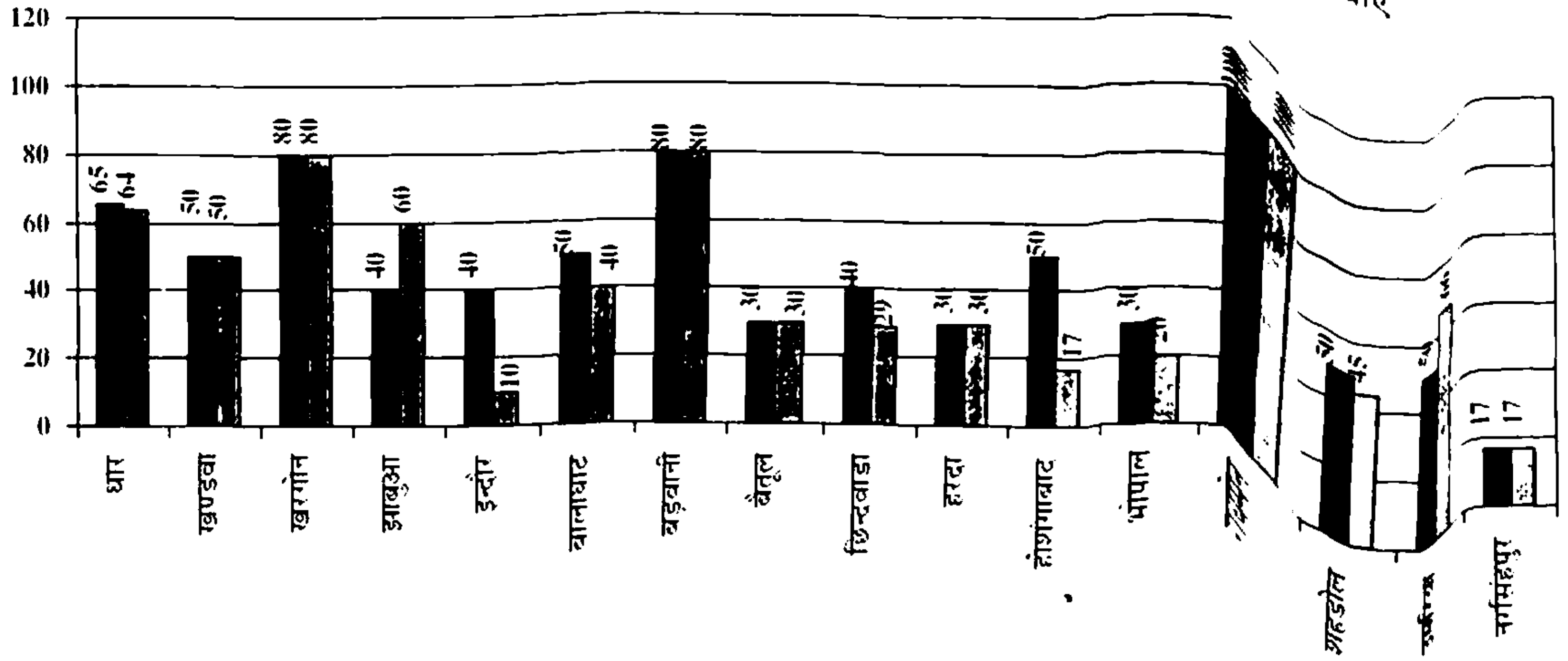

पोस्टमैट्रिक छात्रावासों में अनु.जन जाति हेतु स्वीकृत क्षमता एवं रहनेवाली अ.ज.जा. छात्राएं

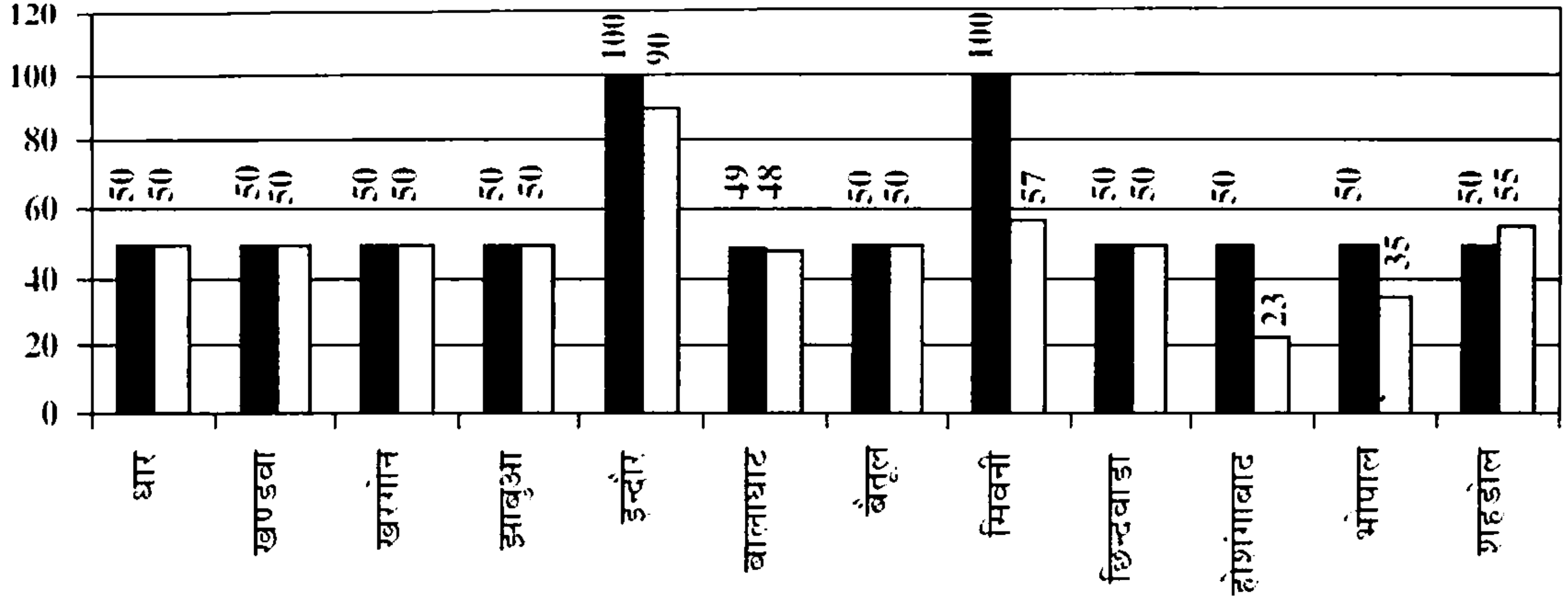

छात्रावासों के एक कमरे में निवास कर रही छात्राओं का जिलावार औसत

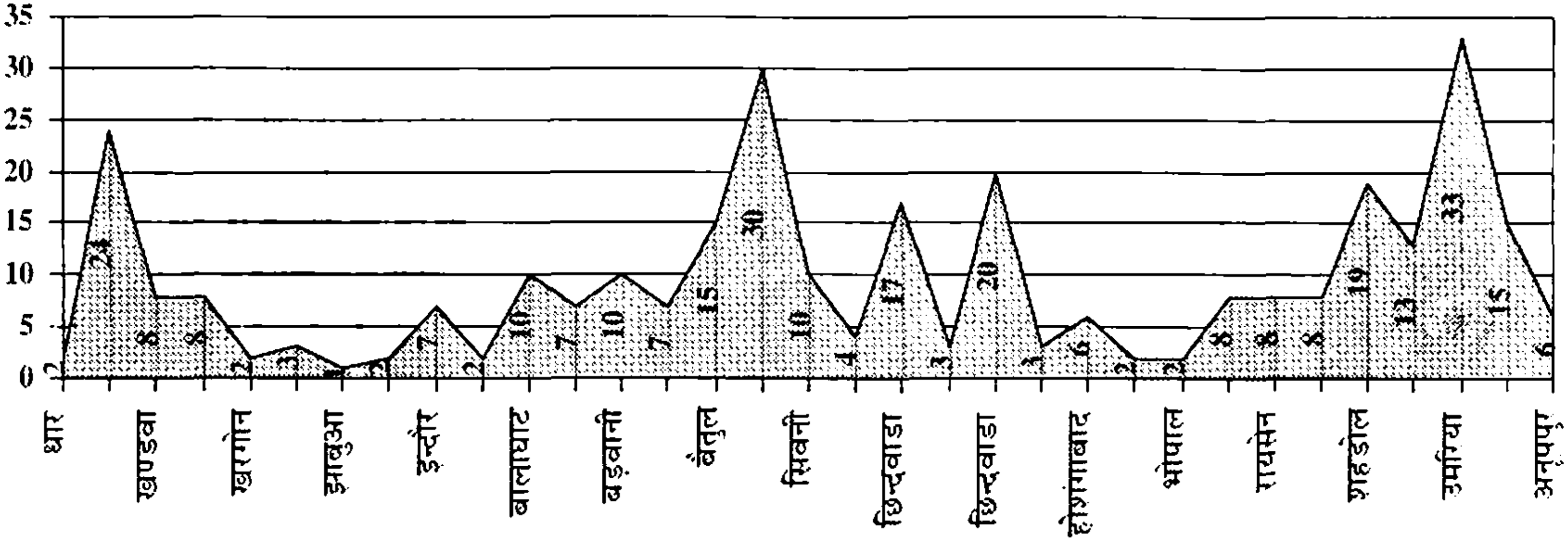

नोट: सामन्यत: छात्रावासों में कमरों के आकार में भिन्नता पाई गई। कई छात्रावासों में कमरों की जगह विभिन्न आकार के हालों का उपयोग किया जा रहा है।

इस चित्र में निदर्शों (सैम्पल) के आधार पर किए गए सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि विभिन्न जिलों में छात्रावास में निवास की क्या व्यवस्था है ? इस प्रश्न से एक उल्लेखनीय जानकारी प्राप्त होती है कि एक कमरे में 3 से लेकर 33 छात्राएं तक निवास कर रही हैं। कई स्थानों पर निवास और अध्ययन कक्ष के रूप में हॉल का उपयोग किया जाना पाया गया। गौरतलब है कि छात्रावासों में छात्रावास हेतु आदर्श मापदण्डों के अनुरूप आवासीय व्यवस्था नहीं होना एवं शासन के नियमों के अनुसार एक समान अधोसंरचना या व्यवस्था नहीं है। एक कमरे या हॉल में एक साथ कई छात्राओं के रहने से उनके स्वास्थ्य और अध्ययन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। एक साथ, एक कमरे या हॉल में निर्धारित मानदंडों से अधिक छात्राओं का रहना उनके सर्वांगीण विकास को अवरूद्ध कर सकता है।

पैत्रिक ग्राम से कितने कि.मी. की दूरी के छात्रावास में रह रहीं हैं, जनजातीय छात्राएं

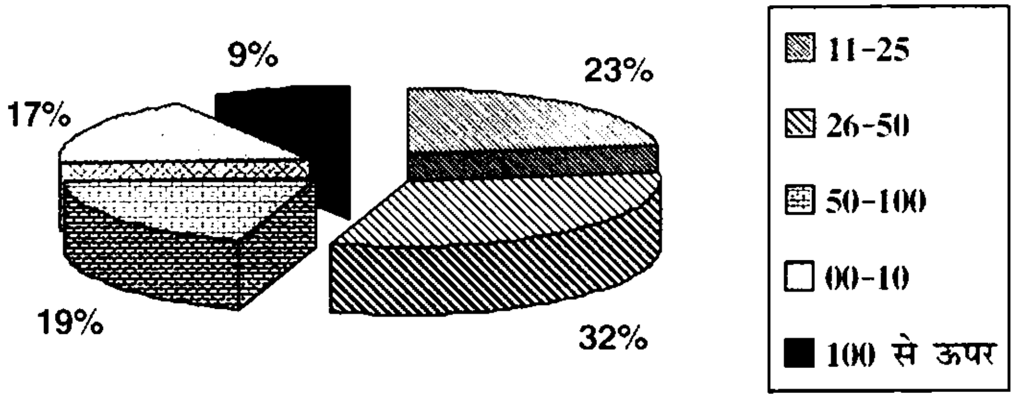

प्रश्नावली के अनु. क्र. 2.5 पर छात्रावास में निवासरत छात्राओं को उनके पैत्रिक ग्राम की दूरी ज्ञात कर पांच समूहों में दर्शाया गया है कि छात्रावास से 10 कि.मी. की परिधि की 17 प्रतिशत छात्राएं हैं, जबकि 11-25 कि.मी. की दूरी की 23 प्रतिशत छात्राएं हैं एवं सबसे अधिक संख्या 32 प्रतिशत 20–50 कि.मी. की दूरी के ग्रामों से आई हुई हैं और आश्चर्यजनक रूप से 19 प्रतिशत आदिवासी बालिकाएँ शिक्षा के प्रति आकर्षित हो कर अपने पैत्रिक ग्राम से 50 से 100 कि.मी. या अधिक की दूरी पर रह कर शिक्षा गृहण कर रही हैं। यह संख्या प्रदेश के आदिवासी समाज में शिक्षा के प्रति रूचि को दर्शाती है, और अन्य चित्र से यह स्पष्ट होता है कि प्रायः सभी छात्रावासों में जनजातीय छात्राएं स्वीकृत स्थान से अधिक दूरी पर रह कर शिक्षा प्राप्त कर रहीं है या फिर उनकी संख्या स्वीकृत स्थान के बराबर है। यह भविष्य के लिए सुखद लक्षण है। अर्थात शासन को यदि इस समाज में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना है तो छात्रावासों की संख्या एवं क्षमता की आवश्यकता पर शीघ्र ध्यान देना होगा।

जिलावार : छात्रावास से छात्राओं के पैत्रिक ग्राम की दूरी

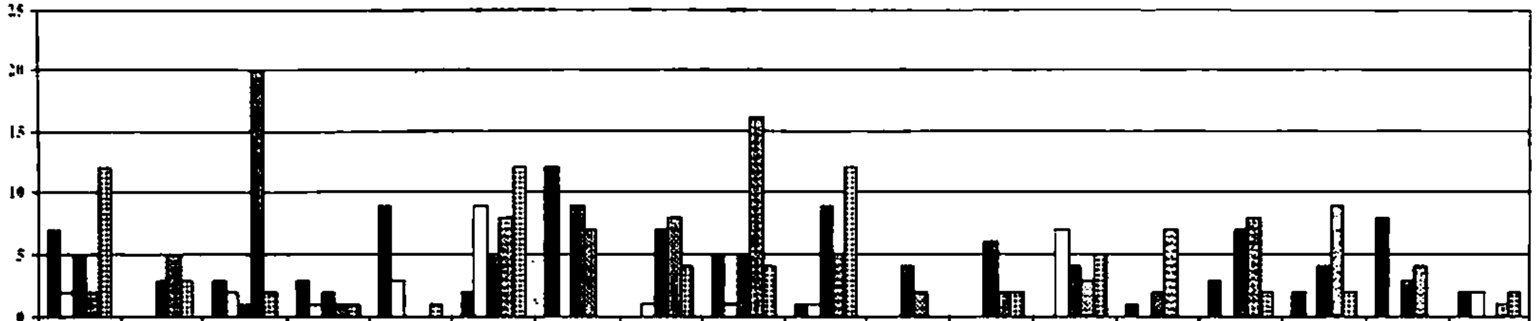

	धार	खण्डवा	खरगोन	झाबुआ	इन्दौर	बालाघाट	बड़वानी	बैतूल	सिवनी	छिन्दवाड़ा	हरदा	होशंगाबाद	भोपाल	रायसेन	शहडोल	उमरिया	नरसिंहपुर	अनूपपुर
00-10	7		3	3	9	2	12		5	1				1	3	2	8	2
100 से ऊपर	2		2	1	3	9		1	1	1			7					2
11-25	5	3	1	2		5	9	7	5	9	4	6	4	2	7	4	3	
26-50	2	5	20	1		8	7	8	16	5	2	2	3	7	8	9	4	1
51-100	12	3	2	1	1	12		4	4	12		2	5		2	2		2

छात्रावासों में खेल-कूद सुविधाएं

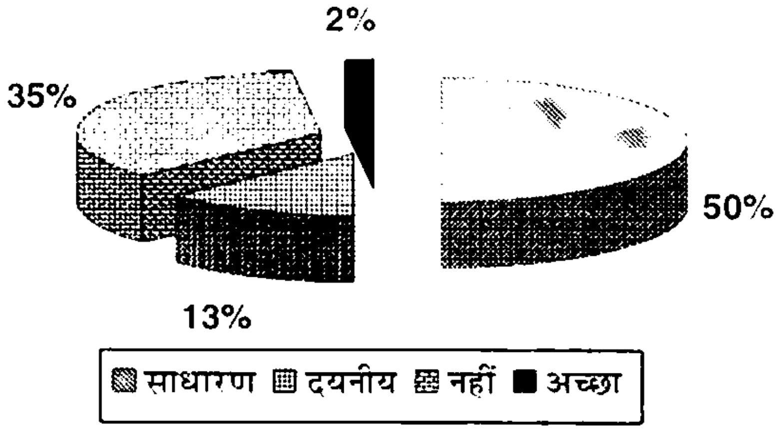

प्रश्नावली के अनु. क्र. 3.10 के उत्तर में सर्वाधिक दुखद पक्ष सामने आता है कि 35 प्रतिशत छात्राओं के अनुसार उनके छात्रावासों में खेलकूद आदि व्यक्तित्व विकास की गतिविधियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और न उनके लिए व्यवस्थापकों द्वारा कोई प्रयास किए जा रहें हैं। इसके साथ-2 50 प्रतिशत छात्राओं के द्वारा उनके छात्रावासों में यह सुविधाएं साधारण (अधिकांश नगण्य) बताई गई हैं।

सर्वविदित है कि बालिकाओं और छात्राओं के व्यक्तित्व विकास में अर्थात् जीवन में सफलता के लिए आवश्यक तत्वों में खेलकूद का पढ़ाई के बराबर स्थान होता है और यदि आदिवासी समाज की छात्राओं को ये सुविधाएं मुहैया नहीं की जाती हैं, तो ये छात्राएं इन छात्रावासों से वापस अपने समाज के बीच जाकर अपने व्यक्तित्व का विशेष प्रदर्शन करने में असमर्थ रहेंगी जोकि समाज के अन्य परिवारों की छात्राओं को पढ़ाई से विमुख करने का माध्यम बन सकती थीं।

जिलावार – छात्रावासों में खेल–कूद सुविधाऐं

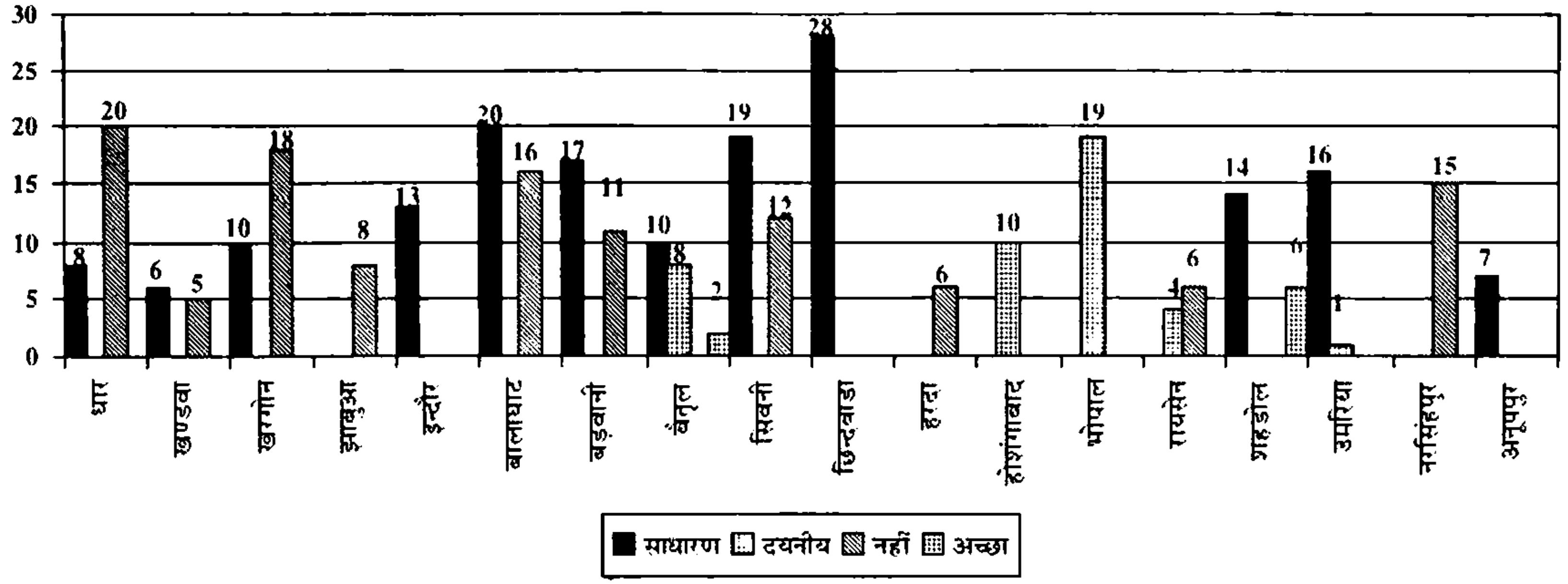

आदिवासी स्कूली छात्राओं हेतु छात्रावास भवन की व्यवस्था

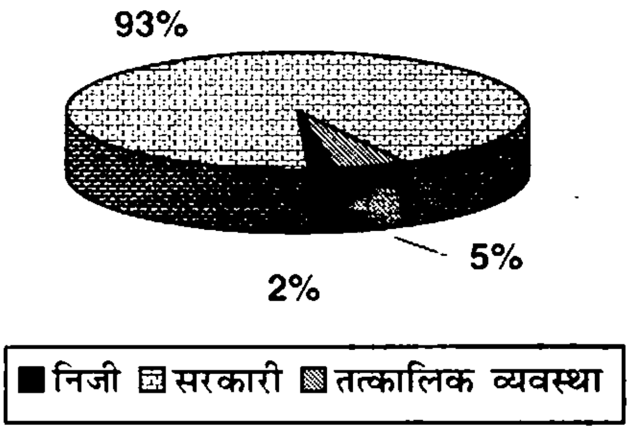

प्रश्नावली के अनु. क्र. 31 पर प्राप्त जानकारी का विश्लेषणात्मक चित्र दर्शाता है कि छात्रावासों में से 93 प्रतिशत छात्रावास शासकीय भवनों में हैं अर्थात् प्रदेश में छात्रावास भवनों के लिए आधारभूत अधोसंरचना बहुत अच्छी है। परन्तु इसमें अतिप्रसन्न होने का कोई कारण इसलिए नहीं रह जाता है क्योंकि इतनी बड़ी राशि व्यय करने के बाद भी प्रश्नावली में व्यवस्था एवं संचालन संबंधी प्रश्नों पर बहुत उत्साहजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं इस पर विचार करना होगा। अब केवल श्रेष्ठ व्यवस्था और अच्छे संचालन हेतु इच्छुक और समर्पित प्रबंधकों पर ध्यान केन्द्रित कर उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।

साथ वाले चित्र में भवनों के उपरोक्त आकड़ों का जिलेवार विश्लेषण किया गया है एवं संख्या दी गई है।

जिलावार छात्रावास भवनों की स्थिति

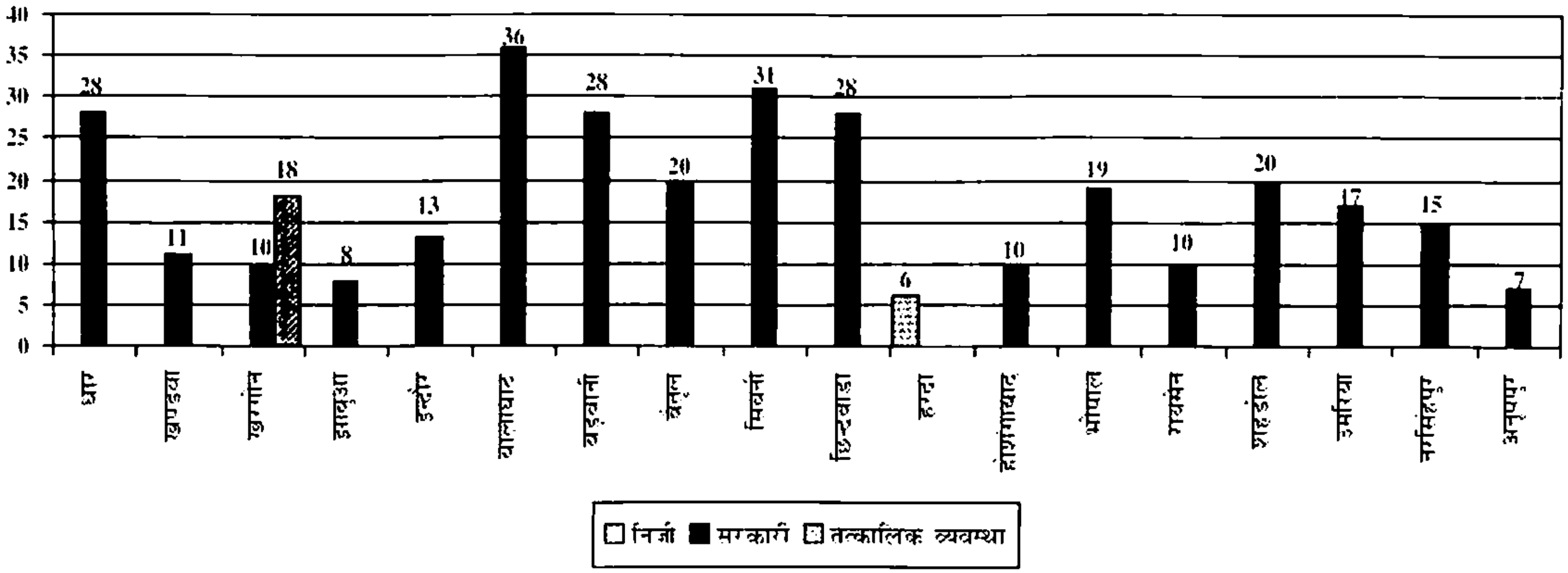

छात्रावासों में अध्ययन कक्ष की उपलब्धता

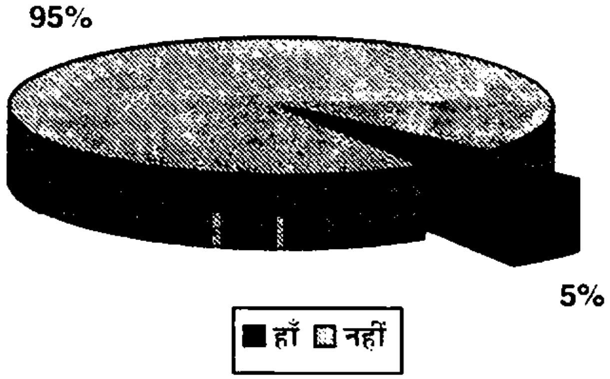

प्रश्नावली के अनु.क्र. 3.4 के द्वारा छात्रावासों में उपलब्ध स्थान के व्यवस्थित एवं अध्ययन के वातावरण के दृष्टिकोण से छात्राओं के लिए पृथक अध्ययन कक्ष को सुविधा के बारे में लगभग 95 प्रतिशत छात्राओं ने बताया कि उनके छात्रावास में अध्ययन हेतु पृथक से कोई अध्ययन कक्ष नहीं है। अपने निवास के स्थान पर ही अध्ययन का कार्य भी करना पड़ता है। आंकड़ें को देखने पर वास्तव में यह एक दुखद स्थिति और प्रशासनिक अदूरदर्शिता है, कि जिन छात्रावासों को अध्ययनरत छात्राओं के लिए बड़ी राशि व्यय करते समय छात्रावासों के मूल उद्देश्यों अर्थात् अध्ययन के लिए मूलभूत आवश्यकता अर्थात् अध्ययन कक्ष का यदि प्रावधान ही नहीं रखा गया या फिर उसके प्रावधान होने पर भी उसका अन्य उपयोग किया जा रहा है तो कौन उत्तरदायी है, यह विचारणीय है। परन्तु छात्राओं को पृथक अध्ययन कक्ष उपलब्ध कराने की दिशा में सार्थक पहल किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

छात्रावासों में अध्ययन कक्ष की जिलेवार सुविधा

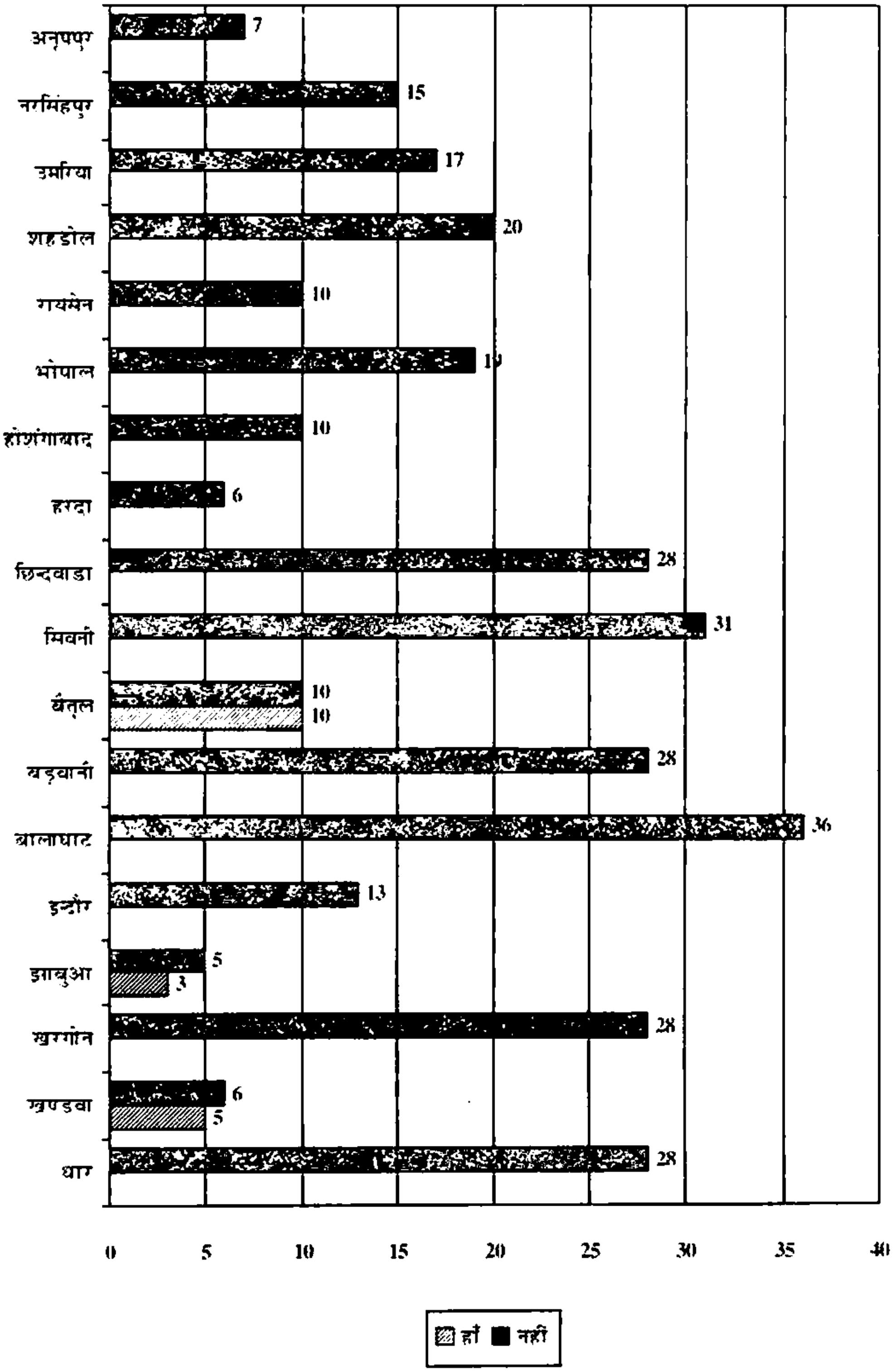

छात्रावासों में रसोईघर की उपलब्धता

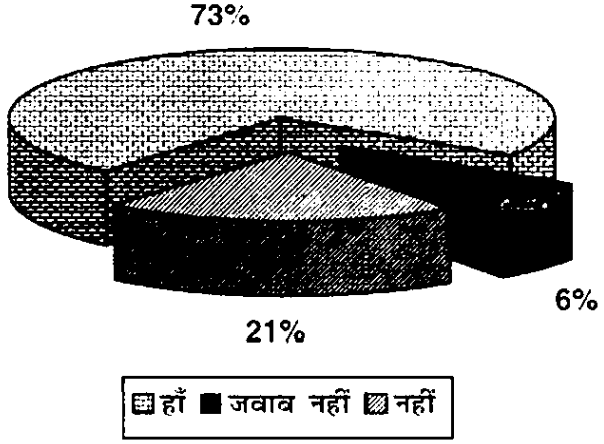

प्रश्नावली के अनु.क्र. 3.5 के द्वारा जाना गया कि छात्रावासों में रसोईघर उपलब्ध है या नहीं ? सुखद रूप से 73 प्रतिशत छात्राओं ने बताया कि उनके छात्रावास में यह व्यवस्था उपलब्ध है। 21 प्रतिशत छात्राओं के अनुसार उनके छात्रावासों में यह सुविधा वर्तमान में नहीं है। इसके कारण ज्ञात करने होंगे और छात्रावासों में निवासरत इन छात्राओं को रसोईघर की सुविधा छात्रावास में ही उपलब्ध कराई जाना होगी ताकि ये छात्राएं भी अपने अधिकाधिक समय को अध्ययन गतिविधियों में लगा सकें।

जिलावार छात्रावासों में रसोईघर की उपलब्धता

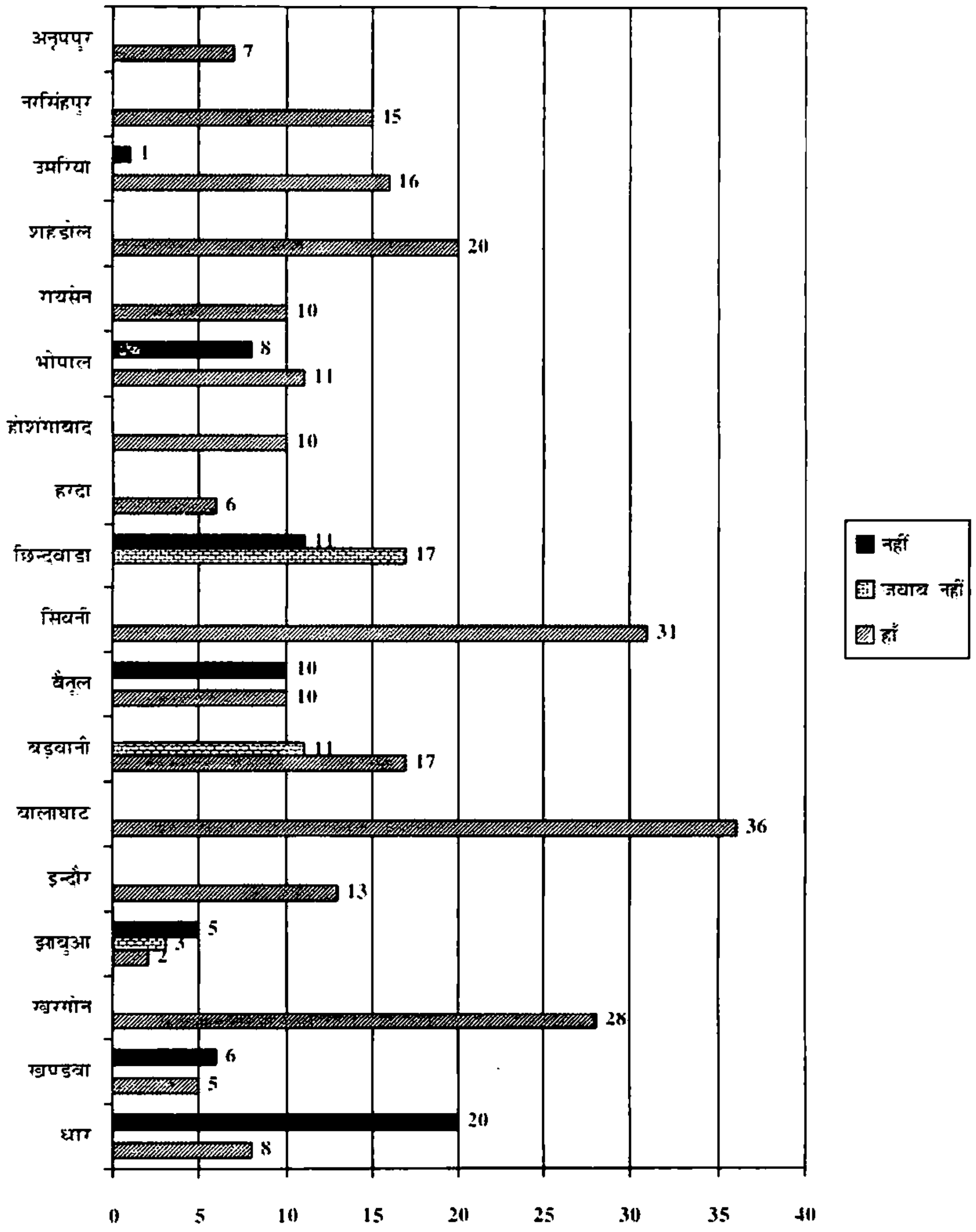

छात्रावासों में भोजन कक्ष की उपलब्धता

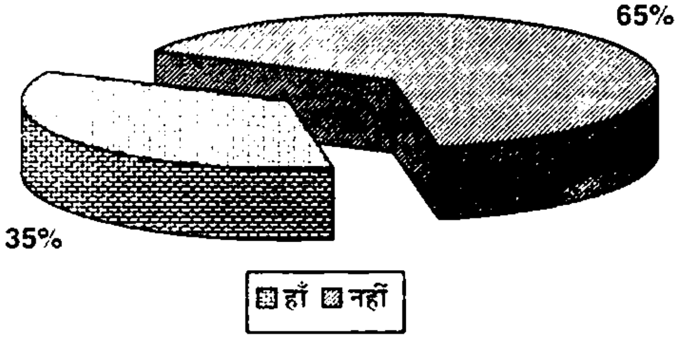

प्रश्नावली के अनु.क्रमाक 3.7 के द्वारा छात्रावास में भोजन कक्ष की उपलब्धता के बारे में 65 प्रतिशत बालिकाओं द्वारा यह बताया गया कि उनके छात्रावास में यह सुविधा उपलब्ध नही हैं। अर्थात छात्राएं अपने निवास कक्ष में ही भोजन भी कर रही हैं और अध्ययन कार्य भी करती हैं। यह अत्यधिक चिन्तनीय स्थिति है। यह अध्ययन के वातावरण निर्माण में बाधक होने के साथ-साथ छात्राओं में साफ-सफाई के गुणों के विकास में भी बाधक होगी।

इस दिशा में कोई मानक स्थापित कर दिशा निर्देश देने होंगे।

जिलावार छात्रावासों में भोजन कक्ष की उपलबधता

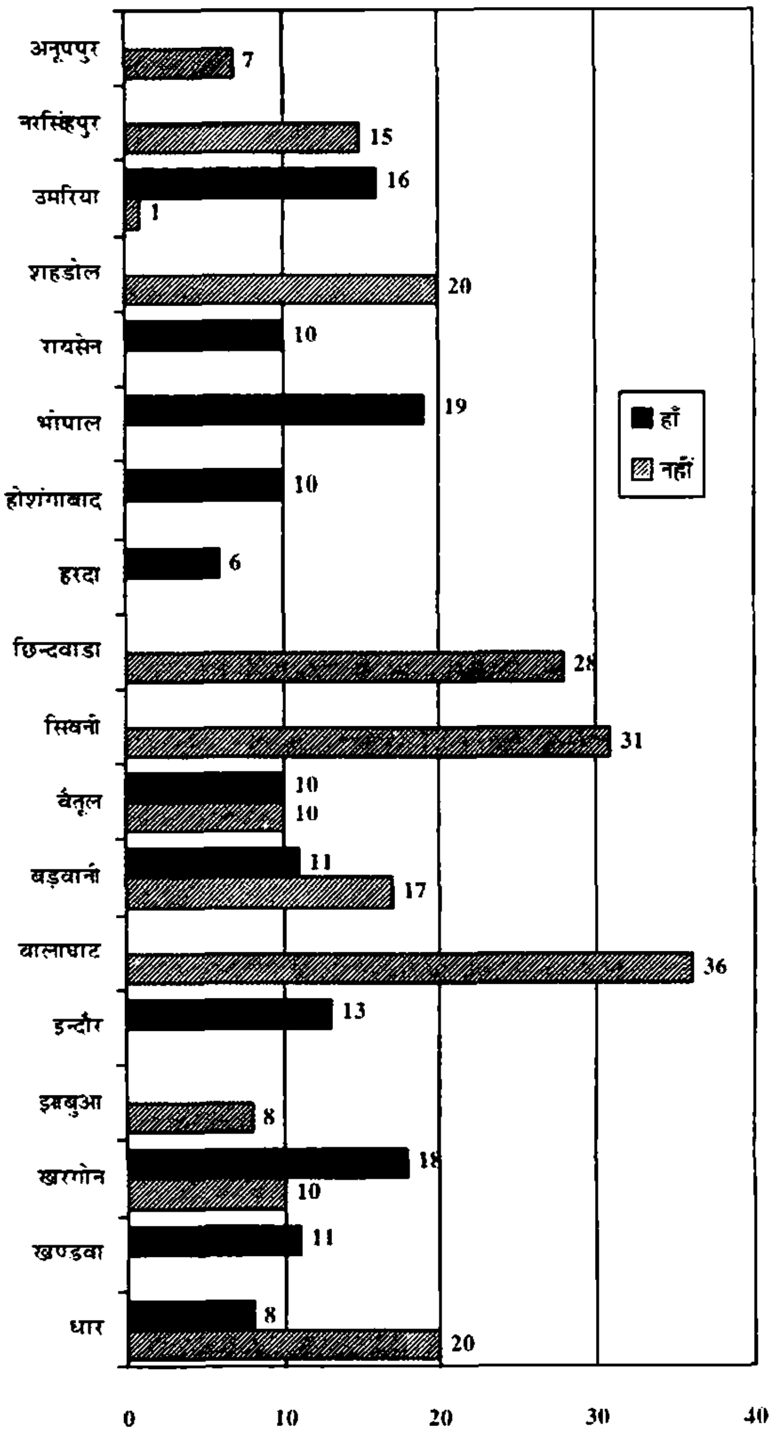

मनोरंजन कक्ष की सुविधाएं

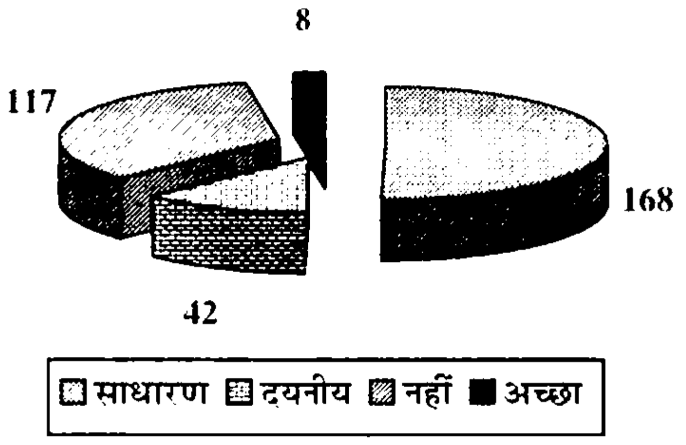

व्यक्ति विशेषकर छात्राओं के स्वस्थ मानसिक विकास के लिए स्वस्थ मनोरंजन भी शुद्ध पर्यावरण के बराबर आवश्यक है। परन्तु प्रश्नावली के अनु.क्र. 3.11 में कुल 335 छात्राओं में से केवल 2.38 प्रतिशत (8) छात्राओं ने अपने उत्तर में यह बताया है कि उनके छात्रावास में यह सुविधा अच्छी है और 50.14 प्रतिशत (168) एवं 12.53 प्रतिशत (42) छात्राओं ने बताया कि उनके छात्रावास में यह व्यवस्था क्रमशः साधारण और दयनीय है जबकि 34.92 प्रतिशत (117) छात्राओं के अनुसार उनके छात्रावास में यह सुविधा नहीं हैं।

अतः आवश्यकता इस बात की है कि हमें आदिवासी समाज से आने वाली छात्राओं के समग्र व्यक्तित्व विकास का वातावरण और सुविधाएं इन छात्रावासों में उपलब्ध करानी होंगी न कि उनके लिए मात्र सर छुपाने के लिए घर से दूर एक छत उपलब्ध कराई जावे जिसमें भौतिक सुविधाएं उपलब्ध हैं तो उनकी गुणवत्ता शून्य है।

जिलावार – छात्रावासों में मनोरंजन की सुविधाऐं

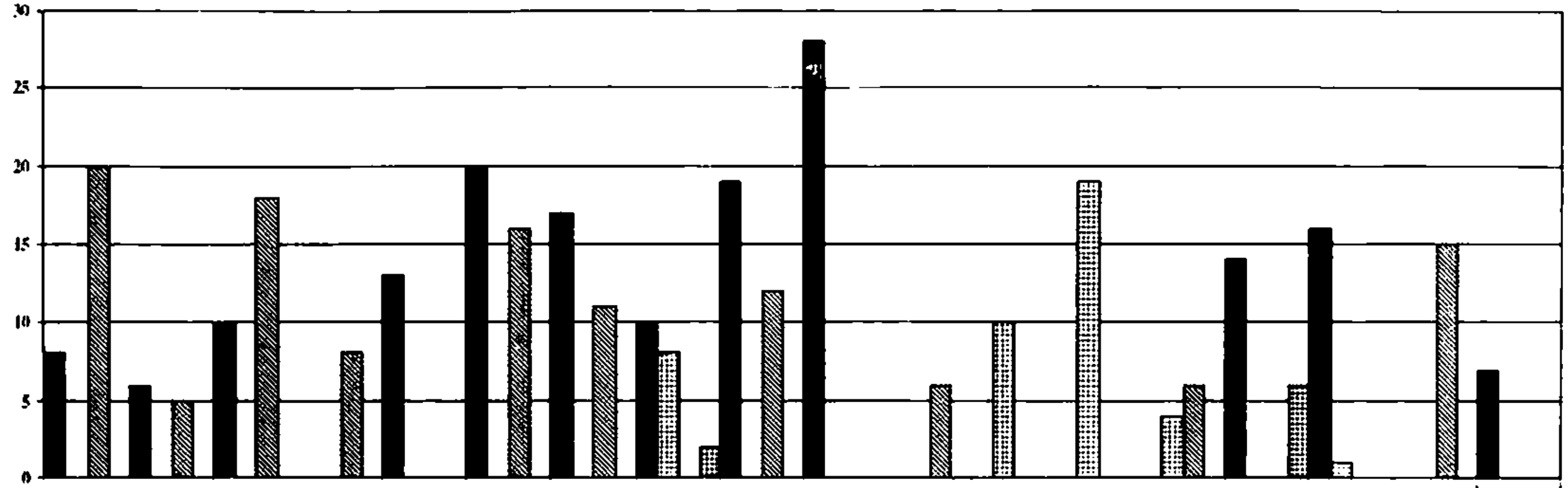

	धार	खण्डवा	खरगोन	झाबुआ	इन्दौर	बालाघाट	बड़वानी	बैतूल	सिवनी	छिन्दवाड़ा	हरदा	होशंगाबाद	भोपाल	रायसेन	शहडोल	उमरिया	नरसिंहपुर	अनूपपुर
साधारण	8	6	10		13	20	17	10	19	28					14	16		7
दयनीय								8				10	19	4		1		
नहीं	20	5	18	8		16	11		12		6			6			15	
अच्छा								2							6			

छात्रावास में अन्य सुविधाओं की स्थिति (संख्या)

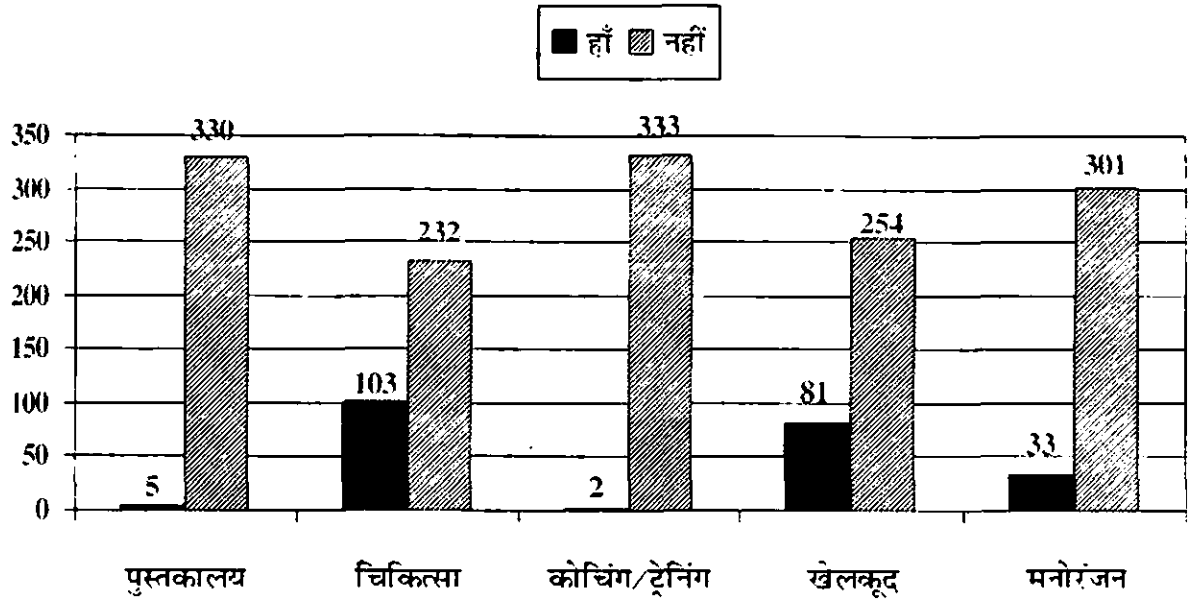

छात्रावास में अन्य सुविधाओं की स्थिति (संख्या)

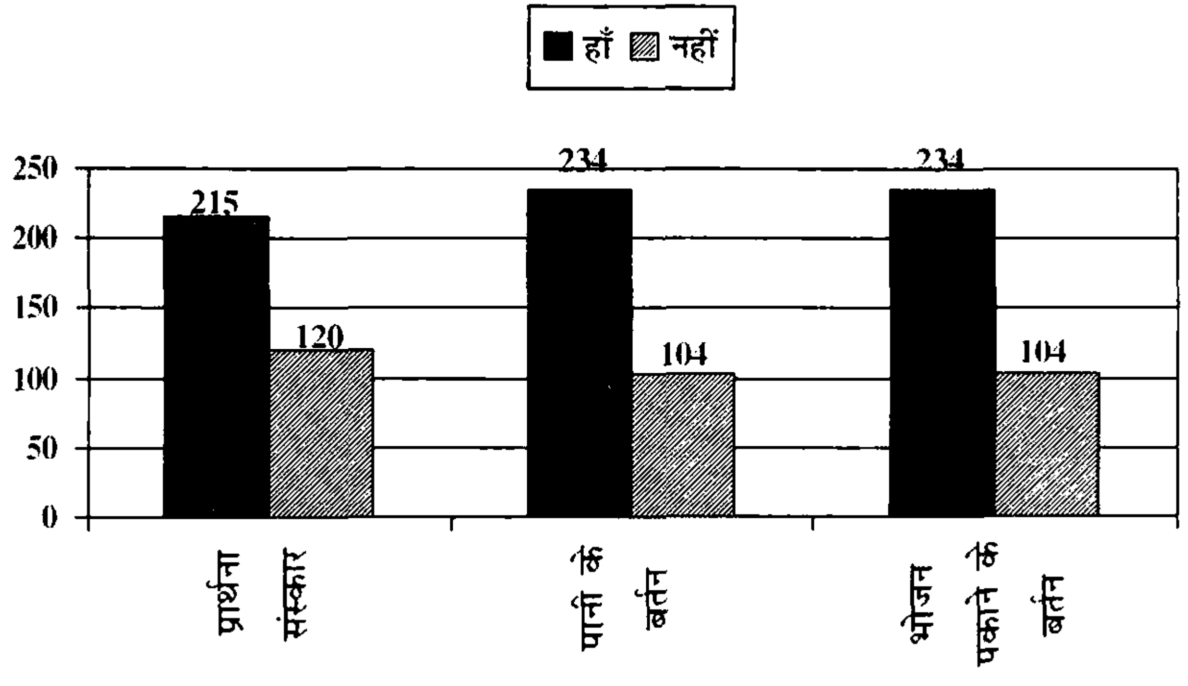

छात्रावास में खानपान व्यवस्था

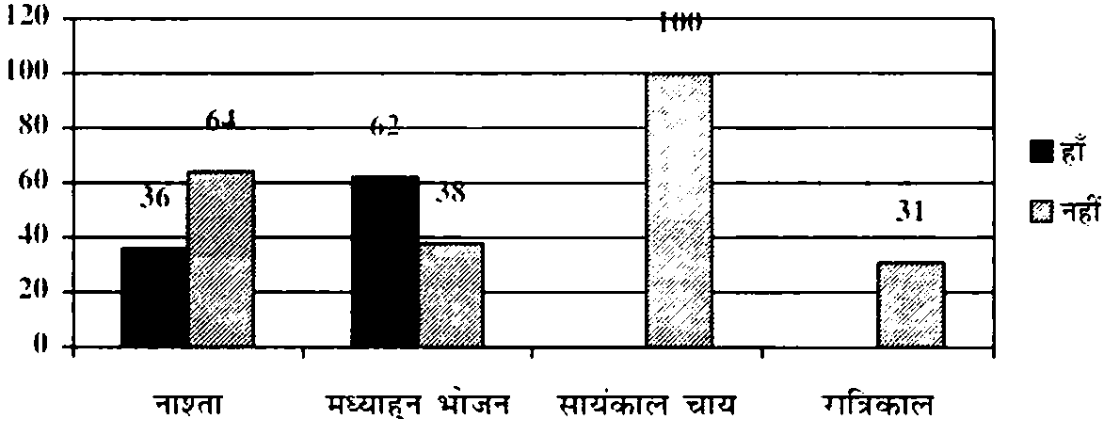

प्रश्नावली के अनु.क्र 4.1 से 4.4 के द्वारा हमने जाना कि छात्राओं को दिन भर में मिलने वाले भोजन और अन्य खाद्य सुविधाओं की वस्तुस्थिति क्या है? हमारे सैम्पल के अनुसार 64 प्रतिशत को नाश्ता, 68 प्रतिशत को मध्यान्ह भोजन, 99 प्रतिशत को सायंकालीन चाय और 31 प्रतिशत छात्राओं को रात्रि भोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता है। यह अत्यंत दुखद स्थिति है कि छात्राएं अपनी खानपान आवश्यकता की लगभग 50 प्रतिशत व्यवस्था स्वयं करती हैं।

अत: उन्हें या उनके परिवार को आर्थिक प्रबंध की दिशा में भी चिन्ता करनी होती है अर्थात ये छात्राएं छात्रावास में रहते हुए भी पूर्णत: निश्चित हो कर अध्ययन कार्य नहीं कर पा रही हैं।

छात्रावासों में शौचालयों का स्तर

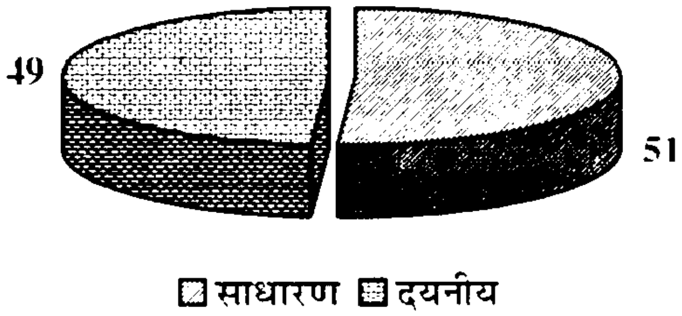

छात्रावासों में स्नानगृह सुविधा का स्तर

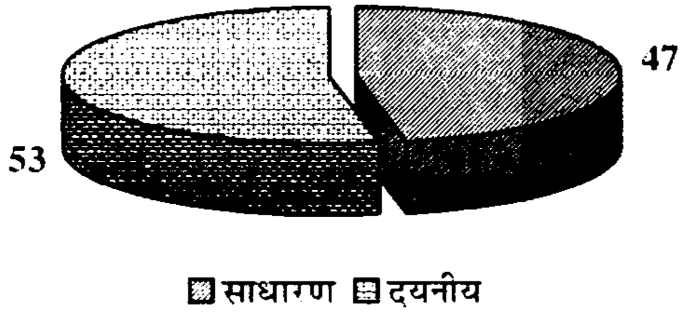

छात्रावासों में साफ सफाई व्यवस्था

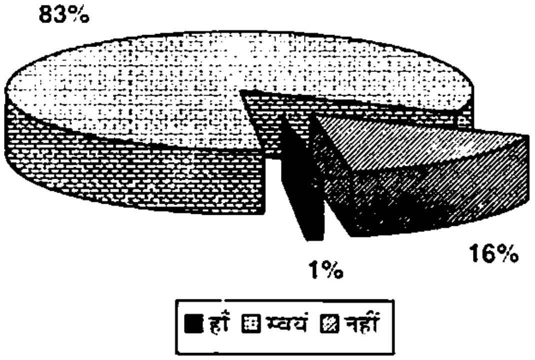

इसी प्रकार उपरोक्त चित्र का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि 83 प्रतिशत छात्राओं के अनुसार उन्हें स्वयं छात्रावासों में साफ-सफाई का कार्य करना होता है। यह एक विषम स्थिति है। एक तरफ तो छात्राओं के स्वयं साफ-सफाई करने से उनके अन्दर यह कार्य स्वयं करने की क्षमता का विकास होता है। परन्तु छात्राओं से यह अपेक्षा करना उचित नहीं होगा कि वे छात्रावास के रसोईघर सामग्री/शौचालय और आस-पास की सफाई का कार्य भी करें। यही कारण है कि इन स्थानों में साफ-सफाई का स्तर साधारण प्राप्त हुआ है।

निवास व अध्ययन कक्षों की सफाई व्यवस्था

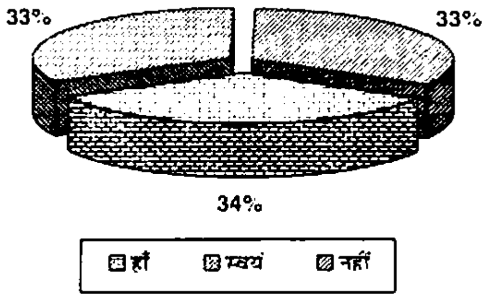

छात्रावास के विभिन्न भागों की सफाई व्यवस्था

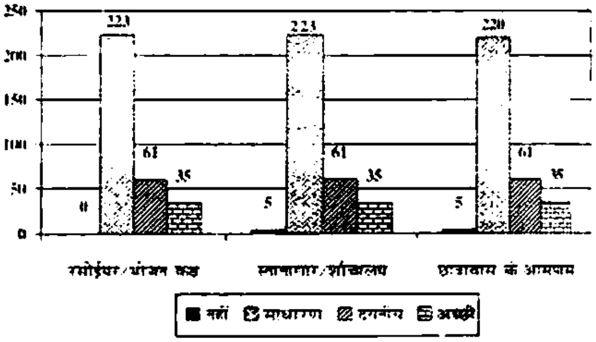

छात्रावासों में पीने के पानी की व्यवस्था

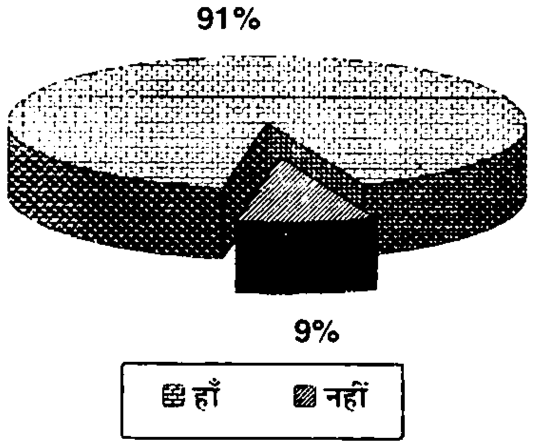

प्रश्नावली के अनु.क्र. 4.5 के द्वारा छात्राओं से जाना गया कि छात्रावास में पीने के स्वच्छ जल की व्यवस्था कैसी है? इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार 91 प्रतिशत छात्राओं के अनुसार होस्टलों में पीने के पानी की व्यवस्था है तथा 9 प्रतिशत के अनुसार उन्हें स्वयं नजदीक के स्थानीय जल स्रोतों से पीने का पानी स्वयं लाना पड़ता है। यह आंकड़ा विशेष नकारात्मक नहीं कहा जा सकता क्योंकि हमारे ग्रामीण अंचलों में पेय जल सभी के लिए एक विकट समस्या है। विशेषकर ग्रीष्मकाल में प्रत्येक ग्रामीण इस समस्या से जूझता है।

छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति कब मिलती हैं

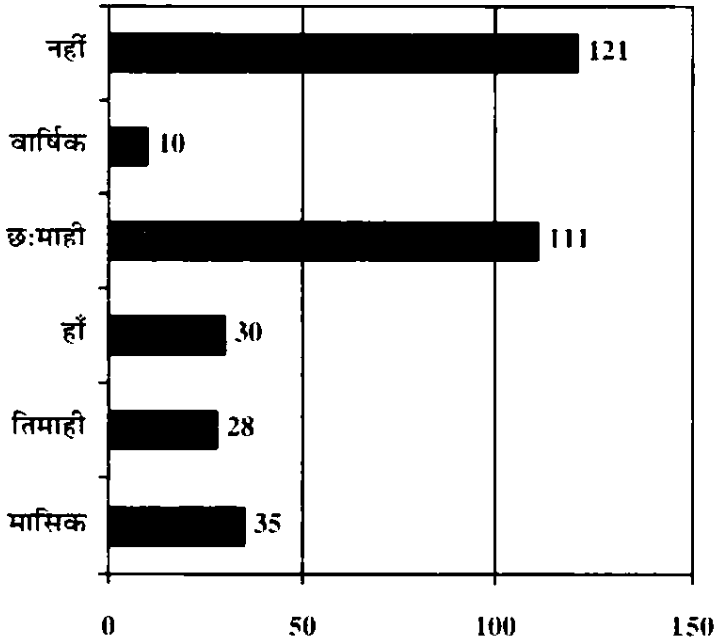

प्रश्नावली के अनु.क्र. 6.1 के अनुसार प्राप्त आंकड़ों से ज्ञात हुआ कि 36 प्रतिशत (335 में से 121) छात्राओं का कहना है कि उनको छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति नगद प्राप्त नहीं होती है। यह एक गंभीर एवं विचारणीय विषय है जिसपर शासन स्तर पर अधिक प्रभावी वैकल्पिक व्यवस्था लागू करना उचित होगा। 33 प्रतिशत छात्राओं (111) के अनुसार उन्हें छ:माह छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। अर्थात इन छात्राओं को अपने संसाधनों से अग्रिम आर्थिक व्यवस्था छ:माह के लिए करनी होती है जिसका भुगतान शासन से राशि प्राप्त होने पर उन्हें किया जाता होगा। मात्र 10 प्रतिशत (35) छात्राओं ने बताया कि उन्हें छात्रवृत्ति प्रतिमाह नियमित रूप से मिलती है।

आगमन भत्ता मिलता है या नहीं

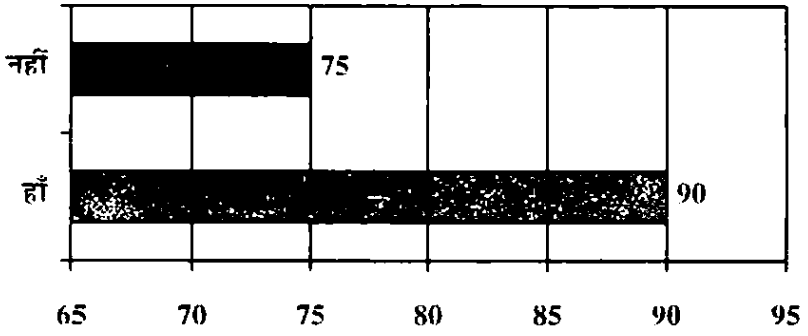

आगमन भत्ता की पात्रता केवल पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों की छात्राओं को ही होती है। अत: प्रश्नावली के अनुक्रमांक 6.2 के द्वारा जाना गया कि पोस्ट मैट्रिक होस्टल की छात्राओं में से कितनों को आगमन भत्ता मिलता है ? 165 पोस्ट मैट्रिक छात्राओं में से 90 के अनुसार उन्हें अगमन भत्ता मिलता है। जबकि 45 प्रतिशत अर्थात 75 ने बताया कि उन्हें आगमन भत्ता नहीं मिलता। इसके प्रशासन को जानना आवश्यक होगा कि बड़ी संख्या में छात्राओं को यह भत्ता क्यों नहीं दिया जाता ? इसके अतिरिक्त प्रत्येक संस्थान में यह भत्ता विभिन्न समयों पर दिया जाता है। इसमें समरूपता जैसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए।

आगमन भत्ता कब मिलता है

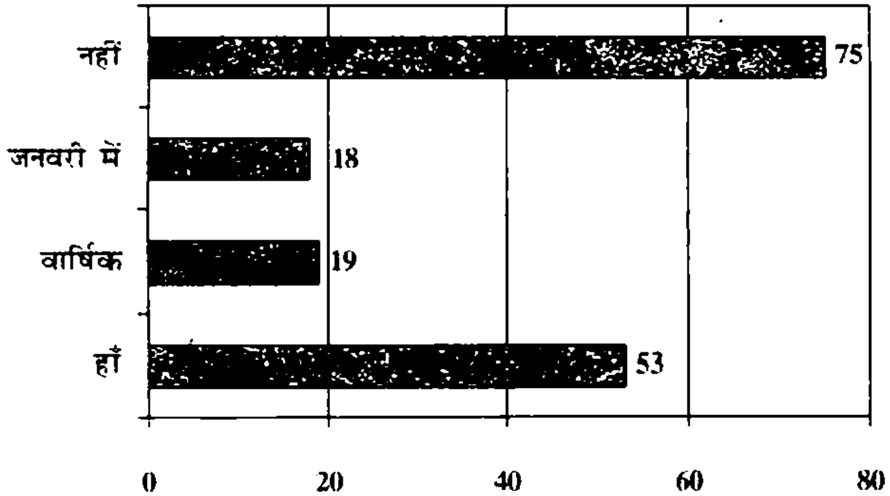

सर्वेक्षणकर्ताओं के अवलोकन पर आधारित छात्रावासों से संबंधित शिकायतें, समस्याएं एवं जरूरी सुझाव

समस्याएं:

- स्थानाभाव के कारण छात्राओं की शिक्षा में व्यवधान आता है।
- कहीं-कहीं एक ही हाल में सभी छात्राएं रहती हैं और वहीं खाना बनाती हैं। कहीं-कहीं छोटे-छोटे कमरों में दस-दस लड़कियों को रखा जाता है।
- स्थानाभाव के कारण कई बार उत्कृष्ट छात्रावासों के लिए चयनित छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक छात्राओं में रख दिया जाता है।
- शौचालयों/स्नानगृहों आदि में प्रकाश की समुचित व्यवस्था न होना आम बात है। दरवाजों का जर्जर होना, इनमें कुंडियां न होना भी सामान्य है।
- भवन या तो हैं नहीं या फिर पुराने और जर्जर हो चुके हैं। बारिश जैसे मौसम में यहां खासतौर पर छात्राओं को परेशानी उठानी पड़ती है।
- भवनों की समुचित सफाई, रखरखाव आदि का भी ख्याल नहीं रखा जाता
- छात्रावास भवनों में बिजली, पंखा आदि की व्यवस्थाएं भी खराब पाई गईं। बिजली चले जाने की सूरत में इन्वर्टर अथवा जनरेटर आदि की व्यवस्था नहीं मिलती।
- छात्रावास भवनों की खिड़कियां दरवाजों आदि में कई जगहों पर फाटक ही नहीं दिखे। इससे छात्राओं को असुविधा होना स्वाभाविक है।
- छात्राओं के लिए निर्धारित कमरों, बिस्तरों की संख्या भी ज्यादातर छात्रावासों में जरूरत से कम पाई गई। इसकी वजह से एक बिस्तर पर दो-दो छात्राओं को सोना पड़ता है।
- पानी की पर्याप्त व्यवस्था न होना। अगर पानी है भी तो प्र्याप्त नहीं या फिर प्रदूषित है। इसकी वजह से छात्राओं में त्वचा से संबंधित व अन्य आम बीमारियों की शिकायत पाई जाती है। पीने के पानी के स्त्रोत के इर्द-गिर्द साफ-सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता।
- कई जगहों पर पाया गया कि एक से अधिक होस्टलों के बीच एक ही ट्यूबवैल है जिससे विवाद की स्थिति निर्मित हो जाती है।

- छात्राओं में भोजन की व्यवस्था खराब होना आम शिकायत है। यहां पाया गया कि अधिकांश छात्रावासों में घटिया दर्जे का भोजन छात्राओं को परोसा जाता है। सुबह का नाश्ता वगैरह न दिए जाने की भी शिकायतें पाई गईं। ज्यादातर छात्रावासों में मेस की सुविधा नहीं पाई गई।
- छात्रावासों में छात्राओं के लिए रोजगार निर्माण के विकल्पों का अभाव है।
- छात्रावासों में गेस्टरूम नहीं पाए गए। छात्राओं के परिजनों को उनके कमरों में जाने की इजाजत भी नहीं होती। इससे छात्राओं से मिलने आए परिजनों के खड़े-खड़े ही बातचीत करनी पड़ती है।
- स्वीकृत सीटों से ज्यादा छात्राओं को छात्रावासों में प्रवेश दे दिया जाता है। इसके लिए राजनीतिक हस्तक्षेप भी काफी हद तक जिम्मेदार है जिसकी वजह से कई बार योग्य छात्राओं को छात्रावासों में प्रवेश नहीं मिलता, मगर अपात्र छात्राएं प्रवेश पा जाती हैं। इससे विवाद की स्थितियां भी निर्मित होती हैं।
- छात्रावासों में खेल परिसर भी नहीं हैं अथवा जरूरत के हिसाब से छोटे हैं। खेल के सामान का छात्रावासों में सर्वथा अभाव पाया गया।
- छात्राओं को छात्रवृत्ति समय पर न दिए जाने या फिर बिल्कुल ही न दिए जाने की शिकायतें मिलीं। आगमन भत्ता आदि के मामले में भी यही दिक्कतें पेश आईं।
- छात्राओं की शिकायत है कि निर्धारित शेड्यूल के हिसाब से काम करने के लिए कम समय दिया जाता है।
- छात्रावासों के कैंपस संयुक्त होने की वजह से एक छात्रावास की अधीक्षिकाएं कई बार दूसरे छात्रावासों के कामकाज में हस्तक्षेप करने लगती हैं।
- छात्राओं की पढ़ाई के लिए पुस्तकालय/स्टडी रूम आदि की व्यवस्था नहीं पाई गई।
- भवनों में अग्निसुरक्षा के उपकरण या अन्य इंतजाम भी नदारद दिखे।
- प्राथमिक चिकित्सा की सुविधाएं भी अधिकांशतः नहीं पाई गईं।
- छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए स्वनिर्भर बनाने के मकसद से कुछ छात्रावासों में मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण देना पाया गया तो अधिकांश में यह व्यवस्था देखने में नहीं आई।
- छात्रावासों में व्यक्तित्व विकास से संबंधित कोई कार्यक्रम भी नहीं चलाए जाते। खेल प्रशिक्षक, व्यायाम शिक्षक, संगीत, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई आदि के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी ज्यादातर छात्रावासों में नहीं पाई गई।

- छात्रावासों के लिए मनोरंजन के साधनों का अभाव पाया गया। कई जगहों पर छात्रावास की टी. आदि का उपयोग अधीक्षिकाओं द्वारा किए जाने की शिकायतें मिलीं।
- कुछ छात्रावासों में तो चौकीदार/भृत्य आदि का भी अभाव दिखा।
- छात्रावासों की अधीक्षिकाओं का व्यवहार काफी खराब होता है जिससे छात्राएं उनके सामने अप समस्याएं बताने में झिझकतीं हैं।
- अधीक्षिकाओं का कम शिक्षित होने को एक बड़ी समस्या के तौर पर पाया गया। अशिक्षा के अला उनके सहयोग के लिए किसी का न होना उन्हें अशालीन बना देता है।
- ज्यादातर छात्राएं छात्रावासों में कोचिंग की सुविधा चाहतीं हैं, जो कि कहीं नहीं पाई गई।
- छात्राओं द्वारा साल में एक बार पिकनिक आदि का कार्यक्रम निर्धारित किए जाने की भी मांग की गई
- छात्रावासों में फोन/कंप्यूटर आदि की व्यवस्था किए जाने की भी मांग की गई ताकि संपर्क-संचार कोई परेशानी न हो।
- फर्नीचर आदि का भी अभाव पाया गया जो है वह जर्जर स्थिति में दिखा।

जरूरी सुझाव :

- सुझाव पेटी सभी छात्रावासों में लगाई जानी चाहिए।
- सभी छात्रावासों में कॅरियर काउंसिलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए।
- रोजगार निर्माण पत्र/प्रतियोगिता दर्पण जैसी पत्रिकाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
- व्यक्तित्व निर्माण तथा स्वरोजगार संबंधी प्रशिक्षण की व्यवस्था हो।
- अधीक्षिकाओं के उच्च स्तरीय एवं गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता।
- छात्रावासों से संबंधित समस्त जानकारी एक बोर्ड पर लगाई जाए।
- अधीक्षिकाओं को शिक्षण के काम में न लगाया जाए। उन्हें सिर्फ छात्रावास से संबंधित जिम्मेदारी दी जाए।
- छात्राओं को आत्मरक्षा के उपाय सिखाने और नियमित रूप से चिकित्सकीय परीक्षण की सुविधाएं हों।
- छात्रावासों में प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था की जाए।
- अधीक्षिकाओं का छात्रावास में ही निवास सुनिश्चित किया जाए।

- अभिभावकों की नियमित सभा की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसमें छात्रावास की अधीक्षिका, कोचिंग शिक्षिका, शाला प्राचार्य आदि रहें।
- छात्रावास से विद्यालय जाने के लिए वाहन की व्यवस्था की जाए।
- छात्राओं के लिए मनोरंजन के पर्याप्त साधन और मौके उपलब्ध कराए जाएं। वर्ष में एक बाद पिकनिक या पर्यटन का कार्यक्रम रखा जा सकता है।
- छात्रावासों में सुरक्षाकर्मियों की व्यवस्था हो, साथ ही अधीक्षिकाओं के सहयोग के लिए भृत्य आदि भी नियुक्त किया जाना जरूरी है।
- छात्रावासों में मूलभूत सुविधाएं जिनमें पानी, बिजली, साफ-सफाई के इंतजाम आदि शामिल हैं, समुचित रूप से उपलब्ध कराई जाएं।
- खाने की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए और संभव हो तो हर छात्रावास में एक खानसामा अलग से नियुक्त किया जाए।
- छात्रावास भवनों में शौचालय, स्नानागार आदि की व्यवस्था ठीक हो और प्रति पांच-दस छात्रा पर एक शौचालय/स्नानागार सुनिश्चित हो, इसके लिए पुख्ता प्रबंध किए जाएं।
- भवनों में पर्याप्त कमरे और उनमें पंखे आदि की व्यवस्था भी रहे।
- अलग से रसोईघर, भोजन कक्ष और अध्ययन की व्यवस्था भी जरूरी है।

शिकायतें :

1. सुबह से रात्रि तक एक दिन के भोजन हेतु 360 रुपये पर्याप्त नहीं हैं।
2. सर्वेक्षण के दौरान शासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों का अपेक्षारूप पर्याप्त सहयोग नहीं मिला।
3. छात्रावास में सफाई कर्मचारी विशेष कर स्वीपर की आवश्यकता है जो छात्रावासों में नहीं है।
4. छात्रावास के कमरों में स्थान से ज्यादा लड़कियां रहती है; प्राथमिक सुविधाओं का आभाव है।
5. खेल के मैदान का अभाव है, प्राथमिक सुविधाओं का अभाव है।
6. आवश्यक फर्नीचर की कमी
7. पुस्तकों (लायब्रेरी) की आवश्यकता है।
8. कई छात्रावास अधीक्षिकाएं छात्राओं से अपने निजी काम करवाती हैं।

9. छात्रावासों में लड़कियों से छात्रावासों का पूरा काम कराया जाता हैं।

10. ग्राम जोधपुर में छात्रावास एवं अस्पताल भवन बना है, परंतु अनुपयोगी पड़ा हुआ है।

11. कोचिंग की व्यवस्था होनी चाहिए।

सच्चाई यह है कि कम्प्यूटर तो है परंतु अधिक्षिका इसका उपयोग ही नहीं करने देतीं। साक्षात्कार के दौरान ज्यादातर लड़किया अच्छाई ही बताती है, परन्तु चेहरे के भाव से महसूस होता है कि काफी कष्टों को झेलते हुए आदिवासी छात्राएं वहां रह रही हैं। शौचालय एवं स्नानघर अच्छी हालत में नहीं है। छात्रावास अधीक्षिका ज्यादातर छात्रावासों में अतिरिक्त प्रभार वाली हैं इसलिये इनका उपलब्ध होना आसान नहीं होता है। कई स्थानों पर अधीक्षिकाओं के पतियों ने ही छात्रावास अधीक्षिका का कार्य भार संभाल रखा है। कई छात्रावासों की हालात ऐसी हैं कि छोटे से कमरे में 20 छात्राएं रहती हैं।

अध्ययन की अनुशंसायें

1. छात्रावास एवं छात्रावास अधीक्षिका :-

आदिवासी कन्याओं की शिक्षा की दिशा में छात्रावास एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण सुविधा है, जहां पर न केवल रहने, खाने, मनोरंजन, खेलकूद, वरन इससे भी महत्वपूर्ण पढ़ने-लिखने एवं व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए वातावरण अपेक्षित है। कहने की आवश्यकता नहीं कि शिक्षा के लिए आवश्यक इन अवयवों का बालिकाओं के ग्रामीण परिवेश एवं परिवार में अभाव है। इस सम्पूर्ण सुविधा को आदिवासी कन्याओं को मुहैया कराने में छात्रावास अधीक्षिका की महत्वपूर्ण भूमिका हैं। गैर-आदिवासी अधीक्षक-अधीक्षिकायें, आदिवासी कन्याओं के प्रति उपेक्षापूर्ति बरताव एवं दृष्टिकोण रखेंगी, इस कारण आदिमजाति कल्याण विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया कि आदिवासी/अनुसूचित जन-जातियों में से ही छात्रावास अधीक्षिकायें रखी जायें।

छात्रावास अधीक्षिकाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे छात्रावास में ही निवास करें ताकि आदिवासी बालिकाओं को पूर्णकालिक मार्गदर्शन एवं सहायता उपलब्ध करा सकें। छात्रावास में निवास करने वाली अधीक्षिकाओं की संख्या बहुत ही कम हैं, और इस बात को सख्ती से लागू किया जाना आवश्यक है कि छात्रावास अधीक्षिकायें छात्रावास में ही निवास करें।

छात्रावास विशेषकर आदिवासी कन्याओं के लिये छात्रावास एक निश्चित उद्देश्य से खोले गये हैं। इनके संचालन में आदिवासी बालिकाओं की न केवल सामाजिक, आर्थिक बल्कि मनोवैज्ञानिक पृष्टभूमि की जानकारी रखना भी आवश्यक है। इसके साथ ही विभागीय नियमों आदि का ज्ञान भी अत्यन्त ही आवश्यक है। इस हेतु छात्रावास अधीक्षिकाओं को प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है ताकि उनके मन में आदिवासी बालिकाओं के प्रति संवेदना, सहानुभूति तथा सहायता करने का संकल्प दृढ़ हो सके। अध्ययन में यह पया गया कि बहुत कम (लगभग 5 प्रतिशत) छात्रावास अधीक्षिकाएं ही विशेष प्रशिक्षण प्राप्त हैं, जबकि अधिकांश छात्रावास की दृष्टि से अप्रशिक्षित हैं। यह अत्यंत ही आवश्यक है कि सभी छात्रावास अधीक्षिकाओं को आदिवासी बालिका छात्रावासों के संचालन का प्रशिक्षण भी दिया जाये।

छात्रावास के संचालन में बाजार से सामग्री क्रय करना, बालिकाओं के अभिभावकों, विभागीय अधिकारियों तथा अन्य व्यक्तियों से सम्पर्क आदि करना होता है। अध्ययन में यह पाया गया कि कई अधीक्षिकायें इन सारे कार्यों में अपने पति की सहायता लेती हैं। जहां तक सहायता लेने का सवाल है इसमें कोई आपत्ति नहीं, परन्तु छात्रावास की गतिविधियों में "पति महोदय का" अनावश्यक हस्तक्षेप आदिवासी बालिकाओं के विभिन्न प्रकार के शोषण तक पहुंच जाता है जो छात्रावास खोलने के उद्देश्यों एवं उसके लिये निर्धारित नियमों के प्रतिकूल है। अतएव अधीक्षिकाओं को उनके पतियों द्वारा छात्रावासों के संचालन में किसी प्रकार के हस्तक्षेप को बिल्कुल ही समाप्त कर देना चाहिये।

अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि छात्रावास अधीक्षिकाओं के लिए किसी प्रकार की विशेष योग्यता, प्रशिक्षण या अनुभव की अर्हता, सुनिश्चित नहीं की गई है। सभी छात्रावास में शैक्षणिक कार्य में लगे शिक्षक-शिक्षिकाएं ही अधीक्षक-अधीक्षिका की भूमिका में हैं। अधीक्षिकाओं की शैक्षणिक व प्रशिक्षण की स्थिति पर गौर करने से यह स्पष्ट होता है कि ज्यादातर अधीक्षिकाएं स्नातक/बी.एड. की शिक्षा प्राप्त कर अधीक्षिका का काम कर रही हैं। चूंकि अधीक्षिकाओं को ज्यादातर प्रबंधन कार्य ही करना होता है, इसलिए प्रथमत: तो अधीक्षिकाओं के चयन के लिए कोई-न-कोई एक निश्चित शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण व अनुभव मानदंड सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक हो तो अधीक्षक/अधीक्षिका पद के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान भी शासन द्वारा किया जा सकता है। अगर किसी कारण से वहां अप्रशिक्षित शिक्षिकाओं की नियुक्ति कर दी गई हो तो ऐसी अधीक्षिकाओं के लिए प्रबंधकीय प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाना चाहिए। इस प्रशिक्षण में संवेदनात्मक और भावनात्मक पहलुओं का होना भी आवश्यक है।

आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि ज्यादातर अधीक्षिकाएं अंशकालिक या विशेष प्रभार में हैं। ऐसी अधीक्षिकाएं अनिश्चितता के कारण अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह और उदासीन देखी गईं। शासन द्वारा प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक दोनों छात्रावासों में पूर्णकालिक अधीक्षिकाओं की नियुक्ति बेहतर परिणाम दे सकती है।

सर्वेक्षणकर्ताओं के अवलोकन इस बात की ओर इशारा करते हैं कि जो अधीक्षिकाएं स्थानीय निवासी होती हैं वे छात्रावास के प्रबंधन में ठीक से रूचि नहीं लेती है। सामान्यत: अधीक्षिकाओं के पतियों का हस्तक्षेप भी छात्रावास प्रबंधन में होता है। इस आशय की कई शिकायतें छात्राओं द्वारा प्राप्त हुई। स्थानीय निवासी अधीक्षकाएं छात्रावास प्रबंधन के अतिरिक्त अन्य कार्यों में संलग्न रहती हैं। शासन को इस ओर ध्यान देना समीचीन प्रतीत होता है। अध्ययन इस निष्कर्ष की ओर भी संकेत करता है कि छात्रावासों में नियमित निरीक्षण के प्रावधान की अवहेलना की जाती है। आमतौर पर किया जाने वाला निरीक्षण सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं किया जाता। निरीक्षण के दौरान छात्राओं से खुलकर बातचीत नहीं हो पाती। इसका कारण छात्राओं में व्याप्त भय, संकोच और उदासीनता या निराशा का भाव है। उन्हें ऐसा लगता है कि किसी प्रकार की शिकायत, सुझाव या मांग उनके लिए समस्या पैदा कर सकती है। इसलिए वे ज्यादातर मामलों में चुप रहना या हामी न भरना ही उचित समझती हैं। कई बार प्राप्त शिकायतों, सुझावों और मांगों पर उचित समाधान नहीं मिलना, उल्टा छात्राओं को दंड मिलना छात्राओं को निराश और भयभीत करता है। सर्वेक्षण के दौरान छात्राओं ने बोलकर कम, जबकि लिखकर ज्यादा सुझाव, शिकायतें और मांगे प्रस्तुत कीं। शासन द्वारा सभी छात्रावासों में शिकायत/सुझााव/मांग पेटी लगाने का प्रावधान करना चाहिए। इस पेटी को जिलाधिकारी या सक्षम समिति की उपस्थिति में खोलना और प्राप्त शिकायतों, सुझावों और मांगों पर उचित समाधान देना एक सार्थक पहल हो सकती है। अध्ययन उक्त संदर्भ मे आयोग का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता है।

अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि छात्रावास अधीक्षिकाओं के लिए किसी प्रकार की विशेष योग्यता, प्रशिक्षण या अनुभव की अर्हता, सुनिश्चित नहीं की गई है। सभी छात्रावासों में शैक्षणिक कार्य में लगे शिक्षक-शिक्षिकाएं ही अधीक्षक–अधीक्षिका की भूमिका में हैं। अधीक्षिकाओं की शैक्षणिक व प्रशिक्षण की स्थिति पर गौर करने से यह स्पष्ट होता है कि ज्यादातर अधीक्षिकाएं स्नातक/बी.एड. की शिक्षा प्राप्त कर अधीक्षिका का काम कर रही हैं। चूंकि अधीक्षिकाओं को ज्यादातर प्रबंधन कार्य ही करना होता है, इसलिए प्रथमत: तो अधीक्षिकाओं के श्रयन के लिए कोई-न-कोई एक निश्चित शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण व अनुभव मानदंड सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक हो तो अधीक्षक/अधीक्षिका पद के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान शासन द्वारा किया जा सकता है। अगर किसी कारण वहां अप्रशिक्षित शिक्षिकाओं की नियुक्ति कर दी गई हो तो ऐसी अधीक्षिकाओं के लिए प्रबंधकीय प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाना चाहिए।

आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि ज्यादातर अधीक्षिकाएं अंशकालिक या विशेष प्रभार में हैं। ऐसी अधीक्षिकाएं अनिश्चितता के कारण अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह और उदासीन देखी गईं। शासन द्वारा प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक दोनों छात्रावासों में पूर्णकालिक अधीक्षिकाओं की नियुक्ति बेहतर परिणाम दे सकती है।

2. भवन :-

छात्रावास के लिये जो भवन बनाये गये हैं वे आदिवासी बालिकाओं के रहने लायक स्थान हेतु अपर्याप्त हैं। काफी छात्रावासों में स्वीकृत स्थान से अधिक लड़किया पाई गई जबकि कई छात्रावासों ने स्वीकृत स्थान भरे ही नहीं।

भोजन के लिये, पढ़ने के लिये, मनोरंजन तथा खेलकूद के लिये निर्धारित स्थान छात्रावासों में नहीं पाये गये। यह अनुशंसा की जाती है कि भवन का आकल्पन ऐसा किया जाये जिसमें रहने के लिये कम से कम 6x6 अर्थात 36 वर्गफीट का स्थान प्रत्येक बालिका के लिये हो सके ताकि उसकी एक खाट उसके बगल में टेबिल जिसमें पढ़ने का एवं अन्य आवश्यकता की वस्तुयें रखी जा सके उतनी जगह होनी चाहिये।

अध्ययन के बाद यह सुझाव प्रस्तुत किया जाता है कि छात्रावासों में तय सुविधा मानदंडों का कठोरता से पालन किया जाना उपयुक्त होगा। छात्रावासों में सुविधा मानदंडों के साथ प्रबंधकीय व्यवस्था और छात्रावास अधीक्षक के व्यवहार में सुधार लाकर भी छात्रावासों के बारे में नकारात्मक दृष्टिकोण को बदला जा सकता है। सर्वेक्षण के दौरान यह जानकारी मिलना उल्लेखनीय है कि कई छात्रावासों में एक हॉल को ही निवास स्थान (श्रयन व अध्ययन कक्ष) के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि कई छात्रावासों में एक ही पलंग पर दो-दो छात्राएं सो रही हैं। छात्राएं ऐसी व्यवस्था के तहत रहना उचित नहीं समझतीं।

उल्लेखनीय है कि बालिकाओं के लिये स्थान इस दृष्टिकोण से रखना चाहिये कि उनकी निजता की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। इसके साथ ही साथ भोजन, खेलकूद एवं मनोरंजन आदि के लिये भी भवन में स्थान होना चाहिये।

3. शौचालय एवं स्नानागार :-

यद्यपि आदिवासी क्षेत्रों में खुले में शौचालय जाने एवं नदी-नालें, तालाब, एवं अन्य जलीय स्थानों पर नहाने की प्रथा है, परन्तु छात्रावास विशेषकर कन्याओं के लिये छात्रावासों में शौचालय एवं स्नानागार होना अत्यंत ही आवश्यक है। अधिकांश छात्रावासों में शौचालय एवं स्नानागारों की स्थिति अत्यंत जीर्णशीर्ण पाई गई जिससे छात्रावास में रहने वाली बालिकाओं को खुले में शौचाजाने तथा खुले में स्नान करने को बाध्य होना पड़ता है। प्रीमैट्रिक तथा पोस्ट मेट्रिक छात्रावासों में निवासरत बालिकायें किशोर उम्र की होती हैं अतएव उनको साफ-सफाई और मासिक धर्म की अवधि में सेनिटरी नेपकीन तथा अन्य साफ-सफाई के बारे में मार्गदर्शन दिये जाने की आवश्यकता है जिसका पूर्ण अभाव अध्ययन में चुने गये छात्रावासों में पाया गया।

4. भोजन :-

अध्ययन में चुने गये अनेक छात्रावासों में भोजन सामूहिक रूप से नहीं पकाया जाता, फलस्वरूप छात्राओं का बेशकीमती समय जो पढ़ाई में लगाया जा सकता था वह भोजन व्यवस्था में लगाना पड़ता है।

जिन-जिन छात्रावासों में मेस चलता है वहां का भोजन स्तरहीन पाया गया। आधिकांश छात्रावासों में यद्यपि अधीक्षिकाओं ने कहा कि बालिकाओं को सबेरे नाश्ता दिया जाता हैं परंतु बालिकाओं से पूछने पर यह पाया गया कि नाश्ता नहीं दिया जाता। अधिकांश दाल-चावल ही दिया जाता है। कुछ स्कूल सवरे लगते है, तो कुछ दोपहर में। जहां-जहां मेस चलते हैं वहां-वहां यह पाया गया कि भोजन सवेरे 9 बजे एवं सायंकाल 5 बजे दे दिया जाता है। दूध, चाय अथवा अन्य पौष्टिक पदार्थ किसी भी छात्रावास में दिया जाना नहीं पाया गया। इस प्रकार स्कूल के समय और भोजन में कोई ताल-मेल नहीं दिखता जिससे कि बढ़ती उम्र की लड़कियों को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता है। 5 बजे सायं काल से सबेरे 9 बजे तक एक बहुत बड़ा अंतराल होता है और इस अवधि में लड़कियां आवश्यक रूप से भूखी ही रहती होंगी।

किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को अपनी कार्य क्षमता बनाये रखने के लिये संतुलित एवं पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है। बढ़ती उम्र की बालिकाओं में तो यह और भी आवश्यक है। आहार विशेषज्ञों का यह कहना है कि प्रतिदिन 2400 कैलोरी का संतुलित आहार एक व्यक्ति को अपनी कार्यक्षमता बनाये रखने के लिये मिलना चाहिये। बढ़ती उम्र की बालिकाओं (जिन्हें रजोधर्म की अवधि से भी गुज़रना होता हैं) में कैलोरी की आवश्यकता 3600 के करीब होती है। जो भोजन बालिकाओं को छात्रावासों में दिया जाता है अथवा मेस नहीं रहने पर बालिकायें जो अपने साधन से भोजन व्यवस्था करती हैं उनको उपर्युक्त वर्णित मात्रा में कैलोरी युक्त पौष्टिक आहार कदापि प्राप्त नहीं होता।

अधीक्षिकाओं का यह कहना है कि 360 रुपये प्रति बालिका एक महीने के भोजन की व्यवस्था हेतु विशेषकर पौष्टिक भोजन की व्यवस्था हेतु अपर्याप्त है। यहां इस बात का उल्लेख आवश्यक है, कि छात्रावासों के खाद्यान्न सामग्री उचित मूल्य की दुकानों से बजार कीमत से कम राशि पर प्राप्त होती है। यदि हम 50 छात्राओं के छात्रवास को लें तो 360 रुपये प्रति बालिका प्रतिमाह के हिसाब से 18000 रुपये मिलते हैं। इसके अलावा भोजन पकाने वाले रसोईये की व्यवस्था विभाग द्वारा पृथक से की गई है। 18000 रु. में 50 बालिकाओं का भोजन समझबूझ के साथ उचित मूल्य की दुकानों से सामान लेते हुए कहीं-कहीं तो दुग्धसंघ द्वारा रियायती दुग्ध उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है। इन सब सुविधाओं का यदि फायदा उठाया जाये तो छात्रावास अधीक्षिकायें अपनी सूझबूझ से निश्चित रूप से बालिकाओं को पौष्टिक आहार प्रदान कर सकती हैं।

बालिकाओं की एक मेस कमेटी भी विभाग द्वारा जारी किये गये नियमो में प्रावधानित है, परन्तु यह कमेटी अध्ययन किये गये छात्रावासों में गठित नहीं की गई है।

छात्रावासों में बालिकाओं की मेस समिति गठित करते हुये भोजन व्यवस्था आवश्यक की जाये। जिन छात्रावासों में मेस नहीं चलते उनमें भी मेस चलाये जायें ताकि बालिकाओं को पौष्टिक आहार मिल सके और उनका समय शिक्षा तथा उससे सम्बद्ध गतिविधियों में व्यतीत हो सके।

5. पलंग एवं बिस्तर :-

प्रत्येक छात्रावास निवासिनी बालिका के लिये पलंग, ओढ़ने-बिछाने तथा सर्दी में कम्बल/रजाई दिये जाने की व्यवस्था शासकीय नियमों में है। अध्ययन के दौरान यह पाया गया कि इस सम्बंध में की गई व्यवस्था जर्जर हालत में है। एक पलंग पर दो-तीन लड़कियों का सोना आम बात है तथा ओढ़ने-बिछाने का सामान बालिकायें घर से ही लाती हैं।

6. पेयजल :-

अधिकांश छात्रावासों में पीने योग्य पानी की व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा नहाने-धोने, कपड़े धोने, शौचालय में भी पानी की आवश्यकता होती हैं। विभाग द्वारा सभी छात्रावासों के लिए पानी की उचित व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। जल स्त्रोत रहते हुये भी कई स्थनों पर मरम्मत के बिना जल-स्रोत उपयोगी नहीं हैं।

7. बिजली :-

शासन की ओर से छात्रावासों में नि:शुल्क बिजली की व्यवस्था है और बिजली नहीं होने पर मिट्टी का तेल दिये जाने की व्यवस्था है। अधिकांश छात्रावासों में विद्युत व्यवस्था अपर्याप्त पाई गयी है। वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं है।

8. चिकित्सा :-

छात्रावासों में प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था नियमों के अधीन प्रावधानित है। परन्तु सर्वेक्षण के दौरान कहीं भी प्रार्थमिक चिकित्सा की व्यवस्था नहीं पाई गइं। चिकित्सकीय जांच के लिये डाक्टर के छात्रावास में भेंट देने की व्यवस्था है लेकिन यह सिर्फ नियमों तक ही सीमित है।

9 **स्वाध्याय एवं कोचिंग की व्यवस्था :-**

स्वाध्याय के लिये समुचित स्थान, समय तथा मार्गदर्शन का अभाव पाया गया। एक्सीलेंट छात्रावासों में कोचिंग की व्यवस्था का प्रावधान है। परन्तु उनमें भी कोचिंग नहीं होती।

10. छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति, आगमन भत्ता, मेरिट छात्रवृत्ति का भुगतान :-

छात्रावासों में निवास करने वाली बालिकाओं को छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति, प्रोत्साहन भत्ता शिक्षा के प्रति आकर्षित करने के लिये शासन ने अगमन भत्ता और मेरिट छात्रवृत्ति का प्रावधान है। शिष्यवृत्ति प्रत्येक माह, छात्रवृत्ति त्रैमासिक, आगमन भत्ता छात्रावास में प्रवेश लेने के समय तथा प्रोत्साहन भत्ता छठीं/नवमीं कक्षा में प्रवेश लेते समय ही देय है। अध्ययन के दौरान यह ज्ञात हुआ कि ये छात्रवृत्तियां या भत्ते समय पर नहीं पातीं। इन्हें प्राप्त करने के लिए कई प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

छात्रावासों के सुचारू रूप से संचालन के लिये यह आवश्यक है कि ये छात्रवृत्तियां एवं भत्ते शासन द्वारा समयावधि में और सरल पद्धति से दिये जायें।

11. बजट का उपयोग :-

छात्रावासों के संचालन हेतु विभिन्न योजनाओं तथा बजट का प्रावधान किया गया है। इन योजनाओं तथा बजट प्रावधानों की पूर्ण राशि का व्यय नहीं हो पाता है।

12. सुरक्षा की व्यवस्था :-

बालिकाओं के छात्रावासों में कम से कम रात्रिकालिन चौकीदार की व्यवस्था होनी चाहिये। अगर महिला सुरक्षाकर्मी हो तो छात्राओं को सुविधा होगी।

13. शोषण :-

बालिकाओं का छात्रावास के मेस में काम करना, पानी भरना, साफ-सफाई में, समय व्यतीत करना, आम तौर पर देखा गया हैं। किन्हीं-किन्हीं छात्रावासों में बालिकाओं को छात्रावास अधिक्षिका के घर में काम लिये जाने की बात देखने में आयी। छात्रावासों में रसोईया, सफाई कामगार की व्यवस्था है। अतएव बालिकाओं

का इन कार्यो में समय नष्ट करना अनुचित ही नहीं, शासकीय नियमों की अवहेलना है। बालिकाओं का अधीक्षिका के घर में काम करना कानूनन अपराध है। ये सब प्रवृत्तियां बन्द होनी चाहिये।

उपर्युक्त बातें शासकीय नियमों के अधीन छात्रावासों के हेतु की गई व्यवस्था के सम्बन्ध में कही गई हैं। बालिका परिवार ही नहीं सम्पूर्ण समाज की धुरी है और शिक्षण संस्था तथा छात्रावास वह टकसाल है जहां पर देश के भावी नागरिक समुचित सांचें में ढाले जाते हैं। छात्रावासों में काफी संख्या में छात्राएं निवास करती हैं और यहां इन पर कुशल गृहणी, प्रोफेशनल और एक जागरूक नागरिक के संस्कार छात्रावासों में कुछ व्यवस्था संबंधी परिवर्तन के बाद डाले जा सकते है। उदाहरणार्थ, कालेज का होम साइंस विभाग, स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला बाल विकास विभाग के पोषण कार्य कार्यक्रम से सम्बद्ध अधिकारी एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को छात्रावासों में रहने वाली बालिकाओं से नियमित भेंट कराया जाये तो इन बालिकाओं को पढाई के साथ कुशल गृहणी और जागरूक नागरिक बनाने में पूर्ण सहायता मिल सकती है। और बालिकायें अपने पारंपरिक आदिवासी समाज में भी उर्पयुक्त बातों की Brand Ambassador बन सकती हैं। कुछ छात्रावासों में जहां प्रबंधन कार्य स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा किया जा रहा था, अच्छी व्यवस्था व वातावरण दिखा। प्रयोग के तौर पर ऐसे छात्रावासों की संख्या बढ़ाया जाना उचित होगा। निजी संस्थाओं द्वारा संचालित छात्रावास जिम्मेदरी का चालन अपेक्षाकृत अधिक सावधानी व सतर्कता पूर्वक करते हैं। यहां की छात्राओं का व्यक्तित्व भी अपेक्षाकृत गुणात्मक रूप से बेहतर दिखा।

संलग्न प्रपत्र

1. **प्रश्नावली**

   प्रपत्र क : छात्राओं हेतु

   प्रपत्र ख : अभिभावकों हेतु

   प्रपत्र ग : अधीक्षिका, स्वैच्छिक संस्था, सामाजिक कार्यकर्ता एवं विभागीय अधिकारियों हेतु

   प्रपत्र घ : छात्रावास हेतु

2. **मध्यप्रदेश में अशासकीय संस्थाओं द्वारा संचालित छात्रावासों की सूची**

3. **संदर्भ**

Form No. प्रपत्र - क

(छात्राओं हेतु)

मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति-जनजाति की छात्राओं के लिए शासन द्वारा संचालित छात्रावासों में रहने वाली छात्राओं के लिए अध्ययन प्रश्नावली

1. सामान्य जानकारी
   - 1.1 छात्रा का नाम :
   - 1.2 छात्रा के पिता का नाम :
   - 1.3 जाति :
   - 1.4 उपजाति :
   - 1.5 पैत्रिक निवास ग्राम का नाम :
2. स्थान की जानकारी
   - 2.1 जिला :
   - 2.2 तहसील :
   - 2.3 विकास खण्ड :
   - 2.4 निकटतम ग्राम :
   - 2.5 छात्रावास से पैत्रिक ग्राम की दूरी (किमी) :
   - 2.6 छात्रावास से निकटतम ग्राम की दूरी (किमी) :
3. छात्रावास में आधारभूत सुविधाओं की स्थिति
   - 3.1 भवन (1. सरकारी 2. निजी किराए का 3. अन्य (स्पष्ट करें) :
   - 3.2 निवास हेतु एक कमरे में रहने वाली छात्राओं की संख्या बतावें :
   - 3.3 आपके निवास के लिए उपलब्ध स्थान (वर्गफीट में) बतावें :
   - 3.4 अ. अध्ययन कक्ष अलग से उपलब्ध है ? (हां/नहीं) :
     - ब. रहने के कमरे में ही है या अलग सामूहिक अध्ययन कक्ष :
     - स. कृपया अध्ययन के लिए उपलब्ध स्थान (वर्गफीट में) बतावें :
   - 3.5 छात्रावास में रसोई घर है ? (हां/नहीं) :
     रसोईया है/नहीं, यदि हैं तो व्यवस्था क्या है (ठेका व्यवस्था या नियमित रसोईया) :
   - 3.6 क्या छात्रा छात्रावास के रसोई घर में ही खाती है या अलग ? :
     यदि अलग तो संक्षिप्त में कारण बतावें।
   - 3.7 भोजन के लिए कक्ष अलग से उपलब्ध है या नहीं ? :
     यदि अलग तो उपलब्ध स्थान (वर्गफीट में) बतावें
   - 3.8 शौचालय की सुविधा उपलब्ध है या नहीं ? यदि हैं, तो प्रति छात्रा औसत संख्या बतावें तथा सफाई की श्रेणी (दयनीय/साधारण/अच्छी/उत्तम) बतावें :
   - 3.9 स्नानगृह की सुविधा उपलब्ध है या नहीं ? यदि हैं, तो प्रति छात्रा औसत संख्या बतावें तथा सफाई की श्रेणी (दयनीय/साधारण/अच्छी/उत्तम) बतावें :
   - 3.10 खेद-कूद की सुविधाएं (मैदान एवं कक्ष) हैं/नहीं ? :
     यदि हैं तो श्रेणी बतावें (दयनीय/साधारण/अच्छी/उत्तम)

3.11 मनोरंजन कक्ष हैं/नहीं ?
यदि हैं तो श्रेणी बतावें (दयनीय/साधारण/अच्छा/उत्तम) :

4. छात्रावास की खान-पान व्यवस्था

4.1	प्रात: सो कर उठने पर चाय नाश्ता	:	मिलता है या नहीं मिलता ? यदि मिलता है तो समय बतावें श्रेणी बतावें (दयनीय/साधारण/अच्छी/उत्तम)	:
4.2	दोपहर का भोजन	:	मिलता है या नहीं मिलता? यदि मिलता है तो समय बतावें श्रेणी बतावें (दयनीय/साधारण/अच्छी/उत्तम)	:
4.3	सांयकाल का चाय नाशता	:	मिलता है या नहीं मिलता? यदि मिलता है तो समय बतावें श्रेणी बतावें (दयनीय/साधारण/अच्छी/उत्तम)	:
4.4	रात्रि का भोजन	:	मिलता है या नहीं मिलता? यदि मिलता है तो समय बतावें श्रेणी बतावें (दयनीय/साधारण/अच्छी/उत्तम)	:
4.5	पीने के पानी की व्यवस्था?	:	है या स्वयं लाना पड़ता है यदि लाना पड़ता है तो कितनी दूरी से	:

5. साफ सफाई व्यवस्था हैं/नहीं — उपलब्ध है — नहीं है तो क्या स्वयं
यदि हैं तो श्रेणी बतावें (दयनीय/साधारण/अच्छी/उत्तम) — (श्रेणी बतावें) — करनी होती है?

अ. निवास कक्षों में / अध्ययन कक्ष में :
ब. रसोईघर में / भोजन कक्ष में :
स. स्नानागार / शौचालय में :
द. छात्रावास भवन के आसपास :

6. छात्रावृत्ति / शिष्यवृत्ति

6.1 कब मिलती है (मासिक / छ:माही / अन्य) :
6.2 आगमन भत्ता कब-कब मिलता है? (केवल उच्चतर माध्यमिक छात्रावास हेतु) :

7. अन्य सुविधाऐं (आवश्यक सामग्री की उपलब्धता)

7.1 पुस्तकालय हैं/नहीं? :
यदि हैं तो पुस्तकों की उपलब्धता श्रेणी बतावें (दयनीय/साधारण/अच्छी/उत्तम)

7.2 स्वास्थ चिकित्सा सुविधाएं हैं/नहीं? :
यदि हैं तो सामग्री की उपलब्धता श्रेणी बतावें (दयनीय/साधारण/अच्छी/उत्तम)

7.3 कोचिंग/ट्रेनिंग सुविधाएं हैं/नहीं? :
यदि हैं तो ट्रेनर की उपलब्धता श्रेणी बतावें (दयनीय/साधारण/अच्छी/उत्तम)

7.4 खेल-कूद की सुविधाएं (खेलों की सामग्री) हैं/नहीं? :
यदि हैं तो सामग्री की उपलब्धता श्रेणी बतावें (दयनीय/साधारण/अच्छी/उत्तम)

7.5 अन्य मनोरंजन की सुविधाएं हैं/नहीं? :
यदि हैं तो सामग्री की उपलब्धता श्रेणी बतावें (दयनीय/साधारण/अच्छी/उत्तम)

7.6 प्रार्थना एवं संस्कार (लोकनृत्य/लोकगान) आदि हेतु सुविधायें हैं/नहीं? :
यदि हैं तो सामग्री की उपलब्धता श्रेणी बतायें (दयनीय/साधारण/अच्छी/उत्तम)

7.7 बरतनों की उपलब्धता

अ. पीने के पानी हेतु अच्छे व साफ बरतन हैं/नहीं? :
यदि हैं तो उनकी श्रेणी बतायें (अनुपलब्ध/अपर्याप्त/संतोषप्रद/उत्तम)

ब. भोजन पकाने एवं खाने हेतु अच्छे व साफ बरतन हैं/नहीं? :
यदि हैं तो उनकी श्रेणी बतावें (अनुपलब्ध/अपर्याप्त/संतोषप्रद/उत्तम)

8. छात्रावास प्रशासन/नियंत्रण व्यवस्था

8.1 किसका नियंत्रण रहता है (अधीक्षक/अधीक्षिका या अन्य) :

8.2 महिला हैं या पुरुष? :

8.3 पूर्ण कालिक हैं या अतिरिक्त प्रभार वाले अंशकालिक? :

8.4 छात्रावास में प्रतिदिन कितना समय (घंटे) देते हैं? :

8.5 छात्राओं के प्रति व्यवहार आमतौर पर कैसा है? :

8.6 निवास कहां है? :

8.7 क्या छात्रावास की रसोई में भोजन तैयार करते हैं? :

8.8 किस जाति के हैं? :

8.9 उपरोक्त 8.1 के अतिरिक्त भी किसी अन्य का दखल रहता है? :
यदि हाँ, तो बतावें कि किसका एवं किस प्रकार का

8.10 क्या छात्रावास की व्यवस्था/नियंत्रण में छात्राओं की किसी प्रकार की भागीदारी होती है? :
यदि हाँ तो संक्षिप्त विवरण देवें।

8.11 क्या छात्रावास की व्यवस्था/नियंत्रण के लिए किसी प्रकार की भागीदारी समिति होती है? :
यदि हाँ तो संक्षिप्त विवरण देवें

9. छात्रावास की निरीक्षण व्यवस्था

9.1 क्या समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है? हाँ या नहीं :

9.2 यदि हाँ, तो कौन निरीक्षण करता है? वर्ष में कितने बार होता है? :

9.3 निरीक्षण के समय क्या छात्राओं से विचार (सुझाव/शिकायत) माँगे जाते हैं? :

9.4 छात्राओं द्वारा दिये गये सुझावों/शिकायतों पर कितनी कार्यवाही होती है? :
बतायें (नगण्य/औपचारिक/परिणाम नहीं दिखते/परिणाम दिखते हैं)

10 छात्राओं का विचार

10.1 छात्रावास के बेहतर सुधार के लिए आप क्या-क्या सुधार करना चाहेंगी? :

(अ) भौतिक सुविधाओं में

(ब) व्यवस्था में

महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रतिक्रिया संक्षिप्त में देवें।

Form No. _

प्रपत्र ख

(अभिभावकों हेतु प्रश्नावली)

मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति-जनजाति की छात्राओं के लिए शासन द्वारा संचालित छात्रावासों में रहने वाली छात्राओं के लिए अध्ययन प्रश्नावली

1. सामान्य जानकारी
   - 1.1 छात्रा का नाम :
   - 1.2 छात्रा से अभिभावक का रिश्ता :
   - 1.3 आजीविका एवं अभिभावक की वार्षिक आय :
2. छात्रावास की आधारभूत सुविधाओं के बारे में विचार
   - 2.1 भवन श्रेणी (दयनीय/साधारण/अच्छी/उत्तम) :
   - 2.2 निवास हेतु कमरों की दशा भवन श्रेणी (दयनीय/साधारण/अच्छी/उत्तम) :
   - 2.4 अ. अध्ययन कक्ष की दशा (दयनीय/साधारण/अच्छी/उत्तम) :
   - 2.5 रसोईघर / भोजन कक्ष की दशा (दयनीय/साधारण/अच्छी/उत्तम) :
   - 2.8 शौचालय की दशा (दयनीय/साधारण/अच्छी/उत्तम) :
   - 2.9 स्नानगृह की दशा (दयनीय/साधारण/अच्छी/उत्तम) :
   - 2.10 खेल-कूद मैदान एवं कक्ष की दशा (दयनीय/साधारण/अच्छी/उत्तम) :
   - 2.11 मनोरंजन कक्ष की दशा (दयनीय/साधारण/अच्छी/उत्तम) :
3. छात्रावास की खान पान व्यवस्था
   - 3.1 प्रात : सो कर उठने पर चाय नाश्ता : श्रेणी बतावें (दयनीय/साधारण/अच्छी/उत्तम) :
   - 3.2 दोपहर का भोजन : श्रेणी बतावें (दयनीय/साधारण/अच्छी/उत्तम) :
   - 3.3 सायंकाल का चाय नाशता : श्रेणी बतावें (दयनीय/साधारण/अच्छी/उत्तम) :
   - 3.4 रात्रि का भोजन : श्रेणी बतावें (दयनीय/साधारण/अच्छी/उत्तम) :
   - 3.5 पीने के पानी की व्यवस्था? : दशा (दयनीय/साधारण/अच्छी/उत्तम) :
4. साफ सफाई व्यवस्था : दशा (दयनीय/साधारण/अच्छी/उत्तम) उपलब्ध है (श्रेणी बतावें)
   - अ. निवास कक्षों में / अध्ययन कक्ष में :
   - ब. रसोईघर में / भोजन कक्ष में :
   - स. स्नानागार / शौचालय में :
   - द. छात्रावास भवन के आसपास :
5. छात्रवृत्ति / शिष्यवृत्ति
   - 5.1 कब मिलती है (मासिक / छ:माही / अन्य)
   - 5.2 आगमन भत्ता कब-कब मिलता है? (केवल उच्चतर माध्यमिक छात्रावास हेतु) :
6. अन्य सुविधाऐं (आवश्यक सामग्री की उपलब्धता) :
   - 6.1 पुस्तकालय है / नहीं? :
     यदि हैं तो पुस्तकों की उलपब्धता श्रेणी बतावें (दयनीय/साधारण/अच्छी/उत्तम)
   - 6.2 स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाएं हैं/नहीं? :
     यदि हैं तो सामग्री की उलपब्धता श्रेणी बतावें (दयनीय/साधारण/अच्छी/उत्तम)

6.3 कोचिंग / ट्रेनिंग सुविधाएं हैं/नहीं? :
यदि हैं तो ट्रेनर की उपलब्धता श्रेणी बतावें (दयनीय/साधारण/अच्छी/उत्तम)

6.4 खेल कूद की सुविधाएं (खेलों की सामग्री) हैं/नहीं? :
यदि हैं तो सामग्री की उपलब्धता श्रेणी बतावें (दयनीय/साधारण/अच्छी/उत्तम)

6.5 अन्य मनोरंजन की सुविधाएं हैं/नहीं? :
यदि हैं तो सामग्री की उपलब्धता श्रेणी बतावें (दयनीय/साधारण/अच्छी/उत्तम)

6.6 प्रार्थना एवं संस्कार (लोकनृत्य/लोकगान) आदि हेतु सुविधाएं हैं/नहीं? :
यदि हैं तो सामग्री की उपलब्धता श्रेणी बतावें (दयनीय/साधारण/अच्छी/उत्तम)

6.7 बर्तनों की उपलब्धता

अ. पीने के पानी हेतु अच्छे व साफ बरतन हैं/नहीं? :
यदि हैं तो उनकी श्रेणी बतावें (अनुपलब्ध/अपर्याप्त/संतोषप्रद/उत्तम)

ब. भोजन पकाने एवं खाने हेतु अच्छे व साफ बरतन हैं/नहीं? :
यदि हैं तो उनकी श्रेणी बतावें (अनुपलब्ध/अपर्याप्त/संतोषप्रद/उत्तम)

7. **छात्रावास प्रशासन/नियंत्रण व्यवस्था सुविधाओं में सुधार होना चाहिए, तो क्या?**

7.1 किसका नियंत्रण रहता है (अधीक्षक/अधीक्षिका या अन्य) :

7.2 महिला हैं या पुरूष? :

7.3 पूर्ण कालिक हैं या अतिरिक्त प्रभार वाले अंशकालिक? :

7.4 छात्रावास में प्रतिदिन कितना समय (घंटे) देते हैं? :

7.5 छात्राओं के प्रति व्यवहार आमतौर पर कैसा है? :

7.6 निवास कहां है? :

7.7 क्या छात्रावास के रसोई में भोजन तैयार करते हैं? :

7.8 किस जाति के हैं? :

7.9 उपरोक्त 7.1 के अतिरिक्त भी किसी अन्य का दखल रहता है? :
यदि हाँ, तो बतावें कि किसका एवं किस प्रकार का

7.10 क्या छात्रावास की व्यवस्था/नियंत्रण में छात्राओं की/आपकी किसी प्रकार :
की भागीदारी होती है? यदि हाँ तो संक्षिप्त विवरण देवें

8 **छात्रावास की निरीक्षण व्यवस्था**

8.1 क्या समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है ? हाँ या नहीं :

8.2 यदि हाँ, तो कौन निरीक्षण करता है? वर्ष में कितने बार होता है? :

8.3 निरीक्षण के समय क्या आपसे विचार (सुझाव/शिकायत) मांगे जाते हैं? :

8.4 आपके द्वारा दिये गये सुझावों/शिकायतों पर कितनी कार्यवाही होती है? :
बतावें (नगण्य/औपचारिक/परिणाम नहीं दिखते/परिणाम दिखते हैं)

9. **साक्षात्कारदाता के विचार**

9.1 छात्रावास के बेहतर सुधार के लिए आप क्या-क्या सुधार करना चाहेंगे? :

(अ) भौतिक सुविधाओं में

(ब) व्यवस्था में

महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रतिक्रिया संक्षिप्त में देवें।

Form No. प्रपत्र - ग

(अधीक्षक (I)/स्थानीय स्वैच्छिक संस्थाएं/
स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता एवं संबंधित
स्थानीय सरकारी अधिकारी हेतु प्रश्नावली)

मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति-जनजाति की छात्राओं के लिए शासन द्वारा संचालित छात्रावासों में रहने वाली छात्राओं के लिए अध्ययन प्रश्नावली

1. सामान्य जानकारी
   - 1.1 साक्षात्कारदाता का नाम :
   - 1.2 साक्षात्कारदाता का विवरण :
2. छात्रावास की आधारभूत सुविधाओं के बारे में विचार
   - 2.1 भवन श्रेणी (दयनीय/साधारण/अच्छी/उत्तम) :
   - 2.2 निवास हेतु कमरों की दशा (दयनीय/साधारण/अच्छी/उत्तम) :
   - 2.3 अध्ययन कक्ष की दशा (दयनीय/साधारण/अच्छी/उत्तम) :
   - 2.4 रसोईघर/भोजन कक्ष की दशा (दयनीय/साधारण/अच्छी/उत्तम) :
   - 2.5 शौचालय की दशा (दयनीय/साधारण/अच्छी/उत्तम) :
   - 2.6 स्नानगृह की दशा (दयनीय/साधारण/अच्छी/उत्तम) :
   - 2.7 खेल-कूद मैदान एवं कक्ष की दशा (दयनीय/साधारण/अच्छी/उत्तम) :
   - 2.8 मनोरंजन कक्ष की दशा (दयनीय/साधारण/अच्छी/उत्तम) :
3. छात्रावास की खान-पान व्यवस्था
   - 3.1 प्रात: सो कर उठने पर चाय नाश्ता : श्रेणी बतावें (दयनीय/साधारण/अच्छी/उत्तम) :
   - 3.2 दोपहर का भोजन : श्रेणी बतावें (दयनीय/साधारण/अच्छी/उत्तम) :
   - 3.2 सायंकाल का चाय नाश्ता : श्रेणी बतावें (दयनीय/साधारण/अच्छी/उत्तम) :
   - 3.2 रात्रि का भोजन : श्रेणी बतावें (दयनीय/साधारण/अच्छी/उत्तम) :
   - 3.2 पीने के पानी की व्यवस्था ? : दशा (दयनीय/साधारण/अच्छी/उत्तम)
4. साफ सफाई व्यवस्था : दशा (दयनीय/साधारण/अच्छी/उत्तम) उपलब्ध है (श्रेणी बतावें)
   - अ. निवास कक्षों में / अध्ययन कक्ष में :
   - ब. रसोईघर में / भोजन कक्ष में :
   - स. स्नानागार / शौचालय में :
   - द. छात्रावास भवन के आसपास
5. छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति
   - 5.1 कब मिलती है (मासिक/छ:माही/अन्य) :
   - 5.2 आगमन भत्ता कब-कब मिलता है? (केवल उच्चतर माध्यमिक छात्रावास हेतु) :
6. अन्य सुविधाएं (आवश्यक सामग्री की उपलब्धता) :
   - 6.1 पुस्तकालय हैं/नहीं? :

     यदि हैं तो पुस्तकों की उपलब्धता : श्रेणी बतावें (दयनीय/साधारण/अच्छी/उत्तम)

6.2 स्वास्थ चिकित्सा सुविधाएं हैं/नहीं? :
यदि हैं तो सामग्री की उपलब्धता श्रेणी बतावें (दयनीय/साधारण/अच्छी/उत्तम)

6.3 कोचिंग/ट्रेनिंग सुविधाएं हैं/नहीं ? :
यदि हैं तो ट्रेनर की उपलब्धता श्रेणी बतावें (दयनीय/साधारण/अच्छी/उत्तम)

6.4 खेल-कूद की सुविधाएं (खेलों की सामग्री) हैं/नहीं? :
यदि हैं तो सामग्री की उपलब्धता श्रेणी बतावें (दयनीय/साधारण/अच्छी/उत्तम)

6.5 अन्य मनोरंजन की सुविधाएं हैं/नहीं? :
यदि हैं तो सामग्री की उपलब्धता श्रेणी बतावें (दयनीय/साधारण/अच्छी/उत्तम)

6.6 प्रार्थना एवं संस्कार (लोकनृत्य/लोकगान) आदि हेतु सुविधाएं हैं/नहीं? :
यदि हैं तो सामग्री की उपलब्धता श्रेणी बतावें (दयनीय/साधारण/अच्छी/उत्तम)

6.7 बरतनों की उपलब्धता :

अ. पीने के पानी हेतु अच्छे व साफ बरतन हैं/नहीं?
यदि हैं तो उनकी श्रेणी बतावें (अनुपलब्ध/अपर्याप्त/संतोषप्रद/उत्तम)

ब. भोजन पकाने एवं खाने हेतु अच्छे व साफ बरतन हैं/नहीं?
यदि हैं तो उनकी श्रेणी बतावें (अनुपलब्ध/उपर्याप्त/संतोषप्रद/उत्तम)

7. छात्रावास प्रशासन/नियंत्रण व्यवस्था सुविधाओं में सुधार होना चाहिए, तो क्या?

7.1 किसका नियंत्रण रहता है (अधीक्षक/अधीक्षिका या अन्य) :
7.2 महिला हैं या पुरुष? :
7.3 पूर्ण कालिक हैं या अतिरिक्त प्रभार वाले अंशकालिक? :
7.4 छात्रावास में प्रतिदिन कितना समय (घंटे) देते हैं? :
7.5 छात्राओं के प्रति व्यवहार आमतौर पर कैसा है? :
7.6 निवास कहां है? :
7.7 क्या छात्रावास के रसोई में भोजन तैयार करते हैं? :
7.8 किस जाति के हैं? :
7.9 उपरोक्त 8.1 के अतिरिक्त भी किसी अन्य का दखल रहता है? :
यदि हाँ, तो बतावें कि किसका एवं किस प्रकार का

7.10 छात्रावास की व्यवस्था/नियंत्रण में छात्राओं की/आपकी किसी प्रकार :
की भागीदारी होती है? यदि हाँ तो संक्षिप्त विवरण देवें

8. छात्रावास की निरीक्षण व्यवस्था

9.1 क्या समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है? हाँ या नहीं :
9.2 यदि हाँ, तो कौन निरीक्षण करता है? वर्ष में कितने बार होता है? :
9.3 निरीक्षण के समय क्या आपसे विचार (सुझाव/शिकायत) मांगे जाते हैं? :
9.4 आपके द्वारा दिये गये सुझाव/शिकायतों पर कितनी कार्यवाही होती है? :
बतावें (नगण्य/औपचारिक/परिणाम नहीं दिखते/परिणाम दिखते हैं)

9. साक्षात्कारदाता के विचार

10.1 छात्रावास के बेहतर सुधार के लिए आप क्या-क्या सुधार करना चाहेंगे? :
(अ) भौतिक सुविधाओं में (ब) व्यवस्था में
महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रतिक्रिया संक्षिप्त में देवें।

Form No. ___ _ ___ प्रपत्र - घ

(छात्रावास हेतु)

मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति-जनजाति की छात्राओं के लिए शासन द्वारा संचालित छात्रावासों में रहने वाली छात्राओं के लिए अध्ययन प्रश्नावली

1. छात्रावास संबंधी जानकारी
   - 1.1 छात्रावास का नाम :
   - 1.2 छात्रावास का स्तर (माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक) :
   - 1.3 जिला :
   - 1.4 तहसील :
   - 1.5 विकास खण्ड :
   - 1.6 निकटतम ग्राम :
   - 1.7 छात्रावास हेतु स्वीकृत क्षमता (संख्या) :
     - अ. अनुसूचित जनजाति :
     - ब. अनुसूचित जाति :
     - स. अन्य जाति :
   - 1.8 छात्रावास में रहने वाली बालिकाओं की संख्या :
     - अ. अनुसूचित जनजाति :
     - ब. अनुसूचित जाति :
     - स. अन्य जाति :
2. अन्य जानकारी
   - 2.1 खाने पीने की सामग्री कहां से खरीदी जाती है? :
   - 2.2 छात्रावास में पर्याप्त बिजली रहती है? :
   - 2.3 यदि नहीं तो क्यो? :
   - 2.4 क्या वैकल्पिक व्यवस्था रहती है :
   - 2.5 किन-किन मदों में वार्षिक बजट राशि अधिक प्राप्त होती है :
   - 2.6 किन-किन मदों में वार्षिक बजट राशि कम प्राप्त होती है, जिसे बढाना आवश्यक है (मद और राशि बतावें) :
   - 8.7 क्या फेल हो जाने पर भी छात्राओं को छात्रावास में भर्ती किया जाता है? :
     यदि हां तो ऐसी छात्राओं के लिए कुछ स्थान निर्धारित है? :
   - 8.8 क्या अनुत्तीर्ण छात्राओं की सुविधाओं में कुछ कमी की जाती है? :
3. छात्रावास में आधारभूत सुविधाओं की स्थिति
   - 3.1 भवन (1. सरकारी 2. निजी किराए का 3. अन्य (स्पष्ट करें) :
   - 3.2 निवास हेतु कुल कमरों की संख्या बतावें :
   - 3.3 निवास के कमरों का क्षेत्रफल (वर्गफीट में) बतावें :
   - 3.4 अ. अध्ययन कक्ष अलग से उपलब्ध है? (हां/नहीं) :

ब. रहने के कमरे में ही है या अलग सामूहिक अध्ययन कक्ष :

स. कृपया अध्ययन के लिए उपलब्ध स्थान (वर्गफीट में) बतावें :

3.5 छात्रावास में रसोई घर है? (हां/नहीं) :

रसोईया हैं/नहीं, यदि हैं तो व्यवस्था क्या है (ठेका व्यवस्था या नियमित रसोईया)

3.6 क्या छात्रा छात्रावास के रसोई घर में ही खाती हैं या अलग? :

यदि अलग तो संक्षिप्त में कारण बतावें।

3.7 भोजन के लिए कक्ष अलग से उपलब्ध है या नहीं? :

यदि अलग तो उपलब्श स्थान (वर्गफीट में) बतावें

3.8 शौचालय की सुविधा उपलब्ध है या नहीं? यदि हैं, तो कुल संख्या बतावें तथा सफाई की श्रेणी (दयनीय/साधारण/अच्छी/उत्तम) बतावें :

3.9 स्नानगृह की सुविधा उपलब्ध है या नहीं? यदि हैं, तो कुल संख्या बतावें तथा सफाई की श्रेणी (दयनीय/साधारण/अच्छी/उत्तम) बतावें :

3.10 खेल-कूद की सुविधाएं (मैदान एवं कक्ष) हैं/नहीं? :

यदि हैं तो श्रेणी बतावें (दयनीय/साधारण/अच्छी/उत्तम)

3.11 मनोरंजन कक्ष हैं/नहीं? :

यदि हैं तो श्रेणी बतावें (दयनीय/साधारण/अच्छी/उत्तम) :

4. छात्रावास की खान-पान व्यवस्था

4.1 प्रात: सो कर उठने पर चाय नाश्ता : दिया जाता है या नहीं ?
यदि दिया जाता है तो समय बतावें
यदि नहीं तो कारण बतावें

4.2 दोपहर का भोजन : दिया जाता है या नहीं ? :
यदि दिया जाता है तो समय बतावें
यदि नहीं तो कारण बतावें)

4.3 सांयकाल का चाय नाश्ता : दिया जाता है या नहीं ? :
यदि दिया जाता है तो समय बतावें
यदि नहीं तो कारण बतावें

4.4 रात्रि का भोजन : दिया जाता है या नहीं ? :
यदि दिया जाता है तो समय बतावें
यदि नहीं तो कारण बतावें

4.5 पीने के पानी की व्यवस्था ? : है या स्वयं लाना पड़ता है :
यदि लाना पडता है तो कितनी दूरी से

5. साफ सफाई व्यवस्था हैं/नहीं यदि हैं तो श्रेणी बतावें (दयनीय/साधारण/अच्छी/उत्तम)	उपलब्ध है (श्रेणी बतावें)	नहीं है तो क्या छात्राओं को स्वयं करनी होती है
अ. निवास कक्षों में/अध्ययन कक्ष में		:
ब. रसोईघर में/भोजन कक्ष में		:
स. स्नानागार/शौचालय में		:
द. छात्रावास भवन के आसपास		:

6 अन्य सुविधाऐं (आवश्यक सामग्री की उपलब्धता) :

6.1 पुस्तकालय हैं/नहीं? :
यदि हैं तो पुस्तकों की उपलब्धता श्रेणी बतावें (दयनीय/साधारण/अच्छी/उत्तम)

6.2 स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाएं हैं/नहीं? :
यदि हैं तो सामग्री की उपलब्धता श्रेणी बतावें (दयनीय/साधारण/अच्छी/उत्तम)

6.3 कोचिंग/ट्रेनिंग सुविधाएं हैं/नहीं? :
यदि हैं तो ट्रेनर की उपलब्धता श्रेणी बतावें (दयनीय/साधारण/अच्छी/उत्तम)

6.4 खेल-कूद की सुविधाएं (खेलों की सामग्री) हैं/नहीं? :
यदि हैं तो सामग्री की उपलब्धता श्रेणी बतावें (दयनीय/साधारण/अच्छी/उत्तम)

6.5 अन्य मनोरंजन की सुविधाएं हैं/नहीं? :
यदि हैं तो सामग्री की उपलब्धता श्रेणी बतावें (दयनीय/साधारण/अच्छी/उत्तम)

6.6 प्रार्थना एवं संस्कार (लोकनृत्य/लोकगान) आदि हेतु सुविधाएं हैं/नहीं? :
यदि हैं तो सामग्री की उपलब्धता श्रेणी बतावें (दयनीय/साधारण/अच्छी/उत्तम)

6.7 बरतनों की उपलब्धता

अ. पीने के पानी हेतु अच्छे व साफ बरतन हैं/नहीं? :
यदि हैं तो छात्रावार अलग-अलग हैं या सम्मिलित हैं

ब. भोजन पकाने एवं खाने हेतु अच्छे व साफ बरतन हैं/नहीं? :
यदि हैं तो छात्रावार अलग-अलग हैं या सम्मिलित हैं

7. छात्रावास प्रशासन/नियंत्रण व्यवस्था

7.1 किसका नियंत्रण रहता है (अधीक्षक/अधीक्षिका या अन्य) :

7.2 नियंत्रक महिला हैं या पुरूष? :

7.3 पूर्ण कालिक हैं या अतिरिक्त प्रभार वाले अंशकालिक ? :

7.4 छात्रावास में प्रतिदिन कितना समय (घंटे) देते हैं ? :

7.5 निवास कहां है ? :

7.6 क्या छात्रावास के रसोई में भोजन तैयार करते हैं? :

7.7 किस जाति के हैं? :

7.8 उपरोक्त 7.1 के अतिरिक्त भी किसी अन्य का दखल रहता है? :
यदि हां, तो बतावें कि किसका एवं किस प्रकार का

7.9 क्या छात्रावास की व्यवस्था/नियंत्रण में छात्राओं की किसी प्रकार की भागीदारी होती है? :
यदि हां तो संक्षिप्त विवरण देवें।

7.10 क्या छात्रावास की व्यवस्था/नियंत्रण के लिए किसी प्रकार की भागीदारी समिति होती है? :
यदि हां तो संक्षिप्त विवरण देवें

8. छात्रावास की निरीक्षण व्यवस्था

8.1 क्या समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है? हां या नहीं :

8.2 यदि हां, तो कौन निरीक्षण करता है? वर्ष में कितने बार होता है? :

8.3 निरीक्षण के समय क्या छात्राओं से विचार (सुझाव/शिकायत) मांगे जाते हैं? :

8.4 छात्राओं द्वारा दिये गये सुझाव/शिकायतों पर कितनी कार्यवाही होती है? :
बतावें (नगण्य/औपचारिक/परिणाम नहीं दिखते/परिणाम दिखते हैं)

मध्यप्रदेश में विभागीय अनुदान प्राप्त/मान्यता प्राप्त छात्रावास

क्र. सं.	जिले का नाम	संस्था		संचालित छात्रावास का नाम	स्वीकृत सीट्स
1	2	3		4	5
1	श्योपुर	1. म.प्र. सहरिया सेवा संघ	1.	आदिवासी बालक छात्रावास त्रीपुर बड़ौदा	20
			2.	आदिवासी बालक छात्रावास ठोठर	25
			3.	आदिवासी बालक छात्रावास कराहल	20
			4.	आदिवासी बालक छात्रावास विजयपुर	40
		2. वनवास कल्याण परिषद् भोपाल	5.	एकलव्य वनवासी छात्रावास श्योपुर	20
2.	ग्वालियर	म.प्र. सहारिया सेवा संघ	6.	आदिवासी बालक छात्रावास मोहना	30
3.	शिवपुरी	म.प्र. सहारिया सेवा संघ	7.	आदिवासी बालक छात्रावास पोहरी	20
			8.	आदिवासी बालक छात्रावास खनियाधाना	20
4.	गुना	म.प्र. सहरिया सेवा संघ	9.	आदिवासी बालक छात्रावास चंदेरी	35
5.	विदिश	म.प्र. सहारिया सेवा संघ	10.	आदिवासी बालक छात्रावास कुरवाई	20
6.	खरगोन	आदिवासी विकास केन्द्र बबलाई	11.	बजरंग आश्रम/छात्रावास खरगोन	20
7.	डिण्डौरी	म.प्र. वनवासी सेवा मंडल	12.	प्री मै. क. छात्रावास डिण्डौरी	65
			13.	प्री मै. क. छात्रावास बोंदर	30
			14.	बालक छात्रावास बोंदर	60
			15.	बालक छात्रावास जुनवानी	64
			16.	कन्या छात्रावास जुनवानी	49
			17.	बालक छात्रावास दुल्हनिया	15
			18.	कन्या छात्रावास दुल्हनिया	20
			19.	बालक छात्रावास दुल्हनिया	90
8.	मंडला	म.प्र. वनवासी सेवा मंडल	20.	संत तेरेला आदि. कन्या छात्रावास कुडेला	40
			21.	भूमि आ. बालक छात्रावास सिहोरा बिछिया	50
			22.	आदि. बालक छात्रावास भदनार घुघरी	30
			23.	आदि प्री मै. बालक छात्रावास महाराजपुर	60
			24.	आदि प्री मै. बालक छात्रावास	45

क्र. सं.	जिले का नाम	संस्था		संचालित छात्रावास का नाम	स्वीकृत सीट्स
			25.	आदि प्री मै. बालक छात्रावास अंगली	30
			26.	प्री. मै. बालक छात्रावास बवलिया	80
9.	शहडोल	पाण्डे शिक्षा समिति	27.	आदि. बालक छात्रावास टिहकी	50
10.	धार	ग्राम भारती आश्रम टवलाई	28.	कुमार मंदिर छात्रावास तलाई	50
		वनवासी कल्याण परिषद	29	राणा बलवंत सिंह छात्रावास राजगढ़	20
11.	इंदौर	भारतीय ग्रामीण महिला संध गऊ	30	अनु. जनजाति छात्रावास मउ	20
12.	झाबुआ	कैथोलिक डायलसिश आफ इंदौर	31	ज्योति भवन बालक छात्रावास झाबुआ	86
		अनु. जा./जनजाति चेतना शिक्षा समिति	32	स्नेह सदन कन्या छात्रावास झाबुआ	81
			33	छात्रावास उन्नाई	57
			34	विश्व ज्योति बालक छात्रावास थांदला	196
			35	स्नहे सदन बालक छात्रावास कालोदेवी	45
			36	बलक छात्रावास मोहन कटि	49
			37	कन्या छात्रावास मोहन काटे	14
			38	संत तरेगा कन्या छात्रावास थांदला	95
			39	बालक छात्रावास डुंगरीपाडा	200
			40	कन्या छात्रावास डुंगरीपाडा	60
		ग्राम स्वराज आश्रम मांडलीनाथू	41	सरदार बालक छात्रावास मांडलीनाथू	40
		म.प्र. वनवासी कल्याण परिषद्	42	चन्द्रशेखर आजाद छात्रावास रानापुर	30
			43.	बालक छात्रावास अलिराजपुर	30
13	बड़वानी	कस्तूरबा कन्या वनवासी आश्रम	44.	बालक छात्रावास बड़वानी	20
14	उज्जैन	सर्वोपरिचयरिका समाज कल्याण संस्थान उज्जैन	45	आदर्श भारतीय बालक छात्रावास उज्जैन	30

भारत शासन से अनुदान प्राप्त छात्राओं का विवरण

1. भोपाल सेवा भारती, भोपाल — बालक छात्रावास, महावीर नगर, भोपाल
2. ग्वालियर सेवा भारती, भोपाल — छात्रावास ग्राम केदारपुर, जिला-ग्वालियर

संदर्भ :

1. मध्यप्रदेश की जनजातियां समाज एवं व्यवस्थाएं
लेखक : डॉ. शिवकुमार तिवारी
डॉ. री कमल शर्मा

2. प्रशासनिक प्रतिवेदन 2003–04 म.प्र. शासन
(आदिमजाति कल्याण विभाग)

3. छात्रावास अधीक्षकों हेतु राज्य स्तरीय प्रशिक्षण मेनुअल,
आदिवासी विभाग, (म.प्र. शासन)

4. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, म.प्र. शासन से प्राप्त जानकारी।

5. भारत की जनगणना - 2001 मध्यप्रदेश।